राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का प्रथम दिवस [संख्या ३

सोमवार, २७ अक्टूबर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

राजस्थान के धन-प्रबन्धकों द्वारा लगाये गये पैसे

८९. **श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा)** : Will the Chief Minister be pleased to state :

Has the Government any statistics or reliable information available regarding the investments of big financiers from Rajasthan in Bombay, Calcutta and other places outside the State ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : No, Sir.

श्री पी० के० चौधरी : Will the Government try to collect some statistics ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No, Sir.

श्री पी० के० चौधरी : Do you not think it necessary ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Not necessary.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

टौंक जिले में फसलों को क्षति

९०. **रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा)** : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि जिला टौंक में पिछले दो सालों में फसल स्यालू और उन्हालू को काफी क्षति हुई है ?

(२) यदि हां, तो इस क्षति का फसलवार व तहसीलवार ब्यौरा क्या है ?

(३) इस सम्बन्ध में किसानों को क्या क्या सहायता दी गई या दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) हां, मालूम है ।

(२) क्षति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

सन् १९५५–५६ :

	तहसील अलीगढ़	तहसील टौंक

Page No.2

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

क्षतिग्रस्त भूमि	४९६ एकड़	–
रकम जिसको छूट के लिये जिलाधीश ने लिखा है	२७६ रु०	१९४९ रु०

सन् १९५६–५७

	तहसील अलीगढ़	तहसील टौंक
क्षतिग्रस्त भूमि	५४३ एकड़	१५६५ एकड़
रकम जिसको छूट के लिये जिलाधीश ने लिखा है	२२२ रु०	७४८.५२ रु०

(३) उनको छूट दी जा रही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि छूट दी जा रही है, मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि उनको दो साल से अतिवृष्टि से नुकसान हो रहा है। आपने उनको कोई छूट नहीं दी है और लगान उनसे वसूल किया जा रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले लगान सस्पेन्ड कर दिया गया है। छूट तो तब दी जावेगी जब कलेक्टर ने जो लिखा है वह मंजूर हो जावेगा। इस सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : किसानों के पास तो खाने के लिये अनाज नहीं है और सरकार लगान उनसे वसूल कर रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : किसानों से लगान सस्पेन्ड कर दिया गया है, इसलिये यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी जो सस्पेन्ड होते हुए भी वसूली कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर आप बतावेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन ही नहीं होगी, बल्कि उनको सजा भी दी जावेगी।

श्री मूलचन्द डागा : रेवेन्यु सस्पेन्शन और रेमिशन में क्या फर्क है ? सस्पेन्शन किस एक्ट के अन्डर में होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not possible for me to cite the Rule or Section of the Act. I think the Hon'ble Member ought to know what suspension and what remission is ? I think he knows it.

श्री मूलचन्द डागा : आपके यहां कोई सस्पेन्शन एक्ट में नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको इसके लिये कई रूल्स देखने होंगे। सस्पेन्शन किस हालत में कर सकते हैं, यह सब साफ है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सस्पेन्शन सरकार अपने आप करती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां अकाल आदि होते हैं वहां पर सामुहिक कार्यवाही होती और जहां पर्टिक्युलर खेत में नुकसान होता है तो पर्टिक्युलर काश्तकार को दरख्वास्त देनी होती है।

श्री मूलचन्द डागा : सामुहिक कार्यवाही किस-किस हालत में होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसे कहीं अकाल पड़ा हो या टिड्डी पड़ गई हो, तो ऐसी हालत में सामुहिक कार्यवाही की जाती है।

Page No.3

श्री पी० के० चौधरी : सस्पेन्शन के रूल्स आप बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon'ble Member may refer to the Act and the Rules himself.

श्री अध्यक्ष : You can please refer to it and then you can ask for it.

(विराम)

नेक्स्ट, श्री पी० के० चौधरी ।

विधान सभा के सदस्यों से राज्य कर्मचारियों के मिलने पर प्रतिबन्ध

६१. **श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :** Will the Chief Minister be pleased to state :

Is it correct that the Government has imposed restrictions on Government servants in meeting M L. As, ?

राजस्वमन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : जी नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the Chief Secretary to Government has issued a letter on the 21st October, 1957, No,F. 24 (69)- Appoints- /A/57 ? Is it correct ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Which is that letter ?

श्री पी० के० चौधरी : I am giving the number and date of that letter.

श्री दामोदरलाल व्यास : You can ask a separate question. It is not possible for me to tell you off-hand.

श्री श्रीभानसिंह : Did that letter contain such an indication that officers should not go and meet the M. L. As. ?

श्री दामोदरलाल व्यास : There is no such letter, there is no such rule, there are no such orders.

श्री श्रीभानसिंह : Then do I take it that the Hon'ble Minister is categorically denying the existence of such a letter from the Chief Secretary to the officers ?

श्री दामोदरलाल व्यास : So far as the letter is concerned, I can not say off-hand because I do not know what the letter is.

श्री श्रीभानसिंह : But this House is not to suffer for your ignorance.

श्री पी० के० चौधरी : We are asking whether such a letter was issued by the Chief Secretary or not ?

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble Member should put a separate question; then only he can say.

श्री पी० के० चौधरी : I only wanted to know whether the Government have instructed the Government servants not to contact the M. L. As.

श्री अध्यक्ष : To that the Hon'ble Minister says ' No ' and then you give the number and date of a letter, to which he pleads ignorance.

Page No.4

श्री पी० के० चौधरी : My question is clear whether the Government have issued any letter ?

श्री अध्यक्ष : Then why do you hide all the relevant facts in the question ? Why do you not mention it in the question itself ? You do not do that and you want to take them by surprise and take them in a way in which they are not prepared. The result is that the House is left without any information.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : यह तो चीफ सेक्रेटरी का सक्युर्लर है, न कि किसी पटवारी द्वारा इश्यू किया गया है। हो सकता है कि पटवारी द्वारा निकाले हुए सक्युर्लर का इनको पता नहीं हो, मगर चीफ सेक्रेट्री के सक्युर्लर का तो पता होना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : चीफ सेक्रेटरी द्वारा कई चिट्ठियां लिखी जाती हैं, उन सब का इनको ध्यान होना मुश्किल है। इस पर भी माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई इन्स्ट्रक्शन्स नहीं हैं। यह भी हो सकता है कि उनके नोटिस के बगैर भी कई चिट्ठियां निकल सकती हैं। अगर आप किसी पर्टिक्युलर लेटर के बारे में इनको बताते तो ये जवाब दे सकते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : सरकार अपनी नीति इस मामले के बारे में बता सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकारी अफसरों को एम० एल० एज़ से मिलने की कोई मुमानियत नहीं है, मैं अर्ज कर चुका हूँ।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं तो सरकार की नीति का प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या इस प्रकार का कोई पत्र है ?

श्री अध्यक्ष : जो माननीय मंत्री कहते हैं वही नीति है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार इस बारे में जानकारी करके बतायगी ?

श्री अध्यक्ष : Certainly he will refer to it.

श्री जनार्दनराय नागर : क्या इस प्रकार का पत्र सरकार विड्रॉ करने के लिए तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : There cannot be any hypothetical question like that, that if there is a letter like that......

श्री पी० के० चौधरी : I have already quoted the number and date of circular letter.

श्री दामोदरलाल व्यास : what is that?

श्री अध्यक्ष : Next question, Shri Dayakrishna Vijay.

हरिजन छात्रावास, भीमगंज मंडी

६२ **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा स्टेशन भीमगंज मंडी में स्थित हरिजन छात्रावास में गत वर्ष कितने विद्यार्थी रहे ?

(२) इन छात्रों पर सरकार की ओर से कितना रुपया गत वर्ष व्यय किया गया ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय):(१) भीमगंज मंडी में कोटा स्टेशन स्थित हरिजन छात्रावास में गत वर्ष ३८ विद्यार्थी रहे हैं।

(२) इन पर राज्य सरकार की ओर से २१,०५८) की धन राशि व्यय की गई थी।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस छात्रावास में जो ३८ विद्यार्थी रहे, क्या वे सब हरिजन ही थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हरिजन छात्रावास है तो हरिजन ही होने चाहिये।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह पूछना चाहता हूं कि हरिजन छात्र ही उसमें रहे या दूसरे भी रहे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है, हरिजन तो होने ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : क्या रूल्स के मुताबिक और भी रह सकते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी अभी हमने सुविधा दी है, इस वर्ष से मिले-जुले छात्र भी रह सकते हैं ?

श्री दयाकृष्ण विजय : जब सरकार की नीति इस प्रकार की है तो फिर हरिजन नाम क्यों रखा जाता है,केवल सामान्य नाम छात्रावास ही क्यों नहीं रखा जाता ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दोनों बातें हो सकती हैं, हरिजन छात्रावास में हरिजनों के अलावा सवर्ण छात्र भी रह सकते हैं और दूसरे छात्रावासों में हरिजन छात्र भी रह सकते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : तो वैसी हालत में जो हरिजन छात्रों को सुविधा मिलती है क्या वे सुविधायें सवर्णों को भी दी जाती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जहां तक खर्च की सुविधा देने का प्रश्न है वह तो सिर्फ हरिजन छात्रों को ही दिया जाता है, सवर्णों को नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : तो फिर सरकार को हरिजन नाम रखने में आग्रह क्यों है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहले से ही यह चला आ रहा है, इसमें आग्रह की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

चद्दरें व सीमेन्ट का कोटा-जिला टौंक

६३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या उद्योग एवं व्यवसाय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) टौंक जिले में सन् १९५६–५७–५८ में तहसीलवाइज़ नालीदार चद्दरें और सीमेन्ट का कोटा कितना निर्धारित था ?

(ख). उक्त कोटा किसके नाम पर था और तहसील वाइज़ कितना कितना वितरित किया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि सन् १९५७ में अतिवृष्टि के कारण तहसील उनियारा के कई गांवों में काश्तकारों के मकान गिर गये थे ? अगर हां, तो उनको कितनी चद्दरें दी गईं ?

(घ) क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट से

(श्री अध्यक्ष)

खास कर जिन काश्तकारों के मकान मिसमार हो चुके थे, उनके लिए स्पेशल ७०० चद्दरों की मन्जूरी हुई थी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) टौंक जिले में सन् १९५६-५७-५८ में तहसील वाइज नालीदार चद्दरों व सीमेन्ट का जो कोटा निर्धारित था, उसकी विगतवार सूची संलग्न है।

(ख) उक्त कोटा में जो नाम एग्रीकलचर का था वह तो कलेक्टर टौंक के नाम से था और एग्रीकल्चर का कोटा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के नाम से था। तहसीलवाइज़ जो कोटा वितरित किया गया, जिसकी सूची प्रश्न (क) के उत्तर में दी जा चुकी है।

(ग) हाँ। उनियारा के काश्तकारों को डिपार्टमेन्ट एग्रीकल्चर द्वारा अतिवृष्टि से मकानों के गिरने के कारण सन् १९५७ में ३२० चद्दरें दी गई थीं।

(घ) नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर द्वारा ७०० चद्दरें देने का आदेश हुआ था तब उणियारा तहसील के लिये तो ३२० ही चद्दरें क्यों दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास सूचना है उसके अनुसार ३२० दी गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ३२० चद्दरें दी गई। सीमेंट दिया गया या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है उसमें सब दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : किस किस को नहीं मिला, आप बता दीजिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मुझे ही नहीं मिला।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो सूची सदन की मेज पर रखी है उसमें सब दिया हुआ है कि किस किस को दिया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं यह निवेदन करता हूँ कि सब के मकानात पड़ गये, वहां ३२० चद्दरों से क्या होगा ? काश्तकार बेचारे टापड़िया वगैरह बनाकर रह रहे हैं, उणियारा तहसील के आदमी।

श्री दामोदरलाल व्यास : This is my information that 320 sheets were given. डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर द्वारा सन् १९५७ में ३२० चद्दरें दी गई। अगर आप मेरे इस स्टेटमेन्ट को चेलेन्ज करते हैं तो मैं जानकारी करके सदन को बतलाऊंगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह जो चद्दरें और सीमेन्ट का कोटा है वह टौंक से वितरित होता है, तहसीलों में आप क्यों नही भेज देते ? टौंक में तो ये चीजें गुम्बजगर्द हो जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

धौलपुर उपजिले के गांवों को आग लगने पर सरकार द्वारा सहायता

९४. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या राजस्व मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) धौलपुर उपजिले में इस वर्ष किस

Page No.7

(श्री बहादुरसिंह)

किस गांव में आग लगी तथा कितने धन व जन की हानि हुई ?

(२) उक्त ग्रामों में सरकार द्वारा क्या क्या तकावी वितरित की गई और क्या क्या सहायता और दिये जाने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) धौलपुर उपजिले के २० ग्रामों में इस वर्ष अग्निकांड हुए जिसमें ३०५,४४३) रुपये की अनुमानतः हानि हुई तथा ६ व्यक्ति मरे, २ घायल हुए तथा १५ मवेशी जले।

(२) जिन ग्रामों में भीषण अग्निकांड हुआ है और जहां जांच पर रिलीफ व तकावी वितरित किया जाना आवश्यक समझा गया वहां पर रिलीफ एवं तकावी वितरित जा चुकी है। साधारण अग्निकांडों में कोई रिलीफ व तकावी देना उचित नहीं समझा गया और न अग्निपीड़ितों ने ही किसी मदद की इच्छा प्रकट की। इस तरह १४ ग्रामों में १४,१६३) रुपये रिलीफ व २६,६००) रुपये तकावी ऋण स्वीकार करके वितरित किये जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बाल-विकास मंडल, जैसलमेर

६५. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जैसलमेर में बाल विकास मंडल नाम की कोई संस्था काम करती है ? यदि हां,तो संस्था की क्या प्रवृत्तियां हैं व उसकी स्थापना कब हुई ?

(२) वहां गांधी बाल मन्दिर कब से चलता है ? उसकी छात्र संख्या कितनी है ?

(३) क्या उक्त मंडल को सरकार की ओर से समुचित सहायता मिलती है ?

उप-शिक्षामंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(१) जी हां। इसके अन्तर्गत गांधी बाल वाचनालय एवं गांधी बाल मन्दिर के नाम से दो प्रवृत्तियां चल रही हैं। बाल विकास मंडल की स्थापना २-१०-१९५५ को हुई।

(२) दिनांक २-१०-५५ से चल रहा है तथा १२१ छात्र हैं।

(३) सन् १९५६-५७ में ३१५ रु० तथा सन् १९५६-५८ में १,४०० रु० सहायता दी गई है।

डॉ० चन्द्रकला : बाल विकास मंडल को जो सहायता दी जाती है, क्या वह ग्रान्ट-इन-एड के जो नियम बने हुए हैं, उनके अनुसार दी गई है या इसमें थोड़ी विशेषता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसी के अनुसार ही होनी चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला : राजस्थान सरकार कुछ संस्था विशेष को नियमों का अपवाद करके भी सहायता दिया करती है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नियमों का अपवाद करके तो सहायता नहीं दी जाती, लेकिन जहां नियमों को अमेन्ड करने का होता है वहां नियम अमेन्ड करके सहायता दी जाती है।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूँ कि कुछ संस्थाएं ऐसी

(डॉ० चन्द्रकला)

हैं जिनकी विशेषता को स्वीकार करके सरकार सहायता देती है क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कहा कि विशेष स्थिति का प्रश्न नहीं। जिसको सहायता देना उचित समझते हैं दी जाती है।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या नियमों का अपवाद करके भी विशेष तौर से किसी संस्था को सहायता या सुविधा देते हैं क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नियमों को तोड़ कर तो दी नहीं जा सकती। नियमों में संशोधन करके सहायता जिसको देना उचित समझा जाता है उसे दी जाती है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार कुछ संस्थाओं को इस लायक समझती है कि उनको विशेष सहायता और सुविधायें दी जायं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : विशेषता तो कभी नहीं दी गई।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह स्कूल मोन्टेसरी पद्धति पर चलता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मुझे पता नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या जिनको सहायता दी जाती है उनके हिसाब की जांच भी होती है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बराबर होती रहती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस संस्था के हिसाब की कब कब जांच की गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके लिये पृथक् से प्रश्न पूछें तो बताया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

किराये के मकानों में सरकारी कार्यालय

९६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

जयपुर शहर में कितने सरकारी कार्यालय किराये के मकानों में स्थित हैं तथा उनका कितना किराया है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जयपुर शहर में जितने सरकारी कार्यालय किराये के मकानों में स्थित हैं उनकी एक सूची सदन की मेज पर रख दी है। उनका किराया भी सामने दिखा दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

आबू में सरकारी इमारतें

९७. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में आबू मिलने पर सरकार के अधीन कितनी और कौन सी इमारतें आई हैं ?

(२) क्या कुछ इमारतें केन्द्रीय सरकार के कब्जे में हैं ? अगर हां, तो कौन कौन सी ?

(३) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अधीन इमारतों को अपने अधिकार में लेने की कोई कार्यवाही की ?

(४) क्या सरकार आबू में इमारतों की कमी महसूस करती है ?

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(५) क्या यह सही है कि सरकार ने आबू के विलीनीकरण के बाद प्राइवेट इमारतें खरीदी हैं ? अगर हां , तो वह किस किस की और कितने कितने मूल्य में ?

(६) क्या सरकार ने किराये पर इमारतें ले रखी हैं ? अगर हां, तो किस किस की और कितने कितने किराये पर ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब सार्वजनिक निर्माण मंत्री अपनी टर्न पर देंगे ।

चर्म उद्योग विद्यालय, धौलपुर

६८. श्री बहादुर सिंह (धौलपुर) : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या धौलपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा चर्म उद्योग विद्यालय स्थापित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्च हुआ व इसकी क्या स्थिति है ?

(२) उक्त विद्यालय में कितने शिक्षणार्थियों ने शिक्षा प्राप्त की तथा कितने को प्रमाणपत्र दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्तमंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) हां, उस पर कुल ८०४६ रुपये व्यय हुए, जिसका विवरण इस प्रकार है :

१९५४-५५—४,६२०रु; १९५५-५६—३०७३ रु; १९५६-५७—३५३ रु.

यह चर्म उद्योग धौलपुर में ५-७-५४ से १७-७-५६ तक चलता रहा, किन्तु छात्रों की पर्याप्त संख्या के अभाव के कारण सन् १९५६-५७ में उसका डीग में स्थानान्तरण कर दिया गया और आज उसकी प्रगति संतोषजनक है ।

(२) उक्त विद्यालय में १९५४-५५ में ११ व १९५५-५६ में ७ छात्रों ने शिक्षा प्राप्त की । छात्रों द्वारा पूरा कोर्स समाप्त नहीं करने के कारण प्रमाणपत्र नहीं दिये जा सके ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह छात्रों के अभाव के कारण बन्द हुई या राज्य सरकार ने इन्स्ट्रक्टर्स के ट्रान्सफर कर दिये इस कारण ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : छात्रों के अभाव के कारण ।

डॉ० बहादुरसिंह : इस वक्त कितने छात्र हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १७ हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उनके लिये जिन वस्तुओं की जरूरत है, वे भी वहां हैं या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी तो इस समय मुझे नहीं है, पर होनी चाहिये ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि दस दिन पहले मैंने देखा है कि विद्यार्थी बैठते हैं, पर सामान कुछ नहीं है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं इसकी जानकारी कर लूंगा ।

श्री दयाकृष्ण विजय : चर्म उद्योग शिक्षणालय में सीखे हुए विद्यार्थियों को

(श्री दयाकृष्ण विजय)

स्थायी रूप से जमने के लिए क्या सरकार सहायता भी देती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सहायता तो विद्याध्ययन के लिये दी जाती है।

श्री सूबेदारसिंह : चर्म-उद्योग में क्या-क्या तालीम दी जाती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चमड़े की सफाई, रंगाई, जूते बनाना, यह सब दी जाती है।

श्री पी० के० चौधरी : बूट पॉलिश की भी तालीम दी जाती है ?

(हंसी)

श्री सूबेदारसिंह : यह शिक्षण की सहूलियत जनता की मांग पर दी जाती है या अपनी इच्छा से सरकार देती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जनता की मांग पर भी दी जा सकती है, कार्यकर्त्ताओं के सुझाव पर भी दी जा सकती है।

श्री सूबेदारसिंह : अगर धौलपुर में चर्म-उद्योग शिक्षणालय रखने को वहां की जनता तैयार हो तो क्या सरकार वहां खोलने को तैयार है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मांग होने पर विचार किया जा सकता है।

श्री सूबेदारसिंह : मांग का क्या तरीका होगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लिख कर भेज दें। विद्यार्थी हैं, उनके अभिभावक हैं, कार्यकर्त्ता हैं, जनता है उनकी तरफ से जानकारी मिलनी चाहिये।

श्री सूबेदारसिंह : मांग बराबर जारी रही, पर फिर भी चर्म-उद्योग बन्द कर दिया वहां से ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो मैं मानता हूँ सही नहीं है। उन्होंने कहा वह सही नहीं है। जब संख्या निरन्तर घटती गई तो फिर मांग का सवाल ही नहीं पैदा होता।

श्री गोवर्धनसिंह केन : क्या यह सही नहीं है कि वहां से सामान चोरी हो गया था ? तमाम सामान चोरी से निकल गया था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मुझे नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस संस्था के स्थानान्तरण के समय विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने कहा न कि ७ थी।

मनोरंजन मिडिल स्कूल, जयपुर

९६. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मनोरंजन मिडिल स्कूल, जयपुर की कार्यकारिणी समिति है ? यदि हाँ, तो इसके कौन कौन सदस्य हैं ?

(ख) क्या शिक्षा विभाग द्वारा कभी इस स्कूल का निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट आई ?

(डॉ० चन्द्रकला)

(ग) क्या यह सच हैं, कि स्कूल में बड़ा गड़बड़ घोटाला है ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हाँ । निम्नलिखित सदस्य हैं :

(१) श्री अवनीकुमार मुखर्जी, भूतपूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा, अध्यक्ष ।

(२) उपाध्यक्ष : श्री इन्द्रलाल शास्त्री ।

(३) मंत्री : श्री नमोकारमल जैन ।

(४) सदस्य : श्री ज्ञानचन्द, श्री दीनानाथ शर्मा, श्री हरिसिंह, श्री कपूरचन्द, श्री विद्या प्रकाश काला, श्री राजेन्द्रशंकर ।

(ख) उप-निरीक्षक द्वारा अनौपचारिक रूप से निरीक्षण किया गया था, मगर हाल ही में इस संस्था का निरीक्षण औपचारिक रूप से किया गया है । चैकिंग जो बाकी रह गया है, किया जा रहा है । रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है ।

(ग) निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर सही हालात मालूम हो सकेंगे ।

डॉ० चन्द्रकला : इस स्कूल की कार्य-कारिणी कब बनी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या इसकी सूचना देने की कृपा करेंगे कि यह कार्यकारिणी प्रश्न पूछने के बाद बनी या पहले ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पहले से बनी हुई है ।

डॉ० चन्द्रकला : यह औपचारिक निरीक्षण कब किया गया ? कौन सी तारीख को किया गया ? शाम के समय चाय पार्टी के रूप में हुआ या किसी और रूप में ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो जानकारी करने का उपयुक्त समय होता है उस समय हुआ होगा ।

डॉ० चन्द्रकला : यह किस आधार पर आप कहते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई ; अपनी सूचना के आधार पर ।

डॉ० चन्द्रकला : तारीख कौन-सी है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तारीख याद नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : अगर आपके पास तारीख नहीं है तो फिर उसकी औपचारिक निरीक्षण की रिपोर्ट आपके पास कैसे आई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेरे पास सूचना है, तारीख नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सूचना में तो तारीख बहुत रिलेवेन्ट है ।

श्री पूरनचन्द बिश्नोई : हमारे पास जितनी सूचना थी दे दी । इसके बारे में सवाल पूछो तो उसका अलग से जवाब दिया जा सकेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप सही-सही बात ही कह दीजिये न कि प्रश्न पूछने के बाद औपचारिक निरीक्षण किया गया ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं ।

डॉ० चन्द्रकला : उस संस्था के वेतन क्रम, काम के घन्टे वगैरह एजुकेशनल कोड के अनुसार हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह इस प्रश्न के दायरे के बाहर की चीज है। इसको अगर वे पहले इस रूप में पूछते तो जवाब दे सकता था। पूरक प्रश्न से अलग सवाल है यह। मैं तो इससे सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : भविष्य में आप औपचारिक जांच करावें तो इस बात का ध्यान रखें।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : नाम मनोरंजक है तो शिक्षा भी मनोरंजक ढंग से दी जाती है या शिक्षा पद्धति मनोरंजक है ?

श्री पूमनचन्द बिश्नोई : मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने ?

श्री अध्यक्ष : यह मनोरंजक विशेष प्रकार की कोई शिक्षा-पद्धति है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसी शिक्षा-पद्धति तो कोई नहीं है। नाम है यह तो।

श्री पी० के० चौधरी : यह नाम क्यों रक्खा गया ?

(कोई उत्तर नहीं)

डॉ० चन्द्रकला : इसकी निरीक्षक की रिपोर्ट क्या है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने मेरा उत्तर सुना नहीं। कई मुद्दे पूरे कर लिये गये हैं, सारे मुद्दे पूरे होने पर रिपोर्ट पेश होगी।

डॉ० चन्द्रकला : जब निरीक्षण एक बार हो गया और आगे निरीक्षण चल रहा है तो उस एक बार निरीक्षण होने की भी तो कोई न कोई रिपोर्ट आई होगी, जिस पर आगे निरीक्षण जारी रक्खा गया होगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : रिपोर्ट तैयार हो रही है, हुई नहीं है। ऑडिटिंग हिसाब का करना, सारे कागज देखना यह सब तो एक दिन या एक घण्टे में नहीं हो सकता। रिपोर्ट तैयार होकर आ जावेगी उस वक्त आप कहेंगे तो रिपोर्ट पेश की जा सकेगी।

डॉ० चन्द्रकला : निरीक्षण की डेली रिपोर्ट बनती है, वह कहाँ है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह तो उस दिन की कार्यवाही हो सकती है। उसे पूरी फाइनल रिपोर्ट नहीं कह सकते।

डॉ० चन्द्रकला : उस दिन की कार्यवाही की रिपोर्ट को क्या सदन की जानकारी के लिये दे सकते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं)

भाखरा योजना के अन्तर्गत जमीन की सिंचाई

१००. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भाखरा योजना के अन्तर्गत कुल कितनी एकड़ जमीन सिंचित करने की सम्भावना है? सन् १९५७–५८ तक कुल कितने एकड़ जमीन में आबपाशी हुई ?

(ख) उपरोक्त सिंचित की जाने वाली जमीन में से कितनी सरकारी खाली जमीन

Page No.13

(श्री भीमसेन)

है, कितनी काश्त पर दी हुई है तथा कितनी मालिकों अथवा खातेदार किसानों के कब्जे में है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) भाखरा योजना के अन्तर्गत कुल ६,३७,८४६ एकड़ भूमि के सिंचित किये जाने की सम्भावना है। सन् १६५७–५८ तक ४,४८,६८२ एकड़ भूमि सिंचित हो चुकी है।

(ख) सरकारी भूमि ३,०८,८२६ एकड़ है, जिसमें से कुछ भाग उन्नति कार्य मौमियान, गाडोलिया, लोहारान आदि के लिये सुरक्षित है। सरकारी भूमि खाली नहीं रहती क्योंकि वह अस्थायी काश्त पर दे दी जाती है। यह भूमि धीरे धीरे भूमि-हीन किसानों व अन्य कार्यों के लिये स्थायी तौर पर वितरित की जा रही है।

इस क्षेत्र में ६,२६,०२३ एकड़ भूमि मालिकों व मोरूसी जमीदारों के अधिकार में है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि सरकार नीलाम के द्वारा यह जमीन अलॉटमेंट के लिए दे रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, कुल जमीन नहीं, पर वह जमीन जो पहले रिज़र्व रक्खी गई थी और जिसकी अब आवश्यकता नहीं, उसको नीलाम किया जा रहा है ?

श्री भीमसेन : क्या सरकार खाली जमीन को मुफ्त बांटने का विचार रखती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके लिये नियम बने हुए हैं और उनकी तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री दयाकृष्ण विजय : चित्तौड़ में गडिया लुहारों को बसा दिया गया है, उनको फिर बसाना रह गया है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बाकी बचे हुओं को अलॉट किया जा रहा है।

धौलपुर स्टेट बैंक

१०१. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या मुख्य मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या भूतपूर्व धौलपुर राज्य के समय का धौलपुर स्टेट बैंक सरकार के नियन्त्रण में है ?

(ख) यदि हां, तो उसके कर्मचारियों का वेतन कब तक का चुकाया गया है ? यदि बकाया है तो क्यों ?

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार इस बैंक पर अपना अधिकार नहीं रखना चाहती ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) नहीं, किन्तु बैंक के हित को सुरक्षित रखने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ख) लगभग सब ही बैंक के कर्मचारियों को अप्रेल १६५८ तक वेतन चुकाया जा चुका है। शेष को भारत सरकार की अनुमति के अनुसार चुकाने की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री सूबेदारसिंह : आज्ञा कौन देगा ? उनका वेतन कौन चुकावेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बैंक को राजस्थान सरकार ६०००) रुपया का कर्जा दे रही है भारत सरकार की इन्स्ट्रक्शन के मुताबिक। इसमें तनख्वाह चुकाई जावेगी।

श्री सूबेदारसिंह : बैंक की सम्पत्ति जो है, उसका क्या होगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बैंक के पास कैश बैलेन्स कुछ नहीं है।

श्री सूबेदारसिंह : बैंक के इन कर्मचारियों को क्या सरकार अपने विभागों में नौकर रखने को तैयार है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

श्री सूबेदारसिंह : उनका क्या होगा, पेंशन मिलेगी, प्रोविडेन्ट फण्ड मिलेगा या निकाला जावेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वे बाद में एप्लाई करें तो उसके जवाब में कार्यवाही की जा सकती है। अभी निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता, गुंजाइश होगी लेने की तो लिया जा सकता है।

कोटा के मन्दिरों के लिए भोग का सामान

१:२. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या मंत्री, देवस्थान विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) सन् ५८–५६ में कोटा देवस्थान के लिए सामान सप्लाई करने का ठेका किस फर्म को किन किन शर्तों पर दिया गया ?

(२) क्या इस कॉन्ट्रेक्ट की तहत उक्त फर्म से कुछ सेफ डिपोज़िट भी रखवाया गया ?

(३) क्या यह सही है कि बिना किसी कारण के व बिना नोटिस दिये ही ४ महीने बाद उक्त फर्म का कॉन्ट्रेक्ट समाप्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) उक्त ४ माह में उस फर्म ने कितने रुपयों का माल सप्लाई किया ? क्या उक्त फर्म को इस रकम का पेमेन्ट कर दिया गया ?

(५) क्या यह भी सही है कि उक्त फर्म ने सामान के भाव के जो टेन्डर्स दिये थे, वे बाजार भाव से भी बहुत नीचे थे ?

मंत्री, देवस्थान विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सन् ५८–५६ का ठेका किसी के नाम स्वीकृत नहीं हुआ किन्तु मन्दिरों के भोग का सामान बाजार से कम्पीटीटिव रेट्स पर खरीदा गया।

(२) कॉन्ट्रेक्ट तो कोई हुआ नहीं, किन्तु टेन्डर्स मंगवाये गये थे और जिस व्यापारी की रेट ठीक थी उससे सामान खरीदा गया अतः उसकी अर्नेस्ट मनी ३०००) रु० डिपोज़िट जमा है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) १६५८–५६ के प्रथम चार माह में सामान मेसर्स छगनलाल गेंदीलाल से १४,६५३.५१ नये पैसे का लिया गया। इसका पेमेन्ट हो गया है।

(५) जी हां। इसलिए इस फर्म से सामान खरीदा गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब कोई कॉन्ट्रेक्ट नहीं हुआ तो ३,००० रुपये सेफ डिपाज़िट में रखने का क्या कारण था ?

Page No.15

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी वजह यह है कि टेन्डर्स इन्वाइट किये गये और मैसर्स छगनलाल गेंदीलाल का टेन्डर सबसे नीचे की रेट का आया था, लेकिन कुछ खामियां रह गई थीं, इसलिए फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने और दूसरे टेन्डर्स इन्वाइट करने के लिए कहा। दूसरी बार में कोई टेन्डर्स नहीं आये और टेन्डर्स नहीं आने के कारण कम्पीटीटिव रेट्स के ऊपर जिसकी सबसे कम रेट थी उसी से सामान खरीदा गया और उसी को टेन्डर दिया गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब आपका कॉन्ट्रेक्ट नहीं हुआ तो फिर ३,००० रुपया सेफ डिपोज़िट में क्यों रखा गया, मेरा यह पूछना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो हमारे और उनके बीच में रज़ामन्दी की बात थी, कोई फोर्स नहीं किया गया। फिर हमें सामान भी तो उसी से खरीदना था।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब आपका कॉन्ट्रेक्ट समाप्त हो गया, फिर भी उसी फर्म से सामान खरीदा जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्योंकि उस रेट से कम में देने के लिए कोई तैयार नहीं था।

श्री श्रीमानसिंह : Was this mutual understanding off the record?

श्री दामोदरलाल व्यास : This is within the record, nothing off the record.

श्री दयाकृष्ण विजय : जब वह सस्ते भाव पर देने के लिए तैयार था तो उसको बीच में रोकने का क्या कारण था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्योंकि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने कुछ खामियां टेन्डर्स में बताई थीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : वे क्या खामियां थीं, कृपया बता दीजिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह डिटेल्स तो मेरे पास नहीं हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह तो रिलेवेन्ट क्वेश्चन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिलेवेन्ट क्वेश्चन है सो तो ठीक है, मगर यह तो डिटेल्स की बात है। हो सकता है टेन्डर्स की टर्म्स में कुछ गलती रह गई हो या पेश करने में गलती रह गई हो। इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि किसमें गलती रह गई ?

श्री दयाकृष्ण विजय : पहले तो चालू किया गया, फिर क्यों रोका गया ?

श्री दमोदरलाल व्यास : जब टेन्डर्स किसी के मन्जूर पहली बार में नहीं हुए और दुबारा टेन्डर्स इन्वाइट किये गये तो उस बीच में भोग का इन्तजाम करना पड़ा था और जब रेट्स कम थीं तो उसी से खरीदा गया।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

कोलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट में तबादले व नियुक्तियाँ

१०३. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर) **:** क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर डिवीज़न में कोलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट में कितने नायब तहसीलदार

(श्री भीमसेन)

व तहसीलदार उक्त कार्य का तजुर्बा रखते हैं ?

(२) वर्तमान डिवीज़नल कमिश्नर ने उक्त डिपार्टमेन्ट में उक्त श्रेणी के किन-किन व्यक्तियों की नई नियुक्तियां तथा वहां के अन्यत्र तबादले किये अथवा तबादला करने की सिफारिश की ?

(३) वर्तमान कमिश्नर ने पद सम्भालने के बाद कोलोनाइजेशन, रेवेन्यु तथा फेमिन डिपार्टमेन्ट में उपरोक्त पदों पर किन-किन व्यक्तियों की नई नियुक्तियां कीं अथवा तरक्की के आदेश दिये ? उनमें से प्रत्येक की शैक्षणिक योग्यता तथा तजुर्बा क्या है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सभी नायब तहसीलदार और तहसीलदार जो इस समय कार्य कर रहे हैं अनुभवी हैं ।

(२) कुल ८ व्यक्तियों के ।

(३) यही ८ व्यक्तियों, के जिनके नाम इस प्रकार है :—

नई नियुक्तियां

(तरक्की द्वारा अथवा प्रथम नियुक्ति)

१. श्री सुगनसिंह, तहसीलदार, बी० ए०, एल-एल० बी० २०–११–५७, बैटरमेन्ट लेवी, हनुमानगढ़ ।

२. श्री नरेन्द्रसिंह, नायब तहसीलदार, बी० ए०, एल-एल० बी० १७–१०–५७ अलॉटमेन्ट, हनुमानगढ़ ।

३. श्री अमरसिंह, नायब तहसीलदार, मैट्रिक फेल, ५–१२–५७, बैटरमेन्ट लेवी, हनुमानगढ़ ।

४. श्री पृथ्वीसिंह, नायब तहसीलदार, बी० ए० फैल, २–६–५८ तहसील अनूपगढ़ ।

तबादले

५. श्री जसवन्तसिंह, तहसीलदार, राजस्थान कैनाल उपनिवेशन, तहसील तारानगर, १०–६–५७.

६. श्री ओमप्रकाश, तहसीलदार, भाखरा कैनाल उपनिवेशन, पी० ए० टू कमिश्नर, ११–१२–५७.

७. श्री रामेश्वरसिंह, नायब तहसीलदार, भाखरा कैनाल उपनिवेशन, रेवेन्यु विभाग, गंगानगर जिला, १६–५–५८.

८. श्री आत्माशरण, नायब तहसीलदार, भाखरा कैनाल उपनिवेशन, रेवेन्यु विभाग, गंगानगर जिला, १६–३–५८ ।

श्री भीमसेन : ये अपॉइन्टमेन्ट्स किये हैं, उनका हक कमिश्नर को है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हाँ, उनको हक था ।

श्री भीमसेन : ये जो अपॉइन्टमेन्ट्स में इर्रेग्युलेरिटीज़ हुई हैं, क्या सरकार उनकी जांच करने के लिए तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से अपॉइन्टमेन्ट्स के बारे में आप बतला रहे हैं ?

श्री भीमसेन : इसमें एक नायब तहसीलदार अपोइन्ट किया है, बी० ए० फैल है; वह नायब तहसीलदार की योग्यता के अन्दर नहीं आता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह नया अपोइन्टमेन्ट नहीं है । अगर कोई ऑलरेडी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सर्विस में है तो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन्स नहीं हैं।

श्री भीमसेन : क्या इसके अन्दर रूल्स के मातहत कार्यवाही की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो ऐसी बात है कि जब तक इस डिपार्टमेन्ट में काम हैं तब तक यहां हैं और जब काम खत्म हो जायगा तो उसे रिवर्ट कर दिया जायेगा।

श्री भीमसेन : क्या इसके लिए बाकायदा कानून के अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूवल ली जायेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि जो अपॉइन्टमेन्ट्स किये गये वे रूल्स के तहत हुए हैं—and particularly when the Department itself is temporary. वह डिपार्टमेन्टल प्रमोशन दे सकते हैं।

श्री भीमसेन : इसके अलावा ऐसी लिस्ट है कि जो नायब तहसीलदार हैं, वह योग्यता के माफिक नहीं हैं, उनकी जांच करने के लिए सरकार तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर आप मुझे सूचना देंगे तो मैं अवश्य जानकारी करवाऊंगा।

प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षा की व्यवस्था

१०४. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर): क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या बीकानेर डिवीज़न में कक्षा ८ तक प्राइवेट रूप से तैयारी करके परीक्षा देने की प्रथा थी ? अगर हां, तो क्या इस वर्ष भी ८वीं कक्षा तक प्राइवेट विद्यार्थियों को परीक्षा देने के नये एजुकेशन कोड में प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक व्यवस्था करेगी ?

उप शिक्षा-मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जी हां, बीकानेर डिवीज़न में कक्षा ८ तक प्राइवेट रूप में तैयारी करके परीक्षा देने की प्रथा थी। एजुकेशन कोड में प्राइवेट विद्यार्थियों को ८वीं कक्षा की परीक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं है। पिछले वर्ष एजुकेशन कोड देरी से लागू होने के कारण बीकानेर डिवीज़न के ऐसे विद्यार्थियों को केवल उसी वर्ष के लिए प्राइवेट परीक्षा देने की विशेष तौर पर अनुमति दे दी गई थी ताकि उन्हें असुविधा न हो। इस वर्ष से आठवीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा देने की प्रथा एजुकेशन कोड के अनुसार बिल्कुल बन्द हो गई है। आठवीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा के लिए पब्लिक परीक्षा नहीं होती है।

श्री भीमसेन : क्या बीकानेर डिविज़न में जो परीक्षा प्रणाली थी उस पर पुनर्विचार करने का इरादा है, ताकि लोग आयन्दा प्राइवेटली परीक्षा दे सकें ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्राइवेट तौर से परीक्षा देना शिक्षा के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और फिर ये जो नियम बनाये गये हैं, यह विचार करके ही बनाये गये थे।

डॉ० चन्द्रकला : प्राइवेट तौर से परीक्षा देना ठीक नहीं, तो यह आठवीं कक्षा के लिए ही लागू है या दूसरी कक्षाओं की परीक्षा के लिए भी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दूसरी कक्षाओं

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

की परीक्षाएं नियमों के माफिक ही होती हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मन्त्री महोदय का यह कहना है कि और प्राइवेट परीक्षाएं ही नहीं होती हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्राइवेट होती हैं तो उनमें सरटेन केटेगरीज होती हैं। वे ही प्राइवेट परीक्षा दे सकते हैं, दूसरे सभी नहीं दे सकते।

डॉ० चन्द्रकला : तो आठवीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा नहीं देने का क्या कारण है ? जब कि वे अब तक परीक्षा देते रहे हैं और अब बन्द करने का क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह और भी दूसरी कक्षाओं के साथ है, लेकिन आठवीं कक्षा के लिए मैंने इसलिए कहा है कि आठवीं कक्षा के बारे में ही प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल की योग्यताएं

१०५. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किसी डिग्री कॉलेज का प्रिन्सिपल बनाने के लिए किन किन योग्यताओं का होना अनिवार्य है ?

(२) क्या यह सही है कि महाराणा भूपाल कॉलेज, उदयपुर के एक डिग्री हैड को बिना पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर किये ही भीलवाड़ा कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) निम्नांकित दो में से कोई एक योग्यता अनिवार्य है :

१. सीनियर अध्यक्ष डिग्री (स्नातक) विभाग जिसे ३ वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो।

२. इन्टर कॉलेज का प्रिंसिपल जो ५ वर्ष तक रहा हो।

(२) जी नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : इसमें आपके जवाब में एकेडेमिक क्वालिफिकेशन्स का तो कोई जिक्र ही नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डिग्री हैड्स वगैरह हो सकते हैं; उनके लिए क्वालिफिकेशन्स उनकी हद के अनुसार ही गिनी जाती हैं।

श्री पी० के० चौधरी : ओफिशियेटिंग डिग्री हैड्स में गिने जाते हैं क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हां, ओफिशियेटिंग भी हो सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : उनकी क्या क्वालिफिकेशन्स होती हैं ? What are the qualifications of the officiating degree Heads.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : क्वालिफिकेशन्स वही हैं जो सब्सटेन्टिव की हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सभी डिग्री हैड्स थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है।

Page No.19

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह इन क्वालिफिकेशन्स के अन्तर्गत आती थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, बिलकुल अच्छी तरह आती थीं।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

मिनिस्टीरियल स्टॉफ के मकानों की मरम्मत--शाहबाद

१ ६. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि शाहबाद (जिला कोटा) में बने मिनिस्टीरियल स्टाफ के मकानों की गत कितने ही वर्षों से मरम्मत नहीं हुई है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि इन सरकारी मकानों की मरम्मत के लिए लगभग १४००) रुपये स्वीकृत हैं, लेकिन इस रकम का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) मरम्मत सिर्फ इस साल नहीं हुई है।

(ख) सरकारी मकानों की मरम्मत के लिए १४००) रुपये स्वीकृत हुए थे, जिससे ४-५ मकानों की मरम्मत कर दी गई है।

श्री पी० के० चौधरी : लास्ट रिपेयर कब हुई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास फिगर्स नहीं हैं। सन् १९५६-५७ में १४५०) रुपये कच्चे मकानों की मरम्मत के लिए मंजूर हुए थे। इस राशि में से तहसीलदार के मकान पर ४६६.३ रुपये, नायब तहसीलदार के मकान पर ७३) रुपये, मिनिस्टीरियल स्टॉफ के मकानों के लिए ८९०) रुपये खर्च किये गये। अब तक १४५०) रुपये मकानों की मरम्मत के लिए खर्च किये गये।

श्री मूलचन्द डागा : तो मिनिस्टीरियल स्टॉफ के कितने मकानात हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नम्बर मुझे मालूम नहीं है।

राजकीय उद्योग

१०७. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Industries and Commerce be pleased to state :

(1) How many were State-owned industries at the time of the formation of Rajasthan and in which districts ?

(2) How many of them have been sold or leased out from 1949 to 1958 in each year ? Please give the name of the industries, the amount for which sold and to whom sold or leased out, viz, owner's or partners 'name or firms' name ?

(3) Why were they sold or leased out ? Kindly give reasons with balance sheet of each industry ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास उद्योग मन्त्री की अनुपस्थिति में) :

(1) 13- located in Bhilwara, Chittorgarh, Tonk, Kotah, Jaipur, Bikaner, Jodhpur, Dungarpur & Bundi Districts.

(2) This information is given in the statement placed on the table of the House.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(3) Because some of them were closed and some of them were giving decreasing profits due to competition from private undertakings. Balance sheet of each industry may be perused at page 330 and 128 to 151 of Appropriation Accounts 1955-56 and Audit Report 1957 Part II.

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : कपासन जिनिंग एन्ड प्रेसिंग फेक्ट्री क्यों बेच दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : As I said, some of them were running at a loss,

श्री श्री भानसिंह : What was the loss in the Kapasan Ginning Factory?

श्री दामोदरलाल व्यास : The figures of loss or profit, as I have said are given in the Appropriation Aocounts and Audit Reports.

श्री श्री भान सिंह : I am asking for the figures now.

श्री दामोदरलाल व्यास : They are not with me.

श्री श्रीभानसिंह : Then you can postpone the question.

श्री दामोदरलाल व्यास : If you are very keen to know, I can read out from the printed book.

रावराजा श्री सरदारसिंह : टोंक में बेची गई हैं वे कितनी बेची गई हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : That was the specific question I have asked. Why were they sold or leased out ? Kindly give reasons with balance sheet of each industry. Therefore the figures of profit and loss should be given.

श्री अध्यक्ष : He has given the reasons why the factories were sold.

श्री श्रीभानसिंह : He has not referred to the balance sheets, and I want uptodate list of the factories together with their profit and loss. I have tabled the question very clearly

"How many factories are state-owned ?"

He has said Tonk, Bharatpur, Jodhpur, etc. Then I wanted to know how many of them have been sold or leased out, he said, 'Udaipur, Bhilwara, etc. etc.' Then I wanted to know the name of the industries, the amount for which sold and to whom sold or leased out. I have asked the name of the owner, not the names of the co-operative societies. Three questions, I have asked, the balance sheets, reasons, and the profit and loss. He has not replied to these questions. He says they were running into losses. How many of them are running into losses ? He says, look up the printed book. I have asked, where the balance sheet is ? The Balance Sheet is not present.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have submitted that the reason for the selling of these factories was that they were giving us decreasing profit or deficit...

Page No.21

श्री श्रीभानसिंह : I wanted to know the deficit of each facteries sold.

श्री दामोदरलाल व्यास : Either I must be allowed to complete my statement...there should be no interruption l ke this. I have already told the Hon. member that there were three reasons for the selling of the factories. They were giving decreasing profits, they were giving losses, and as I have already said, some of them could not stand the competition from other private parties. The balance-sheet of each industry are on pages so and so of the Appropriation Accounts, the copies of which have been distributed to the Hon'ble Members. But if the Hon'ble Member is very keen, I can readout on the nexr turn.

श्री श्रीभानसिंह : What was the deficit of the Kapasan factory ?

श्री व्यास : It is given in the statement, it is not with me at present, it is printed in the Appropriation Accounts. If the Hon'ble Member wants, I can give it on any other date and give him all the information available.

श्री अध्यक्ष : We will fix up another date.

ग्राम फर्रुखाबाद की चकबन्दी

१०८. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम फर्रुखाबाद, तहसील टौंक में सन् १९४७ में टौंक स्टेट के समय में आबाद हुआ था और उसमें मेवों को आबाद किया गया था तथा स्टेट टौंक से ४०,०००) रु० उनके मकानात वगैरह के लिये दिये गये थे ?

(२) अगर हां, तो उस देह का रकबा कितने तन का कायम हुआ था और क्या उसकी चकबन्दी हो चुकी थी ?

(३) अब उस ग्राम का रकबा उस ग्राम के तन में है या कोई रद्दोबदल कर दिया गया है ? अगर बदला गया है, तो किन आधारों पर ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : माननीय अध्यक्ष, इसका जवाब मैं आज नहीं दे सकता हूँ। अगले टर्न पर दूँगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट टर्न पर दे दें।

वैदिक कन्या विद्यालय, आबू रोड को आर्थिक सहायता

१०९. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि श्री वैदिक कन्या विद्यालय, आबू रोड को बम्बई सरकार, आबू रोड का विलीनीकरण राजस्थान में होने के पूर्व आर्थिक सहायता प्रति वर्ष देती थी ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उक्त संस्था ने राजस्थान सरकार को नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रार्थनापत्र दिये ?

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह भी है कि सिरोही जिले के उप-शिक्षा निरीक्षक

(श्री मोहब्बतसिंह)

ने १९५७–५८ में ३,३००) रु० की रकम सहायता के रूप में इस संस्था को प्रदान करने की सिफारिश की थी ?

(घ) सन् १९५८–५९ में सरकार का निर्णय संबंधित संस्था को कितनी रकम सहायता के रूप में देने का है ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) संस्था ने ग्रान्ट इन एड के लिए माह दिसम्बर, ५७ में जब कि ग्रान्ट इन एड के लिए प्रार्थनापत्र देने की तारीख निकल चुकी थी, प्रार्थनापत्र दिया था।

(ग) जी हां, माह दिसम्बर १९५७ में की थी।

(घ) रेकरिंग सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रार्थनापत्र संस्था की ओर से प्राप्त नहीं हुआ। नॉन–रेकरिंग के लिये अवश्य प्राप्त हुआ है जो विचारार्थ शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को भेज दिया गया।

श्री मोहब्बतसिंह : ३,३००) रु० की सिफारिश की गई थी तो क्या संस्था को ग्रान्ट इन एड दी गई थी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं दी गई।

श्री मोहब्बतसिंह : क्यों नहीं दी गई ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उन्होंने अपना प्रार्थनापत्र कानून–कायदे के मुताबिक जैसा भेजना चाहिए था नहीं भेजा, इसलिए नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : अब कायदे मुताबिक भेजा जायगा तो दे दिया जायगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अगर कायदे मुताबिक भेजा जायगा तो साल के बाद में मिल सकता है।

श्री मोहब्बतसिंह : अगर कायदे मुताबिक उन्होंने नहीं भेजा था तो फिर सिफारिश किस बुनियाद पर डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने की थी ? उन्होंने नहीं देखा है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उनसे भी गलती हो सकती है। आगे भेज दिया गया। जहां यह मामला तय होता है, वहां पर देखा गया है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या गलती हुई थी तो डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स को हिदायत दी गई थी ताकि आयन्दा इस तरह से संस्था को सफर नहीं करना पड़े।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : गलती की तो यही सजा है कि उनको एक साल का तो मिला नहीं है और आयन्दा गलती नहीं करेंगे।

प्रश्न संख्या ११०

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १११

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

जावाल मिडिल स्कूल का हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तन

११२. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री मोहब्बतसिंह)

क्या सिरोही जिले में जावाल मिडिल स्कूल को हायर सेकन्डरी स्कूल बनाने की मांग वहां की जनता एवं भोरे की जनता ने सरकार के सामने रखी है ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार का क्या निर्णय रहा तथा कब तक उक्त संस्था को हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तित कर दिया जावेगा ?

उप-शिक्षा मंत्री(श्री पूनमचन्द बिश्नोई): ऐसा कोई प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों से प्राप्त नहीं हुआ।

अगले वर्ष में हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने के लिये रखी गई समस्त शर्तें पूरी होती होंगी तो दूसरे मिडिल स्कूलों के साथ इसको भी हायर सेकन्डरी स्कूल बनानेके प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार के ध्यान में है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जब जावाल गये थे तो उनके सामने स्कूल को हाई स्कूल में परिवर्तित करने के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किया गया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं, मेरे पास इस वक्त कोई ऐसी सूचना नहीं है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार के ध्यान में है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि अगर उनकी शर्तें पूरी करेंगे तो अगले साल विचार किया जायगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हो सकता है।

प्रश्न संख्या ११३

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)।

प्रश्न संख्या ११४

श्री बालमुकुन्द।

(अनुपस्थित)।

प्रश्न संख्या ११५

श्री भीमसिंह।

(अनुपस्थित)।

प्रश्न संख्या ११६

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)।

पाली तहसील में भेड़ व बकरियों की संख्या

११७. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) पाली तहसील में भेड़ व बकरियों की संख्या क्या है ?

(२) कौन कौन से गांवों में भेड़ बकरी नहीं हैं और क्या उन गांवों के काश्तकार अपने खेतों पर से लूंग पापड़ी लेते देते हैं ?

(३) यदि नहीं, तो भेड़-बकरी पालने वालों को अपने छोटे मेमनों के पेट भरने के लिए क्या साधन है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) भेड़ २,३६,३२३, बकरी ९७,१४१।

(२) और (३) १. पुरतारी, २. नेहड़ा, ३. हीरावास, ४. कुन्डली, ५. साकड़ावास, ६. नीम्बलाखेड़ा, ७. खाली खेड़ी, ८. गुडा गिरवावरी।

Page No.24

(श्री दामोदरलाल व्यास)

खातेदार अपनी जमीन की लूंग पापड़ी गाईकों को कीमतन बेचते हैं। पड़त भूमि यानी जागीर मौरन में काफी भूमि छोड़ी हुई है जिनमें रेवड़ के जानवरान व मेमने आसानी से चरते हैं, और कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वहां पर कोई भूमि नहीं है, जहां पर कि गडरिये लोग अपने रेवड़ को चरा सकते हों।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो नियम बनाये गये हैं उनमें आम तौर पर हिदायत की गई है कि पहले गोचर भूमि छोड़ने के बाद लैण्ड एलॉट की जाय। जहां पर जमीन उपलब्ध होती है वहां पर चरागाह के लिए जमीन छोड़ी जाती है और बाद में लैण्ड एलॉट की जाती है। इन चरागाहों पर गांवों के लोगों को जानवर चराने का हक सबको है।

श्री अनोपसिंह : जहां पर इस तरह के चरागाह नहीं छोड़े हुए हैं, वहां के पशुपालकों को आप क्या सुविधा देने को तैयार हैं? वे अब कहां जाकर मवेशी चरायेंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितनी सरकारी गैर–मकफूजा जमीन है उस पर मवेशी चरते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या उनसे घासमारी वसूल की जाती है?

श्री दामोदरलाल व्यास : घासमारी का सवाल अलग है। अलग से पूछिये।

श्री तेजाराम गहलोत : पाली जिले के जिन गांवों में गोचर नहीं था वहां पर भी सायरा लाग वगैरह सब जगह वसूल की जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सब जगह जो लाग वसूल करने का कायदा है, वह वहां भी वसूल की जाती है। जिस जमीन से लाग वसूल करने का कायदा है, उससे वसूल की जाती है। कॉमन ग्रेजिंग ग्राउन्ड हो फ्री हो सकता है।

श्री तेजाराम गेहलोत : जिन गांवों में गोचर नहीं हैं उनमें गैर-मकफूजा जमीन पर चरने के बारे में आपने फरमाया तो क्या ऐसी जमीन पर भी टैक्स देने के बाद ही मवेशी चराई जा सकती है?

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले कॉमन ग्रेजिंग ग्राउन्ड रखने की हिदायत है। एस० डी० ओ० पहले ग्रेजिंग ग्राउन्ड डिमार्केट करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जहां पर कॉमन ग्रेजिंग ग्राउन्ड नहीं हैं और सारी जमीन काश्त के नीचे है, वहाँ पर मवेशियों को चराने के लिए क्या इन्तजाम है?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके लिये कोई चारा नहीं है। स्टाल–फीडिंग की आदत डालनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : जहां पर चरागाह के लिए भूमि नहीं है और गैर–मकफूजा जमीन भी नहीं है और सब जगह मालगुजारी वसूल की जा रही है तो ऐसी हालत में मालगुजारी रोकी नहीं जायगी?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष : जहां पर चरागाह नहीं है वहां पर कॉमन ग्रेजिंग ग्राउन्ड पर भी माल-

(श्री अध्यक्ष)

गुजारी वसूल की जाती है, उसे बंद किया जायगा या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि ऐसी चीज है तो जरूर बंद की जायगी, लेकिन शर्त यह है कि उसके बारे में पूरे डिटेल्स मुझे दें ।

श्री मूलचन्द डागा : पाली तहसील में ऐसे कई गांव हैं, जहां पर काश्तकारों के पास जो जमीन है, उसमें काश्त नहीं होती और पाला, घास आदि होता है उसको मवेशियों को नहीं चरने देते, क्या इनमें मवेशियों को चरने दिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : काश्तकारों को अपनी जमीन पर का पाला, घास आदि लेने का पूरा अधिकार है ।

प्रश्न संख्या ११८

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

लैंड रिकॉर्ड्स विभाग में लॉ ग्रेजुएट इन्सपेक्टर्स

११६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जयपुर में (लैंड रिकॉर्ड्स) गिरदावर, इन्सपेक्टर्स, सैटलमेन्ट इन्सपेक्टर्स आदि में लॉ ग्रेजुएड्स कितने हैं तथा वे कितने वर्षों से काम कर रहे हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि लॉ ग्रेजुएट और जिनकी सर्विस अधिक थी, उनको नायब तहसीलदार का चान्स नहीं दिया गया और जो व्यक्ति हर तरह से जूनियर थे, उनको चान्स दिया गया ?

(ग) क्या यह भी सही है कि नये बी० ए० पास व्यक्तियों को लिया गया और तजुर्बे वालों को चान्स नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) १ रेवेन्यू इन्सपेक्टर हैं। ये ३०–६–५३ से इस पद पर कार्य कर रहे हैं । इनकी प्रथम नियुक्ति ६–१०–४२ को हुई थी । ४ सैटलमेन्ट इन्सपेक्टर हैं । ये १६–४–५४ से कार्य कर रहे हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस विषय में नियमानुसार ही कार्यवाही की गई है ।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि पुराने आदमी काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन न देकर नये लोगों को लिया गया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : (ख) के उत्तर में यह बताया गया है, कि ' जी नहीं' ।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि नये तहसीलदार लिये गये हैं पुरानों के होते हुए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अपॉइन्टमेंट और प्रमोशन के अलग अलग नियम बने हुए हैं । नयी अपॉइन्टमेन्ट। कम्पीटीटिव टेस्ट लेकर पी० एस० सी० द्वारा की जाती है और प्रमोशन्स के लिये अलग कमेटी बनी हुई है, जिसमें पी० एस० सी० के मेम्बर भी एसोसियेट किये गये हैं । प्रमोशन सिलेक्शन से होते हैं और अपॉइन्टमेन्ट डाइरेक्ट होता है ।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही नहीं है कि प्रमोशन करने से पहले नाम नहीं मांगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रमोशन के लिये कमेटी बनी हुई है जिसके चेयरमेन रेवेन्यु बोर्ड के चेयरमेन हैं ।

श्री रामकरणसिंह : जो डिपार्टमेन्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके नाम क्यों नहीं मांगे गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो ऑलरेडी डिपार्टमेन्ट में काम करते हैं, उन्हीं का तो प्रमोशन होता है ।

श्री रामकरणसिंह : जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट नहीं मांगी गई और सीनियोरिटी के हिसाब से प्रमोशन क्यों नहीं दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर माननीय सदस्य प्रमोशन के रूल्स पढ़ते तो उनको मालूम हो जाता कि पहले कमिश्नर से लिस्ट मांगी जाती है, फिर उसमें से छंटनी करके कमेटी सिलेक्ट करती है, इसलिये नाम नहीं मांगने का कोई प्रश्न नहीं है । नाम मांगे गये और जरूर मांगे जाते हैं ।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि जिनको प्रमोशन मिला उनको सीनियोरिटी के आधार पर नहीं मिला, यों ही मिला ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

प्रश्न संख्या १२०

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्राइमरी और मिडिल स्कूलें; शेरगढ़ तहसील

१२१. **श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) शेरगढ़ और फलौदी तहसीलों में सन् १९५६–५७ में कितनी प्राइमरी और मिडिल स्कूलें खोली गई तथा कहां कहां पर ?

(२) उपरोक्त स्कूलों में अनुसूचित जातियों के लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कूलों में अनुसूचित जातियों के छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है ? यदि नहीं, तो आज तक सन् १९५६–५७ से कुल कितनी धनराशि छात्रवृत्तियों में दी गई ? कृपया एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(४) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त स्कूलों में फर्नीचर की कमी है ?

उप-शिक्षा मन्त्री : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) तहसील फलौदी में एक व तहसील शेरगढ़ में ७ प्राइमरी स्कूल खोले गये थे । उपरोक्त पाठशालाओं के नाम निम्न लिखित हैं :

तहसील शेरगढ़ : बालेसर, दुर्गावतान, जेठानिया, कालान, गोपालसर, जुडिया, सियान सीरिया, भान्डू जाटी ।

फलौद तहसील : मान्डता ।

(२) लड़के १०८ और लड़कियां १७ ।

(३) जी हां, कोई धनराशि छात्रवृत्तियों में नहीं दी गई है ।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(४) जी हां।

श्री रामकरणसिंह : छात्रवृत्ति नहीं देने का कारण क्या है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जरूरत नहीं समझी गई।

लगान तहसील बैराठ

१२२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बैराठ तहसील की भूमि के लगान में वृद्धि की गई है ?

(२) यदि हां, तो क्या नये परचे बनकर तैयार हो गये हैं ?

(३) यदि नहीं, तो कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे तथा काश्तकारों को कब तक दे दिये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, इसमें 'वृद्धि' शब्द गलती से ~~छप गया है मैंने~~ ' शुद्धि ' शब्द लिखा था, इसलिये 'शुद्धि' पढ़ कर ही इसका जवाब दिया जाय।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): सवाल जिस हालत में छपा है वैसा ही जवाब यह है : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

शुद्धि के हिसाब से जवाब यह है कि इस तहसील के गांवों का रिव्यू हो रहा है। ऑर्डर दिया जा चुका है, कार्यवाही जारी है।

हाड़ोती क्षेत्र में हरिजन जातियों को सरकार द्वारा सहायता

१२३. **श्री भैरवलाल कालाबादल** (इकलेरा) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या हाड़ोती क्षेत्र में बसेड़ा, कंड़ारा, हरिजन जातियां बांस के उद्योग पर जीवन-निर्वाह करती हैं ? यदि हां, तो उनको सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जी नहीं।

श्री भैरवलाल कालाबादल : आपको कैसे मालूम हुआ कि ये जातियां इस पर गुजर-बसर नहीं करती हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकारी सूचना के आधार पर। वहां बांस ही नहीं होते हैं तो फिर गुजर करने का प्रश्न नहीं उठता।

एक माननीय सदस्य : ये जातियां तो वहां पर हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, हैं।

कुशलगढ़ विकास खण्ड में मुर्गी पालने की योजना

१२४. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला बांसवाड़ा की तहसील शेरगढ़ के बहुउद्देश्य विकास खण्ड के अधिकारियों द्वारा मुर्गी पालने की योजना को कार्यान्वित किया गया है ?

(२) यदि हां, तो वहां कितनी मुर्गियां सप्लाई की गई हैं और वे कहां से मंगवाई गई ?

Page No.28

(श्री हीराभाई)

(३) ये मुर्गियां कितनी कितनी कीमत में काश्तकारों को दी गई हैं और बाहर से किस कीमत पर खरीद की गई थीं ? क्या यह सही है कि उक्त मुर्गियां ७५ पर्सेन्ट मर गई हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(४) यदि हाँ, तो क्या सरकार इन मुर्गियों की कीमत वापिस लौटा देगी ?

(५) क्या सरकार ने मुर्गा-मुर्गियों की सप्लाई करते समय दवाओं का इन्तजाम किया था ? यदि हाँ, तो यह दवाएं किस डाक्टर को सुपुर्द की गई थीं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास कृषि मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) जी हाँ ।

(२) कुल २१५ मुर्गा-मुर्गियां सप्लाई की गईं । ये राजकीय पौल्ट्री फार्म, जयपुर से मंगवाई गई थीं ।

(३) ट्रान्सपोर्टेशन के खर्च के अलावा मुर्गा-मुर्गियां काश्तकारों को आधी कीमत पर दी गई थीं । ये ४ रु० प्रति मुर्गा-मुर्गी के हिसाब से राजकीय फार्म से दी जाती हैं; सप्लाई की गई मुर्गियों में से ७५ पर्सेन्ट के मर जाने की कोई सूचना नहीं है ।

(४) यह प्रश्न उठता ही नहीं । न ही कीमत वापिस लौटाने का कोई प्रावधान है ।

(५) काश्तकारों को सप्लाई करने से पहले ही मुर्गा-मुर्गियों को टीका कर दिया गया था । ब्लॉक में भी मुर्गा-मुर्गियों के इलाज की व्यवस्था है और दवाइयां वैटरनरी डॉक्टर व स्टॉकमैन के पास रहती हैं ।

श्री पी० के० चधौरी : ७५ पर्सेन्ट मरने की सूचना नहीं है, तो कितने पर्सेन्ट मरने की सूचना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग जगह सप्लाई की थीं, इसलिए बताना कठिन है । कौन सी जगह के बारे में आप जानकारी चाहते हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : इसकी लिस्ट तो आपके पास होगी ?

श्री हीराभाई : तो क्या यह प्रश्न झूठा है । आप किसके द्वारा जांच करवा रहे हैं, आपने कैसे जवाब दे दिया कि मुर्गियां मरी नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप किस जगह की पूछना चाहते हैं, यह बतावें ।

श्री हीराभाई : आप उस ऑफिसर से रिपोर्ट मांगते हैं तो क्या सही रिपोर्ट आती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिपोर्ट के आधार पर ही तो जवाब दिया है ।

श्री हीराभाई : किसके द्वारा जांच करवाई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, जिनसे इसका तालुक है, उनसे सूचना मंगाते हैं ।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि जिनको मुर्गियां दी गई थीं, वे सारी की सारी सुरक्षित हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सारी की सारी तो सुरक्षित नहीं रह सकतीं, उनमें से कुछ बीमार भी हो सकती हैं, लेकिन ७५ पर्सेन्ट मरने की जो बात है, वह सही नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि उनमें से ७४ पर्सेन्ट मुर्गियां मर गईं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ठीक नहीं है, इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं हुई ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या जिनको मुर्गियां दी गईं उनको मुर्गे भी दिये गये ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भैंरवलाल कालाबादल : मुर्गियां मर गईं या मारी गईं ?

(हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

एक माननीय सदस्य : ये मुर्गियां किस नस्ल की थीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हीराभाई : जब मैंने प्रश्न भेजा था, उस वक्त मुर्गियां फिर भी जिन्दा थीं। अब सिर्फ ५-१० मुर्गियां रह गई हैं, ५०० में से। आपने कहा है कि २०० है, लेकिन अब सिर्फ ५०० में से १० जिन्दा रह गई हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास जो सूचना थी, वह मैंने अर्ज कर दी ।

श्री मूलचचन्द डागा : एक अच्छी मुर्गी साल में कितने अंडे दे देती है?

(कोई उत्तर नहीं दिया)

श्री भोग जी : जिन काश्तकारों ने मुर्गियां खरीदीं, उनको पैसा वापिस लौटाया जायगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या १२५

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री भैंरवलाल कालाबादल ।

राजकीय समाज कल्याण छात्रावास

१२६. **श्री भैंरवलाल कालाबादल** (अकलेरा) : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार द्वारा कुल कितने राजकीय समाज कल्याण छात्रावास चलाये जा रहे हैं, तथा गत वर्ष उक्त छात्रावासों की संख्या क्या थी ?

(२) क्या गत वर्ष राजकीय समाज कल्याण छात्रावास, कोटा के विद्यार्थियों को जुलाई मास में पाठ्य पुस्तकें न दी जाकर फरवरी में दी गईं ? यदि हाँ, तो क्यों तथा क्या इस सम्बन्ध में हरिजन सेवक संघ, कोटा ने डाइरेक्टर, समाज कल्याण विभाग, जयपुर व मंत्री, समाज कल्याण विभाग, को लिखित में शिकायतें की थीं ? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

मंत्री, समाज कल्याण विभाग (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) सरकार द्वारा कुल ३२ राजकीय समाज कल्याण छात्रावास चलाये जा रहे हैं, तथा गत वर्ष उक्त छात्रावासों की संख्या ३० थी ।

(२) इसके दो भाग हैं । पहले का उत्तर है, नहीं । दूसरे का उत्तर है, इस सम्बन्ध में १६-६-५८ को हरिजन सेवक समाज की शिकायत आई थी, उसकी जांच की जा रही है ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : जांच कब से की जा रही है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : शिकायत आने के बाद से ।

डॉ० चन्द्रकला : ये पुस्तकें फरवरी में नहीं दी गईं तो कब दी गईं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जुलाई में दी गईं और कुछ पुस्तकें जो उपलब्ध नहीं थीं वे दिसम्बर तक दी गईं ।

प्रश्न संख्या १२७

श्री अध्यक्ष : श्री मती गंगादेवी डाटा ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीमानसिंह ।

कपड़ा मिलें

१२८. श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Industries and Commerce please state :—

1. How many cloth or textile mills are there in Rajasthan, and where are they located ?

2. How many of them are working and how many are closed and since when they are closed ?

3. What are the reasons for their remaining closed ? Did the Government ever negotiate for their working ? If so, when and on what terms ?

4. Has the Government given any loan to those mills which are working and also to those which are not working now ? If so, on what terms and conditions and agreement and at what rate of interest ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, वाणिज्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (1) There are 11 textile mills in Rajasthan located at Jaipur, Ganganagar, Kotah, Pali, Bhilwara, Beawar, Bijaynagar & Kishangarh.

(2) Of them 7 are working and 4 are closed. Dates since when they are closed are given as Under :

1. Mahadev Cotton Mills......1954.
2. Maharaja Kishangarh...Aug. 57.
3. Shri Gopal Industries.
   Kotah......June 57.
4. Bijayanagar Cotton Mills...1955.

(3) Reasons for remaining closed are :—

1. Machinery being very old Mahadev Cotton Mills, Bhilwara cannot be worked profitably.

2. Maharaja Kishangarh Mills Ltd. has gone into liquidation.

3. Shri Gopal Industries, Kotah is closed being an un-economic unit. They have obtained permission to add 4404 spindles and will re-start after adding the same.

4. Machinery of Bijaynagar Cotton Mills is old and it is clased due to some dispute and attachment. The question of Government negotiation does not arise.

(4) Rs. 75,000/- was advanced to Maharaja Kishangarh Miils on terms

Page No.31

(श्री दामोदरलाल व्यास)

and conditions mentioned in statement placed on the table of the House.

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री पी. के. चौधरी : Has the Government given any loan to the Mahadev Mills ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Six thousand to the Kishangarh Mills.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the proprietor of Mahadev Mills has been advanced five lacs ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Not to my knowledge.

श्री पी. के. चौधरी : Is it a fact that Maharaja Kishangarh Mills are in liquidation ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that Rs. 30 lacs have been advanced from Devasthan fund ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes.

श्री पी. के. चौधरी : What are the conditions ?

श्री दामोदरलाल व्यास : You can put a separate question.

श्री श्रीभानसिंह : What are the conditions for advancing 75 thousand ?

श्री दामोदरलाल व्यास : They are contained in the deed. The terms and conditions are as such :—

"The vendors to thereby covenant with the vendee and declare as follows :

That the said properties hereby transferred are free from all encumbrances, charges, claims and demands.

That the vendors as well as the Managing Agents of the vendors have now good right, power and title to convey the said property.

That the vendee shall hereafter peacefully hold use and enjoy the said properties without any hinderance, interruption, claim or demand by or from the vendors or any other person whosoever........."

श्री अध्यक्ष : You need not read the whole.

प्रश्न संख्या १२६

श्री जगदीशप्रसाद माथुर

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३०

श्रीमती गंगादेवी डाटा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

बनेटी कस्बा में हाईस्कूल

१३१. श्री रामकरणसिंह : (कोटपुतली) क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील कोटपुतली के बनेटी कस्बे में सरकार की शर्तें जनता द्वारा मानने पर भी हाईस्कूल नहीं खोला गया ?

Page No.32

(श्री रामकरणसिंह)

(२) अब उक्त स्कूल कब तक खोल दिया जायगा ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) इस वर्ष केवल माध्यमिक शाला, पावटा के स्तर को ही उन्नत किया गया है। ऐसी स्थिति में बनेटी ही क्या, अन्य माध्यमिक शालाओं को भी, जो बनेटी से पूर्व प्राथमिकता देने योग्य हैं तथा जहां कि जनता भी सरकार की शर्तें मानने को तैयार है, उन्नत नहीं किया जा सकता है।

(२) अन्य माध्यमिक शालाओं के साथ बनेटी माध्यमिक शाला के स्तर को उन्नत करने के सम्बन्ध में भी आगामी वर्ष विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल !

अग्निपीड़ितों को सरकार द्वारा सहायता शेरगढ़ तहसील

१३२. **श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या शेरगढ़ तहसील का ग्राम खीरजो अबों का वास के राजपूतों की ढाणियां तारीख १७-२-५८ को जल गईं ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त ढाणियों के जलने से २०१०) रु० व १,७१०) रु० जुमले ३७२०) रु० का नुकसान हुआ ?

(३) सरकार द्वारा ढाणियों के मालिक को कितनी धनराशि स्वीकृत की और उस धनराशि में से कितनी दी गई व बकाया कब तक दे दी जावेगी ?

राजस्वमंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :
(२) जी हां।

(३) सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि अन्य अग्निपीड़ितों को वितरित कर दी गई है। अब और धनराशि स्वीकृत की जा रही है, जिसमें इनको नियमानुसार सहायता दी जा सकेगी।

श्री सूरजमल : उनको सहायता की धनराशि कब तक दी जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि स्वीकृत करने की कार्यवाही हो चुकी है और जल्दी ही दे दी जायगी।

श्री श्रीभानसिंह : ११५।

श्री अध्यक्ष : 115, Last Qustion.

श्री दामोदरलाल व्यास : He was not present when the question was called. That question may be taken tomorrow.

१२. ६ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित हैं, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

१. श्री मोतीलाल चौधरी
दिनांक २४-१०-५८ से सत्र के अंत तक।

२. श्री महेन्द्रासिंह (६१)
दिनांक २४-११-५८ से सत्र के अंत तक।

(श्री अध्यक्ष)

३. श्री श्रीराम आसोतिया
२४-१०-५८ से ३१-१०-५८ तक।

४. श्री मोती बाबा
१. ११. ५८ से ६. ११. ५८ तक

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

१२. ८. म. प.

जिला बाड़मेर में घासमारी व पानचराई वसूल करने सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष ; श्री अनोपसिंह ने निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है :

"कि सरकार द्वारा बाड़मेर की जनता की मवेशी के लिये पर्याप्त गोचर भूमि न देने के बावजूद भी घासमारी व पानचराई लगान वसूल करने के कारण ऊन के उद्योग पर भारी नुकसान की संभावना तथा वहां के राइकों की असुविधा, परेशानी व व्यापक असंतोष से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन अपनी आज की कार्यवाही स्थगित करता है।"

जैसा कि उपरोक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि मवेशियों के लिये पर्याप्त गोचर भूमि न होने व घासमारी एवं पानचराई लगान वसूल करने के कारण ऊन के उद्योग को नुकसान पहुँचने की संभावना है। इससे यह स्पष्ट है कि यह मामला किसी अभिभान घटना से सम्बन्धित नहीं है तथा न यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इससे कितना नुकसान होना संभावित है और वास्तविक स्थिति क्या है? ऐसी दशा में मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूँ। माननीय राजस्व मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ऐसी निश्चित गोचर भूमि न होते हुए जो घासमारी एवं पान चराई लगान वसूल किया जाता है, उस पर मंत्री महोदय विचार करेंगे।

श्री अनोपसिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सामने इमीजियेट नेसेसिटी है कि वे पशुओं को चरायें कहां और कहां पशुधन को रखें? यह बात नहीं है कि इस पर दो महीने, चार महीने बाद निर्णय किया जाय और उनको राहत मिल जायगी। उनको राहत मिलने की समस्या नहीं है। उनके सामने आज नेसेसिटी है कि वे कहां जाय?

श्री अध्यक्ष : आप अधिकारियों से बात करके सुझाव दें। वे उनको स्वीकार कर सकेंगे तो करेंगे। जहां गोचर भूमि पशुओं के लिए नहीं है वहां सम्भव नहीं है।

श्री अनोपसिंह : यदि यह निश्चय होता है तो ऊन उद्योग व धन्धा थोड़े दिनों में खत्म हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : इसका कोई हल निकालने की कोशिश कीजिये बातचीत करके।

१२. १०. म० प०

बाड़मेर पुलिस द्वारा चार लाख पैंसठ हज़ार रुपये के मूल्य का तस्कर सोना पकड़े जाने सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री तनसिंह द्वारा दिया गया स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार है :

"कि तारीख ३-१०-५८ को बाड़मेर पुलिस द्वारा चार लाख पैंसठ हजार रुपये की

Page No.34

(श्री अध्यक्ष)

कीमत का तस्कर सोना पकड़े जाने पर भी केवल दो लाख एक हजार का सोना बरामद होना बता कर बाकी श्री भागीरथ राय बिश्नोई, एस० पी० व थानेदार द्वय श्री नाथूसिंह व बिरधीचन्द द्वारा बाकी का दो लाख व चौंसठ हजार की कीमत का सोना हड़प करने के कारण सरकारी राशि की हानि, उससे फैले व्यापक असंतोष व पुलिस के भ्रष्टाचार पर विचार करने के लिये यह सदन अपनी आज की कार्यवाही स्थगित करता है ।"

इस सम्बन्ध में सरकार से जानकारी लेनी चाही थी किन्तु वह अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है । सरकार के पास में सोना पकड़े जाने के अलावा अधिक सूचना नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि बाड़मेर से इस सम्बन्ध में पूर्ण सूचना प्राप्त करने में अधिक समय की आवश्यकता है ।

जहां तक इस प्रस्ताव में उठाये गये मुद्दों का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि ये सीधे प्रशासनिक मामलों से सम्बन्धित हैं और यह इतने महत्व का नहीं है कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर विचार किया जावे । अतएव मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूँ ।

श्री तनसिंह : दो लाख चौंसठ हजार का सोना जो खा गये हैं, यह मामला तो एक बहुत ही महत्व का है । कोई छोटी-मोटी बात होती तो और बात थी । इस मामले में जल्दी कार्यवाही नहीं होगी तो सब मामला गोल-माल हो जायगा । वहाँ से इन्फॉर्मेशन आने में देर हो सकती है और हो सकता है मन्त्री महोदय यह भी कह दें कि इन्क्वायरी कर रहे हैं । पर इसमें जो खास महत्व की बात है वह यह है कि इन्वेस्टिगेशन अब भी उन्हीं लोगों के हाथ में है, दफा ३६४ के मातहत बयान करवा सकते हैं । इसलिये माननीय मंत्री महोदय इस मामले में जितनी जानकारी हो, बतावें ।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) **:** इस बात पर इन्क्वायरी करने का ऑर्डर दे दिया गया है; बेलाग आदमी से करवाई जा रही है ।

श्री तनसिंह : इन्क्वायरी करवा रहे हैं ठीक है, पर इन्वेस्टिगेशन अभी तक उन्हीं लोगों के हाथ में है और इस तरह अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो लोगों को दबा कर सारे मामले को दबा देंगे ।

श्री रामकिशोर व्यास : रीसेंटली ऑर्डर दिये हैं ।

१२. १३. म० प०

जामसर की जिप्सम की खानों के मजदूरों द्वारा हड़ताल इत्यादि सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई व श्री लक्छूराम ने जामसर की जिप्सम खानों के मजदूरों द्वारा की जाने वाली हड़ताल के सम्बन्ध में निम्न कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं :

१. श्री हीराभाई —

"जामसर की जिप्सम खानों में काम करने वाले मजदूरों की एक अक्टूबर से अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर चल रही वैधानिक हड़ताल के विरुद्ध मजदूर विरोधी तत्वों द्वारा किये जा रहे हिंसात्मक कामों को प्रोत्साहन देते हुए सरकार के उच्चाधिकारियों तथा पुलिस के अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध

(श्री अध्यक्ष)

आवाज उठाने पर इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास को अनेक झूंठे आरोप लगा कर बार-बार गिरफ्तार किया जाकर जेल भेजने की कार्यवाही से अनेक संवैधानिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है ।

अत: इस सदन की राय है कि मजदूरों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार करते हुए श्री व्यास व अन्य सत्याग्रहियों को सरकार बिना शर्त रिहा करें तथा पुलिस जुल्मों की न्यायिक जांच करावे ।''

२. श्री लच्छूराम का प्रस्ताव इस प्रकार है :

''सदन की राय में जामसर जिप्सम कम्पनी के हड़ताली सत्याग्रही मजदूरों पर पुलिस द्वारा गुण्डों से हमला कराये जाने से उत्पन्न गंभीर स्थिति पर विचार करने के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जावे ।''

मुझे यह बताया गया है कि खानों में काम करने वाले मजदूरों की मांगों का जो प्रश्न है उसका सीधा सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है । इसके अतिरिक्त जहां तक कानून व व्यवस्था का प्रश्न है वह विषय इतने सार्वजनिक महत्व का नहीं प्रतीत होता कि जिसके लिये सदन की पहिले से ही निर्दिष्ट कार्यवाही को स्थगित कर इस पर विचार किया जाय । अतएव मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

चूंकि इसी सिलसिले में इस सदन के एक माननीय सदस्य भी गिरफ्तार हैं, अत: माननीय गृहमंत्री पूर्ण जानकारी प्राप्त करके इस विषय पर शीघ्र ही एक वक्तव्य देंवे ।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से दो दिन पहले भी कहा गया था कि मन्त्री महोदय इस पर वक्तव्य देंगे, यह तो सदन की जानकारी में आये कि किस दिन वक्तव्य दिया जायगा । यह कहा कि यह उतना सार्वजनिक महत्व का मामला नहीं है, मैं माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन के सामने यह प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ कि क्या किसी पर पुलिस खुद और गुण्डों द्वारा अत्याचार कराये; यह सार्वजनिक महत्व का मामला नहीं है ? इसको मैं उचित नहीं समझता । जामसर खान के मज़दूरों पर जो पुलिस अत्याचार कर रही है, वह सदन के किसी माननीय सदस्य से छुपे हुए नहीं हैं । केवल मजदूरों के साथ ही अत्याचार नहीं किया जा रहा है, बल्कि महिला मज़दूरों के साथ भी अत्याचार किये जा रहे हैं । एक महिला मजदूर के साथ इस प्रकार के अत्याचार किये जाते हैं कि एक महिला मजदूर को ट्रक में अन्य मज़दूरों के साथ भर कर पाकिस्तान की सीमा के पास ले जाकर छोड़ दिया जाता है । वह गर्भवती थी । उसका गर्भ गिर गया । इस प्रकार के अत्याचार हमारे राजस्थान की पुलिस करे और इस मामले को सार्वजनिक महत्व का न समझा जाना, यह हमारे लिये दुर्भाग्यपूर्ण और लज्जा का विषय है ।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मैंने बताया, इसके दो पहलू हैं । जहां तक लॉ एन्ड ऑर्डर का प्रश्न है माननीय मन्त्री महोदय शीघ्र ही उत्तर दे देंगे, जो स्थिति उनके सामने आई वह बता देंगे । लेकिन जहां तक मांगों का सम्बन्ध है, यह सवाल राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं ।

इस पर २९ तारीख को माननीय गृह-मंत्री वक्तव्य देंगे ।

Page No.36

श्री मोगजी (बांसवाड़ा) : पुलिस द्वारा किये जाने वाले जुल्मों की व्यवस्था सरकार नहीं करेगी तो क्या हाल होगा ? मजदूरों को मोटरों में बैठा बैठा कर छोड़ दिया गया है। आज भी पुलिस उन्हें पीट रही है। आज के युग में मजदूरों के साथ इस तरह का अन्याय होता रहे, यह कहां तक ठीक है ? श्री मुरलीधर व्यास को गिरफ्तार किया है, गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया है। १४४ धारा चाहे तोड़ी हो या नहीं तोड़ी हो, उन्हें बार-बार गिरफ्तार किया है। वे जेल में उपवास कर रहे हैं, इस पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो कहां तक चलेगा ? मजदूर भूखे पेट होने के कारण हड़ताल कर रहे हैं और पुलिस उन्हें पीट रही है, इस सब की जांच की जाकर कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जो बातें माननीय सदस्य ने बताई हैं, उन सबका निराकरण, जवाब, मन्त्री महोदय जो वक्तव्य देंगे ,उसमें कवर होगा।

श्री गिरधारीलाल : कुछ प्रश्न इस बारे में गृहमंत्री से पूछ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : उनके पूरी जानकारी कर लेने के बाद आवश्यक समझें तो प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री लच्छूराम : माननीय अध्यक्ष, मैंने एक और स्थगन प्रस्ताव रखा था।

१२.१६ म. प.

त० किशनगढ़ में पुलिस द्वारा साम्यवादी सत्याग्राही को गिरफ्तार करने आदि से सम्बन्धित स्थगन-प्रस्ताव :

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम ने निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है :

"दिनांक १२, १३, १४ व १५ अक्टूबर को जिला अलवर, तहसील किशनगढ़ में पुलिस ने निहत्थे किसान व कम्युनिस्ट सत्याग्रही जत्थे को, जो बेदखली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, बुरी तरह पीटा। यही नहीं, बिना वारंट के कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को स्टाल पर चाय पीते हुए गिरफ्तार किया, बस में सफर करते हुए पकड़ कर पीटा। किशनगढ़ की जनता पुलिस की इस कार्यवाही से भयभीत हो रही है। पुलिस की यह कार्यवाही मौजूदा समय में, जब भारत में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित है, बहुत ही अशोभनीय तथा गैरकानूनी है।"

यह मामला कानून व व्यवस्था से सम्बन्धित है और यह इतना गम्भीर नहीं है कि इस पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर विचार किया जा सके।

मैं यहां यह पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कार्य स्थगन प्रस्ताव का विषय निश्चित, आवश्यक, जनहित का और महत्वपूर्ण होना चाहिये। जब तक ये सारी बातें किसी मामले में न पाई जायं, तब तक उसको सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती। अतः मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री लच्छूराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले प्रस्ताव को भी इस बिना पर कि यह सार्वजनिक हित का नहीं है, ठुकराया गया और उसको भी इसी बिना पर ठुकराया जा रहा है कि यह सार्वजनिक हित का नहीं है। मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सार्वजनिक हित का है और आप सार्वजनिक हित का प्रस्ताव किसको मानते हैं; या तो कोई माननीय सदस्य खादी पहने हुए एम० एल० ए० हो...

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : Can he comment on the ruling of the Chair, Sir ?

श्री अध्यक्ष : Let him finish his submission.

श्री ज्वालाप्रसाद : But he is commenting...

श्री लच्छूराम : मैंने क्या कहा, मैंने तो खादी का कहा और खादी तो सभी लोग पहिनते हैं। खादी के मामले में कांग्रेस का ही अधिकार नहीं है। आप सार्वजनिक हित का मामला किसको मानते हैं ? आप क्या उसको सार्वजनिक हित का मामला मानते हैं कि वहां पर लाशों के ढेर हो जावें और १००–५० आदमी मर जावें ? अगर वहां पर लाशों के ढेर हो जावें तो फिर वहां पर उसके लिये माननीय मन्त्री महोदय और सरकार खुद प्रबन्ध करे और पहुंच जावे। अगर ऐसे मामलों को सार्वजनिक हित के मामले मानते हैं तो यह अलग बात है। मगर जहां पर पुलिस गैरकानूनी कार्यवाही करती है, जनहित पर कुठाराघात करती है, क्या उसको हम महत्वपूर्ण मामला नहीं कहते ? जब लाशों के ढेर हो जाते हैं तो स्थगन प्रस्ताव का महत्व ही नहीं रहता है। अगर ऐसा हो जाए तो मन्त्री महोदय और आप में से बहुत से लोग वहां पहुंच जाते ......

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई स्थिति होनी चाहिये जो एडजॉर्नमेन्ट मोशन को स्वीकार करने के लिये उपयुक्त हो। हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में और भी कई अलग अलग तरीके हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। मगर देखा यह जाता है कि आप उस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहते हैं और उस पर बहस करना चाहते हैं। इसके लिये आप शोर्ट नोटिस क्वेश्चन भी ला सकते हैं। इसके अलावा हाफ एन आवर डिस्कशन भी सदन में आ सकता है और सरकार के सामने विचार रख सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कई मामले हैं जिनमें आप रूल्स ऑफ बिज़नेस को देखकर उनका उपयोग करें तो मैं भी आपको सहयोग देकर हर एक मामले को करने के लिये समय निर्धारित कर सकूं। अगर आप स्थगन-प्रस्ताव के रूप में हमारे सामने लावेंगे तो मेरी मजबूरी है उसको स्वीकार करने में।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ऐसा हो कि माननीय गृहमन्त्री अपना स्टेटमेन्ट इस सम्बन्ध में दे दें।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि अगर आपने शोर्ट नोटिस क्वेश्चन इस सम्बन्ध में दिया होता तो उसका उत्तर मिल जाता। इसलिये मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार की बात हो और कोई मामला हो तो और भी हमारे रूल्स के नीचे तरीके मौजूद हैं, जिनका उपयोग किया जावे तो उचित होगा।

श्री लच्छूराम : पहले होम मिनिस्टर, स्थगन प्रस्ताव रखा, उसका स्पष्टीकरण करेंगे कि वास्तव में घटना हुई......

श्री अध्यक्ष : वे इसे आवश्यक नहीं मानते हैं।

श्री लच्छूराम : मामला इससे भी गम्भीर है कि ५ आदमियों का जत्था सत्याग्रहियों के रूप में हमेशा गिरफ्तार होता जा रहा है। उनको जेलों में भेजा जा रहा है और जेल में १० आदमियों की जहां पर जगह है उस कोटड़ी में २५ आदमियों को

(श्री लच्छूराम)

भरा जाता है। क्या इस प्रजातन्त्र के समय में इस प्रकार आदमियों को कालकोठरी में रखना सार्वजनिक महत्व का मामला नहीं है ? मैंने तो इसको सार्वजनिक हित का मामला समझकर आपके सामने रखा था। अब भी सत्याग्रह चल रहा है, २३ तारीख की इत्तिला है। पुलिस का अत्याचार वैसे ही है। हो सकता है कि वह किसी पार्टी के खिलाफ हो, जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हो।

(घंटी)

श्री गिरधारीलाल : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वह काफी गम्भीर है। इसको वैसे ही टालना नहीं चाहिये। माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय गृहमन्त्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वे अपना वक्तव्य दें।

१२.२५ म० प०

विशेषाधिकार का प्रश्न

साप्ताहिक 'गणराज्य' में प्रकाशित चित्र विषयक विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह ने निम्नलिखित विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी है :

"A breach of privilege tantamount to a contempt of the whole House has been committed by the Hindi 'Saptahik Ganrajya' publishing a photo of the Legislative Assembly on page 8 of the weekly, with the comparative comment. 'अब राज-दरबारों का स्थान राजस्थान विधान सभा ने ले लिया।'

यह फोटो जिस प्रसंग में छापा गया है उस लेख को मैंने देखा है। इस लेख का शीर्षक है "राजस्थान के अतीत और वर्तमान पर एक दृष्टि।" लेखक ने भूतपूर्व नरेशों के प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है और शब्द, 'अब राज दरबारों का स्थान राज्य विधान सभा ने ले लिया है', जिसके लिये श्री श्रीभानसिंह ने आपत्ति उठाई है। इस पृष्ठ-भूमि में देखा जावे तो यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि जो सत्ता कल राजाओं के पास थी, वह आज विधान सभा के हाथ में आ गई है। मैं नहीं समझता कि इसमें ऐसी कौन-सी बात आ गयी है, जिससे सदन के विशेषाधिकारों का हनन होता हो।

अत: मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये अपनी अनुमति नहीं देता हूं।

१२.२७ म० प०

भरतपुर में बाढ़ के सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष, मैं भरतपुर के बाढ़ के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण कल बयान दूंगा।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Mr. Speaker Sir, राजस्व मंत्री ने विज़ीट में यह कहा था कि वह पुरानी घटना है। फिर पूरी सूचना नहीं है, यह कहना क्लियरली बतलाता है कि गवर्नमेंट स्पीकर को गलत इन्फॉर्मेशन देती है। वहां पर फोडर का इन्तजाम नहीं है। बहुत कम मिलता है। जानवरों के इलाज के लिये किसी डाक्टर का प्रबन्ध नहीं। ये सारी बातें रेवेन्यु मिनिस्टर की नॉलेज में हैं, वे २७ या कौन सी तारीख को भरतपुर पहुंचे थे ? क्यों पहुंचे थे ? उसकी भी उनको जान-

(श्री श्रीमानसिंह)

कारी नहीं। आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा that before the House rises the Revenue Minister must be compelled to give his statement today in the House.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष, मेरे पास स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है। पूरी स्थिति आ जायेगी। आज और कल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक लोगों को रिलीफ देने का सवाल है, मैं खुद भरतपुर में जाकर सारे ऑफिसरों से मिला हूं और उनको सजेस्ट किया है और ऑर्डर कर दिये हैं, फिर भी वे यह कहें कि रिलीफ नहीं। मैंने उनसे बातचीत की है। मैं कल सारी बातों पर प्रकाश डाल दूंगा, इत्तिला नहीं मिली है इसलिये मोहलत चाही है।

श्री श्रीमानसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है माननीय राजस्व मंत्री की विज़ीट हुई और उन्होंने मुझ से बात की, इससे जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी गई हो, यह तो बात नहीं है। वे किसी जनरल केन्वेसिंग के लिये वहां पर गये थे। उसका तो मुझे पता नहीं कि वे वहां पर किस के लिये गये थे और वहां पर कितने लाख रुपया खर्च किया। यह तो वे खुद ही जान सकते हैं। मगर माननीय अध्यक्ष, ने जब तारीख २७ निर्धारित कर दी कि वे अपना बयान देंगे और मेरा एडजॉर्नमेंट मोशन इसी बात पर गिरा तो अब यह मेरा अधिकार है और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि सदन का यह अधिकार है कि जो इन्फोमेशन चाही गई है, वह आज ही दी जाए। भरतपुर यहां से बहुत दूर नहीं है। टेलीफोन से खबर आ सकती है, रेल से या रोड से भी खबर आ सकती है। गवर्नमेंट के पास इन्फोमेशन आ सकती थी। गवर्नमेंट के लिए २७ और २८ में कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आज १० जानवर मरते हैं और कल १०० मरते हैं, इसका असर हमारे डिस्ट्रिक्ट पर पड़ता है और इसलिये फर्क पड़ता है। I would, therefore, like that before the House rises, we must hear the statement of the Honourable Revenue Minister.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि इस पर अमल किया जा रहा है। मुझे आज चलते वक्त तक यह सूचना मिली और जिस किसी व्यक्ति ने अपने विचार व्यक्त किये, उसमें से अधिकांश ने यही कहा कि जो आश्वासन दिये गये थे, उनमें से अधिकांश पूरे नहीं हुए। मवेशी को चारा नहीं मिलता है और न उनके इलाज के लिये डाक्टर का प्रबन्ध है। कहीं कहीं तहसील हैडक्वार्टर पर डॉक्टर जरूर हैं, मगर वे मवेशियों के रिलीफ के लिये नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा बैलों के लिये तकावी नहीं मिली है और जो मिली है तो वह नाकाफी है। अभी यह फसल का मौका है और अगर इस समय बैल नहीं पहुंचे तो फसल को बहुत हानि होने वाली है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को पहले ही इस सम्बन्ध में जानकारी होनी चाहिए थी और यह जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि मेरे पूर्व वक्ता ने जो प्रस्ताव रखा है कि वक्तव्य आज ही होना चाहिये, वह वक्तव्य आज ही हो जाय तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय रेवेन्यु मिनि-

Page No.40

(अध्यक्ष श्री)

स्टर को अब तक जानकारी मिली है उसे तो वे देने को तैयार थे लेकिन कोई भी बात यहां पर लेटेस्ट पोजीशन की कही जाए तो उसके लिये तो कुछ समय चाहते थे और जैसी स्थिति है, वे खुद वहां जाकर आये हैं और अब तक क्या कार्यवाही हुई है उसकी जानकारी के लिये उन्होंने कल तक का समय चाहा है। मेरे ख्याल से यह अनुचित नहीं है। आपने बताया उसके लिये वेरिफाइ कर देंगे। मैं समझता हूँ कि कल वे जो स्टेटमेंट देंगे, वह कॉम्प्रीहेन्सिव होगा और सारी बातें उसमें आ जावेगीं।

१२. ३०. म० प०

विधायी कार्य

(पुर : स्थापित विधेयक)

राजस्थान भू-राजस्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५८

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि इस विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

राजस्थान का मूल्यांकन विधेयक, १९५८

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टट्स वेल्युएशन बिल, १९५८ को पुरस्थापित करने के लिये आज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि इस विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं वियेधक को पुरःस्थापित करता हूँ।

१२. ३३. म० प०

राजस्थान पशुधन सुधार विधेयक, १९५८

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : बिल टू प्रोवाइड फोर दी इम्प्रूवमेन्ट ऑफ लाइव स्टॉक की क्लॉज ३ पर विचार किया जायगा।

(विराम)

श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष,मेरा क्लॉज ३ के 'सी' पर यह अमेन्डमेन्ट है : 'Delete the words 'or person' then the clause will read, The Live-stock Officer means an officer appointed or invested with powers under section 4" इसको डिलीट करवाने के मेन रीज़न और आर्ग्युमेन्ट यह हैं कि इस बिल में जितने की पॉवर्स लाइव स्टाक ऑफिसर को दिये गये हैं उसके लिये भी रूल्स बनेंगे, इसमें लाइवस्टोक ऑफिसर को ये पॉवर्स हैं। वह ट्रेनिंग शुदा हो, उसमें सर्टन क्वालिफिकेशन्स हों और जो वर्क एफीशियेन्टली एग्ज़ीक्यूट कर सकता हो, उसे लाइव स्टॉक

(श्री श्रीमानसिंह)

ऑफिसर बनाया जायगा। लेकिन जब "एनी पर्सन" इसमें रख देते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि माननीय मंत्री महोदय जिस किसी को भी चाहें, उसमें कोई क्वालिफिकेशन भी न हो, ट्रेनिंग शुदा भी न हो, उसको भी इस कार्य के लिये रख सकते हैं, उसको भी ये पॉवर्स दे दें। केस्ट्रिेशन की जो पॉवर्स, हैं उसके लिये आप किस प्रकार का मेथड् एडोप्ट करेंगे? किस पर्टिक्युलर मेथड् को गवर्नमेन्ट चाहती है? उस मेथड् की जिसको जानकारी हो उसे ही आप नियुक्त करें ताकि वह रूरल एरियाज़ को अवगत करा सके। ऑलरेडी जो मेथड् चला आ रहा है उसको तो गवर्नमेन्ट आउट मोडेड और डेटेड समझती है। यह एक प्रकार से स्पेशियेलाइज्ड वर्क है, इसलिये अगर हम ऐसे कार्य के लिये अनक्वालिफाइड आदमी को रख देते हैं तो लाइव स्टॉक को डेन्जर हो सकता है। "एनी पर्सन" को अगर हम देखने की कोशिश करें तो सब से पहले इसके लिये गवर्नमेन्ट के दिमाग में कौन हो सकते हैं? प्रोजेक्ट एरिया के अन्दर विलेज़ वर्कर हैं उनका कोई प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि विलेज लेवल वर्क्स को मल्टीपर्पज़ ट्रेनिंग रहती है। अब तक जितने भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट हैं उनके अनुसार यह स्पष्ट है कि विलेज़ लेवल वर्कर को यह कार्य सौंपना बिल्कुल ठीक नहीं है। वह इस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकता। जब तक हम इस काम के लिये एक्सपीरियन्स्ड व्यक्तियों को नहीं रखते हैं तब तक जो भी मेथड् हम युटिलाइज़ करें उसको पोपुलेराइज़ नहीं कर सकते। अनक्वालिफोॉइड व्यक्ति को भी "एनी पर्सन" के कारण लाइव स्टाक ऑफिसर के पॉवर दे सकते हैं। मुझे डर इस बात का है कि आज जब कि रबी अभियान चल रहा है "ग्रो मोर फूड केम्पेन" चल रहा है, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिये लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ हम देखते है कि गवर्नमेन्ट के फूड एडवाइज़र हैं श्री रामजी काक जो नोन-टेक्निकल हैं। जिनके पास किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन नहीं, जिनके पास फार्मिंग का कोई बैक ग्राउन्ड नहीं, वह तो आज बने बैठे हैं हमारे राजस्थान सरकार के फूड एडवाइज़र। इसी प्रकार यदि हम इसमें "एनी पर्सन" रख देते हैं तो यहां भी हमारे मन्त्री गण रामजी काक सरीखे व्यक्तियों को लाइव स्टॉक ऑफिसर की जगह भरेंगे। "एनी पर्सन" में वही जायगा, जो माननीय लेजिलेटर्स को इनवाइट करेंगे। To be introduced to the Agriculture Minister as if they don't know him, ऐसे आदमी "एनी पर्सन" में आयेंगे जो नोन-क्वालिफाइड होंगे, जिनमें एनीमल हस्बेन्ड्री का कोई ज्ञान नहीं, जिनको फार्मिंग का कोई एक्सपीरिएन्स नहीं but still if 'any person' is appointed because powers have been given by the legislature. उनको आप अपोइन्ट करेंगे फूड एडवाइज़र ऑफ राजस्थान। इसी प्रकार जिन लोगों को एक्सपीरिएन्स नहीं है, जिनकी फेमिली ने कभी फार्मिंग नहीं की, वैसे आदमी को तो आपके यहां फूड एडवाइज़र बनाया जाता है। उसी प्रकार इसमें "एनी पर्सन" के रखने से जिन पर डाइरेक्टर ऑफ एनीमल हस्बेन्ड्री खुश है उसको वह इस प्रकार के पावर्स दे सकता है। उसको वह टेक्निकल कार्य सौंप सकता है "एनी पर्सन" होने के कारण। क्या हम इसी बिना पर लाइव स्टाक को इम्प्रूव कर सकते हैं? यदि यही

(श्री श्रीमानसिंह)

हालत रही तो मैं नहीं समझ सकता कि हम इसमें कहां तक सफल हो सकेंगे ? जब "एनी पर्सन" को अपोइन्ट कर सकते है एसी जॉब के लिये जो कि एक स्पेशलाइज्ड टास्क है। आज हमें तीन करोड़ पशुओं के अन्दर इम्प्रूवमेन्ट करना है। इतना बड़ा टास्क अनक्वालिफाइड और अनएक्सपीरियेन्स्ड आदमी को सौंप देते हैं तो जो रिजल्ट हम इस बिल द्वारा एचीव करना चाहते हैं वह हम एचिव नहीं कर पायेंगे। यह हो सकता है और है भी कि हमारे पास टेक्निकल आदमी नहीं हैं। अनुभवी आदमियों की कमी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कमी कि वजह से टास्क इन एक्सपीरियेन्स्ड आदमियों के हाथ में सौंप दें। यदि हम इसे साइन्टिफिकली चलाना चाहते हैं तो हमें इस कार्य में जो क्वालिफाइड हों, जिनके पास योग्यता हो, उन्हीं को लाइव स्टॉक ऑफिसर की जगह रखना चाहिये।

मैं और उदाहरण नहीं मल्टीप्लाई करना चाहता, पर यह है राजस्थान का ऑर्गेनाइजेशन। जितने हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स टैक्निकल विभागों में है वे नॉन टैक्निकल आदमी रक्खे हैं। वे सारे टैक्निकल डिपार्टमेंट्स चाहे गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करें, पर वे सब फेल्योर रहे हैं। स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिये। जिस टैक्निकल डिपार्टमेंट का हमने नॉन टैक्निकल आदमी को हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट बनाया है। वह सक्सैस नहीं हो सका है और फिर सफलता क्यों नही मिली ? जिस चीज़ को मैं समझता नहीं, उसको आप अगर मेरे हाथ में एन्ट्रस्ट करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि उसको सक्सैसफुल्ली एग्जीक्यूट करूं तो यह कहाँ मुमकिन हो सकता है ? ये दोनों चीजें आपस में ऐसीं कन्ट्राडिक्टरी हैं जो फैल्योर इन्वाइट करती हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस एनी पर्सन को डिलीट कर दिया जावे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष मोहदय, जो यह प्रस्ताव रक्खा है मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसका प्रमुख कारण यह है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज का अनुभव नहीं, वह क्या उसमें सफलता प्राप्त करेगा। इस विधेयक में लाइव स्टाक अफसर को अधिकार दिया गया है, निरीक्षण करेगा वह। जिस व्यक्ति को पशुओं के बारे में ज्ञान नहीं होगा, वह किस प्रकार से उनका इन्सपेक्शन करेगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार नहीं देना चाहिये, जो कि स्वयं पशुओं के मामले में विशेषज्ञ न हो। यह साफ देखा जा सकता है उन विभागों में, जहां विशेषज्ञ होने चाहिये पर उनकी जगह दूसरे गैर विशेषज्ञ आदमी बिठा दिये जाते हैं।

तो मैं मंत्री जी से भी यही निवेदन करूंगा कि वे लाइव स्टॉक अफसर के स्थान पर किसी विशेषज्ञ को ही रखें, चाहे फिर वह न मिले तो न करें। इन शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि ये शब्द हटा दिये जावें।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन क्लॉज ३ 'सी' के बारे में रक्खा गया है और उसको मंन्जूर करने के बारे में जो दलीलें दी गई उनसे मुझे कोई सन्तोष नहीं हुआ। यह एक माननीय सदस्य जिन्होंने संशोधन रक्खा था वे स्वयं सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे और उसमें इस पोइन्ट पर काफी बहस भी की थी और उसके बारे में यह कहा गया था कि 'एनी पर्सन' को यहाँ रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि

Page No.43

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जिस प्रकार उन्होंने एक इलस्ट्रेशन दिया कि केस्टिरेशन देना एक स्पेशल काम हैं, टैक्नीकल आदमी ही इसे कर सकता है यही एक कारण काफी नही है और यही एक काम उसे नहीं करना है और भी बहुत से काम बहुत सी ड्यूटीज़ इस एक्ट की इन धाराओं में उसकी बताई गई हैं। ऐसी सूरत में जब लाइव स्टॉक अफसर के अपोइन्ट करने की बात है तो दूसरे आदमी को भी अपोइन्ट करने का प्रोविज़न रक्खा है जो कि ऐसे काम के लिये सूटेबल आदमी हो। सूटेबल काम के लिये स्यूटेबल आदमी मुकरर किया जा सके, इसलिये यह रक्खा है। यह मेरा उत्तर है। बाकी बहस की इर्रिलेवेन्ट बातों का तो उत्तर देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह दूसरे सम्बन्धों का मामला है और कहेंगे तो फिर अच्छी तरह जवाब दूंगा उनका तो। पर 'एनी पर्सन' को रखने का जहां तक सवाल है, मैं उसे ठीक समझता हूँ, रहना चाहिये वह सिलेक्ट कमेटी में काफी बहस के बाद निश्चित किया गया था। इसलिये इस सुझाव को मैं नामंजूर करता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि इसे रक्खा जावे।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष, जहाँ तक माननीय मंत्री महोदय के नामंजूर करने की बात है उनका एटीच्यूड क्लीयर रहा है बिगिनिंग से। नामंजूर हरेक चीज को कर देते हैं, पर यह उनसे पूछा जावे कि क्यों, किस आधार पर, तो यह कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ? जिस तरह की बहस मैंने की थी वह तो इर्रिलेवेन्ट की है पर जैसा आर्ग्यूमेंट दिया मंत्री महोदय ने उसको इन्कार करने में वह तो सुपर इर्रिलेवेन्ट है, क्योंकि वे सेटिस्फाइड नहीं हैं इससे कि 'एनी पर्सन' हटा दिया जावे, इसलिये नहीं हटाया जा सकता। अब उनकी पर्सनल सैटिस्फेक्शन के क्या क्या क्राइटेरिया हैं इसको जानना तो सम्भव नहीं हो सकता इस बिल के जरिये। पर्सनल सैटिस्फेक्शन के लिए सदन में आर्ग्यूमेंट्स दिये जा सकते हैं। एक काम बताया लाइव स्टाक ऑफिसर का कि केस्टिरेशन करेगा वह, इस एक काम के अलावा भी और बहुत से फंक्शन्स हैं। वे फंक्शन्स क्या हैं ? यही तो मैं जानना चाहता हूं। उसके इस एक काम के अलावा ऐसे भी स्पेश्यलाइज्ड फंक्शन्स है, जैसे डिज़ीज़ देखना, लाइसेन्स ग्रान्ट करना। लाइसेन्स ग्रान्ट करना है तो यह ऐसी कौन सी नोन-टेक्निकल चीज़ है, जिसको वह एक 'एनी पर्सन' देख सकता हो, जो डिज़ीज़ देख सकता हो। डिज़ीज़ देखना यह जो स्पेश्यलिटी है, एकाध रिफ्यूज़ या रिवोक करने का उसके पॉवर में है defective or inferior, permanently affected with any contageous or infectious disease, or permanently affected with any other disease rendering the bull unsuitable.

तो ये जो काम हैं इन कामों को 'एनी पर्सन' कर सकेगा, ऐसा एक भी आदमी आप क्वोट करके बता दीजिये नोन-टैक्निकल जीनियस, जिसकी सर्विसेज़ आप लेना चाहते हों।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक रिटायर्ड वैटरिनरी डॉक्टर है उसको मुकर्रर करना चाहते हैं, तो वह फिर कैसे आवेगा ?

श्री श्रीभानसिंह : जो नोन-टैक्नीकल रिलाएबल आदमी है वह कैसे आवेगा, यही तो मेरा कहना है। और जो नोन-टैक्निकल उनके रिलाएबल आदमी है उन पर वर्क एन्ट्रस्ट करते हैं.....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं टैक्निकल वेटरनरी रिटायर्ड हैंएड के लिये कहता हूँ। वह कौन सी डेफिनिशन में आवेगा, अगर यह 'एनी पर्सन' नहीं रक्खेंगे तो ?

श्री श्रीभानसिंह : जो वेटरनरी से रिटायर हो गया उसको 'एनी पर्सन' में ले आवेंगे तो वह तो वेटरनरी की पोस्ट पर ही अपोइन्ट होगा। फिर भी 'एनी पर्सन' को रखने का आर्ग्युमेंन्ट नहीं रहा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो मैंने बताया न अभी।

श्री श्रीभानसिंह : वह तो अब सोच कर बताते जावें, सोचते रहेंगे। बहस में मुझे नहीं जाना है अध्यक्ष महोदय, जो वर्क 'एनी पर्सन' करेगा वह वर्क निश्चित तौर पर टैक्निकल वर्क नहीं होगा। यह मैं मानता हूँ। पर मेरा कहना यह है कि यह वर्क टैक्नीकल ही नहीं, साइन्टिफिक भी है। तो साइन्टिफिक है तो उसके लिये साइन्टिफिक आदमी ही चाहिये तभी वह काम ठीक तरह से होगा, यह इस 'एनी पर्सन' से नहीं होगा।

फोरिन कन्ट्री की बात कही थी कि वहां डेवलपमेंट यों होता है। मैं कहता हूं कि वहां यह काम टैक्निकल आदमियों को सौंपा जाता है तब ऐसा होता है, अगर वहां नोन-टैक्निकल आदमियों को सौंप दिया जाता तो धमाका हो जाता। आप लोजिकल जवाब दे सकते थे जब कि मैं कह रहा हूँ कि जितने भी टैक्निकल डिपार्टमेन्ट्स हैं जिनमें आपने नोन-टैक्निकल हैड रख रक्खे हैं उनकी प्रोग्रेस नही हुई, तो आप बताते कि उनकी प्रोग्रेस हुई और उसके तथ्य रखते। आप इस तरह के फैक्ट्स दे सकते थे, जो समझ में आते कि ये नोन-टैक्निकल आदमी हैं और उनकी यह प्रोग्रेस है। आप उनकी प्रोग्रेस बतला सकते थे। तो फिर मेरे पास अग्युमेन्ट्स नहीं रहते। मैंने नाम ले लेकर बताया अपॉइन्टमेन्ट्स के बारे में डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं। क्या उनसे एग्रीकल्चर में प्रगति हुई है ? कोई इम्प्रूवमेन्ट हुआ फूड प्रोडक्शन में ? हुआ उल्टा यह कि दिन पर दिन फूड की शोर्टेज होती गई, प्राइसेज़ बढ़ती गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : बहस को रिलेवेन्ट पोइन्ट पर ही रक्खा जावे तो अच्छा होगा।

श्री श्रीभानसिंह : मैं आर्ग्युमेन्ट्स दे रहा हूं। I will have to request the Hon'ble Minister to stick to his seat, otherwise I will sit down. यह आर्ग्युमेन्ट मैंने दिया। अब उनकी मर्जी नहीं, उनको पसन्द नहीं आया तो इसके लिये तो मैं कोई आर्ग्युमेन्ट नहीं दे सकता हूँ। आर्ग्युमेन्ट्स नहीं पसन्द हैं तो 'एनी पर्सन' रखिये। उसका रिजल्ट जब सामने आवेगा तो वह भी मालूम हो जावेगा कि कितना लाइव स्टॉक का इम्प्रूवमेन्ट करते हैं और कितनी प्रगति 'एनी पर्सन' द्वारा करते हैं। The result will speak itself. If you do not want reasonable suggestions one cannot help.

श्री अध्यक्ष : Do you press your amendment ?

श्री श्रीभानसिंह : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्रीभानसिंह ने रक्खा है उसको वापिस लेने की अनुमति दी जावे।

(स्वीकृत)

Page No.45

श्री अध्यक्ष : आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw the amendment.

(विराम)

क्लॉजेज़ ३, ४, ५ व ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३, ४, ५ व ६ स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ३, ४, ५ और ६ विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

क्लॉज़ ७, श्री श्रीभानसिंह ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, मेरा क्लॉज़ ७, सब–क्लॉज़ (१) के अन्दर यह अमेन्डमेन्ट है :

'Delete the words 'and likely to beget defective or inferior progeny,'

माननीय अध्यक्ष, दूसरा अमेन्डमेन्ट क्लॉज़ ७ के अन्दर ही है " Delete sub clauses (2) & (3)."

अब क्लॉज़ ७ को इन टोटल पढ़ा जाये तो " Refusal to grant or revocation of a licence: if in his opinion, the bull appears to be of defective or inferior conformation. जनरल ग्राउन्ड्स पर लाइसेन्स रिफ्यूज़ किया जा सकता है या रिवोक किया जा सकता है वह मैं बता दूं और 'डिफेक्टिव और इनफीरियर कन्फोर्मेशन ' उससे आगे ' and likely to be get defective or inferior progeny; or ' जिसको मैं डिलीट कराना चाहता हूँ ।

(बी) के अन्दर है —

'permanently affected with any contagious or infectious disease, or '

(सी) के अन्दर है--

' permanently affected with any other disease rendering the bull unsuitable for breeding purposes; or '

(डी) के अन्दर है--

' of a breed which it is undesirable to propagate in the district or part of the district in which it is kept. ' तो यह (ए), (बी), (सी), और (डी) चारों सब-क्लॉजेज़ को पढ़ने से कोई और ऐसे ग्राउन्ड्स नहीं रहे जिन पर लाइसेन्स रिफ्यूज़ या रिवोक कर दिया जाये । अब गवर्नमेन्ट की लॉ के अन्दर जनरल चीजें रखने की मन्शा ऐसी है कि पहले से तो सोचा नहीं जाता कि आखिर वह क्या रखना चाहते हैं ? इसलिये ही जनरल नेचर की चीजें रख दी जाती हैं ताकि ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी फ्युचर में आये तो कवर हो जाये । उसके लिये यह रख दिया गया है ' likely to beget defective or inferior progeny ' अब इसको किसी साइन्टीफिक वे से किया जाय तो आपके पास क्या बेसिस है ? जितने भी फिज़िबल साइन्स या डिफेक्ट्स हैं, अगर वह कन्फर्म नहीं करते कि कोई डिज़ीज़ हैं या ब्रीड नहीं कर सकता तो वह आपके सामने हैं । अगर अब लाइव स्टॉक ऑफिसर यह कहता है कि इन ग्राउन्ड्स पर रिफ्यूज़ करते हैं that this bull is likely to be get defective or inferior progeny ' तो उसके रीजन्स और कोई नहीं हो सकते । रीजन्स सिर्फ यह हैं कि उनको एक इमेजिनेशन हो सकता है कि बुल पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है ।

" this is an insufficient ground and still I think it is likely to beget

(श्री श्रीमानसिंह)

defective progeny." और मैं सोचता हूँ कि माननीय मन्त्री जी का उत्तर हो सकता है, that the Live Stock Officer will think it. But why does he not think that the bull is perfect. ? क्योंकि कोई साइन्टीफिक चीज़ नहीं है। जब आप किसी चीज को एनेलाइज करते हैं तो कोई न कोई उसके लिये साइन्टिफिक तरीका होना चाहिये। There must be some reason behind it. रीज़न एक मैटर ऑफ कन्जेक्चर होगा। जब एक रीज़न दे देते हैं तो मैं सोचता हूँ कि लाइव स्टॉक ऑफिसर वहां एक करप्शन को इन्ट्रोड्यूस कर देता है क्योंकि whether the bull is likely to beget the perfect progeny, it will be a matter of conjecture. और जब मैटर ऑफ कन्जेक्चर के तहत होता है तो वह मैटर ऑफ बारगेन होता है। अगर लाइव स्टॉक ऑफिसर को सेटिफिकेशन दे सकता है तो ठीक है और अगर नहीं दे सकता तो यह आर्ग्युमेन्ट हर एक सीड बुल के लिए लगाया जायेगा, that in future it will not give better progeny और फ्युचर का क्या है, जब तक कि प्रोजिनी नहीं होगी, तब तक मालूम नहीं हो सकता है और जो हमारी एवेलेबल इन्फोर्मेशन है उसके जरिये से मालूम कर सकते हैं कि फ्युचर के अन्दर इसकी प्रोजिनी ठीक होगी या नहीं होगी। मैं जहां तक समझता हूं, it is black white hypothetication. जहां व्हाइट एण्ड ब्लैक और ब्लैक एण्ड व्हाइट चलता है तो भी लॉ आफ इनहेरीटेन्स भी है, वह कोई इमेजिनेशन पर बेव नहीं है। अगर वह बेस्ड है तो एक सर्टेन एक्सपेरीमेन्ट के ऊपर। जब तक कि एक्सपेरीमेन्ट उस स्टेज के ऊपर कनक्लूड नहीं हो जाय तब तक कोई आदमी डिक्लेयर नहीं कर सकता कि प्रोजिनी ठीक है या नहीं और जब तक यह पता नहीं होगा तब तक एक आदमी कैसे सर्टिफाई कर दे कि यह बुल प्रोजिनी ठीक कर सकता है या नहीं। आखिर कोई डिज़ीज़ नहीं है फिर भी उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाय तो यह समझ में नहीं आता।

सब-क्लॉज २ में है—"The Live Stock Officer granting a licence may also revoke a licence if in the opinion of such officer there has been a breach of any of the terms or conditions of the licence." और तीसरा सब-क्लॉज है—"No person shall be entitled to any compensation for the revocation of a licence under sub-sections (1) or (2)' कन्डीशन्स बीच कौन करता है? सिर्फ "Likely to beget bad progeny" कहने से ही बैड प्रोजिनी होती है। एक अपने बुल को ले जाता है तो उसकी डिज़ीज़ वगैरह को देखने की responsibility is of the Live Stock Officer and if the Live Stock Officer misjudges then. I know out of 100 cases 80 will be misjuded, you may take down this, कि जहां हमने टेक्निकल पॉवर दी, he is bound to misjudge. तो who will suffer the consequences? That will be the man. वह आदमी होगा जो कि बुल्स पर्चेज़ करता है या वह होगा कि जो आपके लाइव स्टॉक के अन्दर इम्प्रूवमेन्ट करना चाहता है, या जो कि आपके ब्रिल को प्रोत्साहन देना चाहता है। क्योंकि मिस-जजमेन्ट तो आपके लाइव स्टॉक ऑफिसर का हुआ। "Any person" को आप टेक्निकल वर्क सौंपते हैं और उसके मिस-जजमेन्ट के

(श्री श्रीभानसिंह)

ऊपर लाइसेन्स रिवोक करते हैं। जिस आदमी की किसी भी स्टेज पर गलती नहीं उनको कम्पेन्सेशन नहीं मिलने का यह किसी जस्टिस के अन्दर डिनाई हो सकता है ?

१२.५५ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं जानता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय सेटिस्फाई नहीं होंगे, मगर फिर भी रीज़न्स ये नहीं हो सकते, जब एक आदमी को उसकी प्रोपर्टी से आप डिपाइव करते हैं। लोग अपने अच्छे-अच्छे बुल्स लाते हैं यह भी उनकी एक सम्पत्ति है और किसानों के पास सम्पत्ति ही क्या है ? सिर्फ यही एग्रीकल्चर की सम्पत्ति है, यही पशुधन की सम्पत्ति है और इसी सम्पत्ति में जब कि गड़बड़ी करते हैं आपके ऑफिसर लोग और उसके कॉन्सीक्वेनसेज़ भुगतने पड़ें किसानों को तो यह उनके साथ जस्टिस नहीं होगा। इसलिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि उसको डिलीट कर दिया जाय और जहां कि आपका लाइव स्टॉक ऑफिसर मिस जजमेंट करता है वहां उनको कम्पन्सेशन दिलाने की ओर ध्यान दिया जाये।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने पेश किया है क्लॉज ७ के सिलसिले में कि क्लॉज (१) (ए) में से कुछ ये शब्द हटा दिये जायें "लाइकली टू बीगैट बैड प्रोजिनी" और उसके अलावा सब-क्लॉजेज़ (२) और (३) को बिल्कुल हटा दिया जाय तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस समय इस बिल के ऊपर सिलेक्ट कमेटी में बहस हो रही थी, उस समय उन्होंने ये पोइन्ट्स रेज़ किये थे। उस समय विभाग के जितने भी टेक्निकल ऑफिसर्स वहां मौजूद थे, उन्होंने सभी बातें कमेटी के सामने रखीं। मैं उन सभी बीमारियों के नाम तो नहीं याद रख सका, मगर उन्होंने बताया था और यह कहा कि यह बीमारी एपेरेन्टली एक बुल से नहीं मालूम पड़ती। फिर उसके बाद में वे पता लगाते हैं। तो उसकी प्रोजिनी जो पैदा होती है, उसमें भी वह डिफेक्ट आने लगता है। ऐसे कुछ इन्सटान्सेज़ देकर उन्होंने बताया था और उन्होंने माननीय सदस्य को कनविन्स करने की कोशिश की थी और करीब-करीब सभी मेम्बर्स सन्तुष्ट थे। उस समय माननीय सदस्य भी सन्तुष्ट नज़र आते थे। मगर पता नहीं, उन्होंने बाद में नोट ऑफ डिसेन्ट कैसे भेजा और ऐसा रुख यहां पर अपना रहे हैं जिसको मैं उचित नहीं समझता।......

श्री श्रीभानसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय मन्त्री को उचित समझने या अनुचित समझने का अधिकार नहीं है। उचित तो यह बात नहीं है कि वह सिलेक्ट कमेटी का रेफरेन्स यहां पर दे रहे हैं और यहां जो मैंने कहा, उसमें मैंने कोई बात सिलेक्ट कमेटी की नहीं कही। सिलेक्ट कमेटी में जो कुछ आर्ग्युमेन्ट्स होते हैं।......

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !! That is not a point of Order.

श्री श्रीभानसिंह : I will quote the Rules of the Procedure.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री तनसिंह : जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है वह यह कि कोई भी सदस्य जो कुछ भी प्रिविलेजेज़ कमेटी में, सिलेक्ट कमेटी में बात

Page No.48

(श्री तनसिंह)

होती है वह हाउस में या दूसरी जगह डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता और माननीय मन्त्री जो यह रेफ़रेन्स दे रहे हैं, यह नियम के विरुद्ध है ।

१ म० प०

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आप बता दें । मैंने कैसे डिस्क्लोज़ किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : The hon'ble Member will please continue.

श्री नाथूराम मिर्धा : टेक्निकल प्वॉइन्ट है तो आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है ।

श्री उपाध्यक्ष : I close that issue.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, इसलिए मैं समझता हूँ...

श्री श्रीभानसिंह : On a point of Order, Sir, I draw yonr attention to page 46 of the Rules of Procedure· "Disussions of a Select Committee shall not be disclosed by any memher nor shall any reference to snch discussion be made in the Assembly" Section 115 page 46.······

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : It is a breach of privilege, Sir...

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने, क्या डिसकशन हुआ उसके बारे में नहीं कहा । मैं रेफ़रेन्स दे रहा था कि सिलेक्ट कमेटी में इस बारे में जिक्र हुआ था उसमें कुछ बीमारियों के नाम बताये गये थे जिनसे ज़ानवरों में ट्रेजेडी पैदा होगी । उन बीमारियों के नाम मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ । अगर उस समय जो टेक्निकल आदमी कमेटी को एसिस्ट कर रहे थे उन्होंने बीमारियां जो बताई थीं, ऐसी मेरी याददाश्त है ।

इसके बाद में जो उन्होंने कहा कि रिवोकेशन के अख्त्यार हैं वे नहीं रहने चाहिए और इसलिए सब क्लॉज (२) हटा देना चाहिये । यहां माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक क्लॉज़ यह रखा गया है कि लाइव स्टॉक ऑफिसर को जब यह पता लगे कि जो लाइसेन्स में कन्डीशन्स थीं उन्हें फुलफिल नहीं किया है तो रिवोक कर सकता है । अगर इस तरह से नहीं रखेंगे तो जिस किसी को लाइसेन्स दिया है और लाइसेन्स कन्डीशन्स के मुताबिक जिनके बुल्स नहीं हैं और उनके लाइसेन्स को वह केन्सिल नहीं कर सकता है तो यह कौन सी वाजिब बात होगी । इसलिए क्लॉज़ रखना जरूरी है ।

दूसरी बात, सब-क्लॉज़ (१) व (२) में लाइसेन्स मिलेगा और रिवोक करता है तो फिर उसके बारे में कम्पन्सेशन नहीं मिलना चाहिये । इस तरह से जब कन्डीशन्स खुद फुलफिल नहीं करे और लाइसेन्स रिवोक कर दिया जाय और बाद में कम्पन्सेशन मांगे तो यह बड़ा भारी भार होगा सरकार पर, दूसरे की गलती के कारण । इसलिए यह क्लॉज़ विलोपित नहीं किया जा सकता है, इसका यहां रखना जरूरी है । इसलिए इन तीनों संशोधनों को जो क्लॉज़ में रखे गये हैं, मैं नामन्जूर करता हूँ ।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री ने आर्ग्युमेन्ट दिया है और जो उन्होंने रेफ़रेन्स सिलेक्ट कमेटी का दिया है तो वह कोई डिज़ीज़ बता दें । उन्हीं डिज़ीज़ेज़ के बारे में मैंने अभी पूछा था, वे उन डिज़ीज़ेज़ के नाम नहीं ले सकते । इन्वि-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जिबल डिजीजेज या विजिबल डिजीजेज में ऐसी कोई डिजीज नहीं है जिनको यहां पर कह दिया जाय। जो डिजीज़ विजिबल है और जिस पर लाइव स्टॉक ऑफिसर इस कन्क्लूजन पर आता है कि वह प्रोजेनी नहीं कर सकता है। वे इन्विज़िबल डिजीजेज़ ऐसी बता दी जायं कि जिन इन्विज़िबल डिजीजेज़ के लिए लाइव स्टॉक ऑफिसर यह कहेगा कि इससे प्रोजिनी कम होगी। यह ऐसी डिजीज़ है जो शायद लेटर ओन डेवलप कर ले।

फिर उन्होंने आर्ग्युमेंट दिया किसी लाइसेन्स को रिवोक करने के लिए कि वह कन्डीशन्स फुलफिल नहीं करे तो रिवोक कर दिया जाय। लाइसेन्स की क्या कन्डीशन्स हैं, वे सिवाय माननीय मंत्री महोदय के इस हाउस को मालूम नहीं हैं। जहां तक बिल से इन्डीकेशन मिलता है कि लाइसेन्स की क्या कन्डीशन्स होंगी, किन सर्कम्स्टान्सेज़ के अन्दर लाइसेन्स दिया जा सकता है और उनके फुलफिल नहीं होने पर रिवोक किया जा सकता है, उन सर्कम्स्टान्सेज़ को डिलीट कर दिया जाय। "likely to beget the inferior or defective progeny" को, लेकिन जो लाइसेन्स दे दिया है तो वह किसी के मिसजजमेंट, मिसकेल्क्युलेशन या जो कुछ भी गलती कही जाय, वह गलती किसकी है, बुल पर्चेज़र की या जो लाइसेन्स देता है और उसको सब्सीक्वेन्टली रिवोक करता है उसकी? यह प्वाइन्ट तो क्लियर है कि जो आदमी लाइसेन्स देता है और लाइसेन्स देने वाला लाइव स्टॉक ऑफिसर है और जब लाइव स्टॉक ऑफिसर अपने मिसकेल्क्युलेशन से लाइसेन्स दे देता है और सब्सीक्वेन्टली रिवोक करता है तो फिर कौन करता है? सफर लाइव स्टॉक ऑफिसर नहीं करता है उसके मिसजजमेंट के लिए। यह कौन सा जस्टिस होगा कि दूसरे के मिसजजमेंट के लिए उस आदमी को कम्पेन्सेट नहीं किया जाय? यह कोई आर्ग्युमेंट नहीं कि मैं सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर था। सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर था तो मैंने नोट ऑफ डिसेंट भी दिया है। मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य शायद संशोधन को वापस ले रहे हैं।

श्री श्री भानसिंह : मैं अपने राइट्स को एक्सर्साइज करूंगा। माननीय मंत्री महोदय ने जो आर्ग्युमेंट दिया है उसको मैं पसन्द नहीं करता हूँ और उनके इस आर्ग्युमेंट को काउन्टरेक्ट करता हूँ। एक टेक्निकल चीज़ है और वह टेक्निकल चीज़, खैर, कानून तो माननीय मंत्री ज्यादा समझते हैं, मैं कानून को इतना ज्यादा नहीं समझता हूँ······

श्री उपाध्यक्ष : The replies are also technical.

श्री श्री भानसिंह : When I reply technically, then he pleads that he is a non-technical man.

अन्त में मैं यही कहूँगा कि यह टेक्निकल चीज है और वे समझे नहीं है इस बात को और अगर आप उनके मिसजजमेंट के लिए कम्पेन्सेट नहीं करेंगे तो the hon'able Minister will himself be the first who will bring an amendment before the House, because this clause cannot have those circumstances where he can be happy.

श्री उपाध्यक्ष : The material part has been left out.

श्री श्रीभानसिंह : I beg leave of the House to withdraw because I

(श्री श्रीमानसिंह)

failed to convince the Hon'ble Minister.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ के अन्तर्गत जो संशोधन श्री श्रीमानसिंह ने रखा है, उसको वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री श्रीमानसिंह : I withdraw.

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ७ से १३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ७, ८, ९, १०, ११, १२ और १३ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लाजेज़ ७, ८, ९, १०, ११, १२ व १३ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १४ ए, श्री बहादुरसिंह

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १४ (ए) पर मेरा छोटा सा संशोधन है जो इस प्रकार है : Substitute the words 'twenty five' for the words 'one hundred" वह सिर्फ इसलिए है कि नये नये कानून हम किसानों पर थोपते जा रहे हैं। यह ठीक है कि हरेक किसान का पशुधन बढ़े, उसके पास अच्छी जमीन हो और उसके लिए हम यह कानून प्रस्तुत करें, लेकिन अगर कानून में यह व्यवस्था कर दें कि यदि लाइसेन्स या दूसरे नियम भंग करे तो १००) रु० जुर्माना किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक प्रकार से बेपढ़े-लिखे किसान पर जुल्म है। आज का किसान पूरी तरह जानता नहीं है। आज वह यह नहीं जानता है कि उसके अधिकार क्या हैं? आज राजस्थान का किसान किस प्रकार से योग्य है? वह हमारे कानूनों को अच्छी प्रकार से नहीं जानता है। इसलिए आपके द्वारा मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसमें आपने १००) रु० की व्यवस्था की है, वह बहुत अधिक है। हम एक नया कानून लादने जा रहे हैं, और हमारे कानूनों की इतनी भरमार हो गई है कि शायद किसान गिनती करने बैठे तो वह गिन भी नहीं सकेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जुर्माने की सज़ा कम कर दी जाय और उसकी तादाद २५) रु० से कम नहीं रखी जाय। इसलिए मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के क्लॉज़ ५ (ए) की तहत हमने उन लोगों को जो धार्मिक दृष्टिकोण से या और किसी विचार से या किसी एक मरे हुए आदमी के पीछे जो सांड आंकने की प्रथा है उसको राजस्थान में कुछ

(श्री डा० बहादुरसिंह)

अंशों में फोलो किया जाता है उसको हम चालू रखना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते यह हैं कि अच्छी नस्ल के बछड़े जो वास्तव में सांड बनने के लायक हों या जिनमें सांड बनने के सारे गुण मौजूद हों, ऐसे बछड़ों को ही सांड बनाना चाहिये। आम तौर से यह देखा जाता है कि कुछ लोग अच्छे बछड़ों को सांड बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग एक दूसरे की नकल करने के लिए; पड़ौसी ने सांड बनाया है इसलिये हमें भी बनाना चाहिये, इस भावना से वे हल्के और घटिया नस्ल के बछड़ों को भी सांड बना देते हैं। इसलिये जो सही किस्म के सांड नहीं हैं वे आवारागर्दी में गांवों में और शहरों में घूमते रहते हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इस प्रथा को हम रोकना चाहते हैं। इसको रोकने के ही लिये क्लॉज़ १४ (ए) जोड़ा गया है। इसमें जो जुर्माना रखा है वह इसलिये रखा है कि सांड बनने की कंडीशन्स को फुलफिल नहीं करने वाले बछड़े सांड नहीं बनाये जावें। जुर्माना करके इस प्रथा को दबाया जा सकता है और इसके द्वारा नस्ल सुधार की दिशा में कदम उठाना चाहते हैं। इसलिये यह जरूरी समझते हैं कि मुस्तैदी से इसे रोका जाना चाहिये। इसलिये सोच-विचार के बाद १००) रु० तक का जुर्माना वाजिब समझ कर रखा है। इसके बारे में यह कहा गया कि ऐसा करना किसानों के हित में नहीं होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा करना पूर्णतः किसानों के हित में होगा। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

डॉ० श्री बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री बहादुरसिंह को संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १४ (ए) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४ (ए) विधेयक अंग बना।

(विराम)

क्लॉज १५, श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : Mr. Dy. Speakar, Sir, I move an amendment in clause 15 "That the words 'twenty five ruees, may be substituted by the words 'one rupee'

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल कहा था, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के दुबारा सुपुर्द करने या रीकमिट करने के सिलसिले में, मैं यह मानता हूं कि यह जो बिल है, वह कंबरसम है और इसके जो रिएक्शन्स होंगे उनसे एग्रीकल्चरिस्ट्स को काफी हेरैसमेन्ट होने की गुंजायश है। जैसा कि क्लॉज़ १५ में रखा गया है। कोई भी व्यक्ति सेक्शन ११ के अंडर में लाइव स्टॉक ऑफिसर से नोटिस मिलने के बाद जो सांड का केस्ट्रेशन नहीं करायेंगे उन पर २५) रु० का जुर्माना करेंगे। सेक्शन ११ में यह रखा है कि लाइव स्टॉक ऑफिसर नोटिस देंगे केस्ट्रेशन कराने के लिये और

Page No.52

(श्री पी० के० चौधरी)

उसके एक महीने में केस्ट्रेशन अपने बुल्स का कर लेना चाहिये। इसके आगे सेक्शन ७ में यह रखा गया है कि जिनको सेक्शन ११ के अंडर में नोटिस देने के बाद में केस्ट्रेशन नहीं करायेंगे उनके बुल्स का केस्ट्रेशन लाइव स्टॉक ऑफिसर करा देंगे। इन तीनों क्लाज़ेज़ को एक साथ देखेंगे तो साफ जाहिर होगा कि अल्टीमेट रेस्पोन्सिबिलिटी लाइव स्टॉक ऑफिसर की रहती है। उनको पॉवर दी जाती है कि वे कंपलसरीली केस्ट्रेशन करेंगे। मेरा निवेदन यह था कि जो अल्टीमेट पॉवर्स लाइव स्टॉक ऑफिसर को दी जाती है केस्ट्रेशन करने की तो बीच में यह ख्वामख्वाह एग्रीकल्चरिस्ट और गांव के लोगों को पेनेलाइज़ करने का जो प्रोविज़न रखा है वह नहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि ऐसा करेंगे तो इस लेजिस्लेशन से लोग ज्यादा सहमत होंगे और लोग डिस्कंटेन्ट कम होंगे। हालांकि इस बिल को देखने से इस बिल के जो मूवर हैं उनकी मंशा यह मालूम होती है कि पेनल्टी इम्पोज़ करनी चाहिये। यदि पेनल्टी इम्पोज़ करना है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि वह पेनल्टी नोमिनल होनी चाहिये या टोकन पेनल्टी होनी चाहिये। इट शुड नोट बि डेटेरेन्ट पेनल्टी, क्योंकि एक बात यह है कि यह जो बिल पास किया जा रहा है उसके माफिक एक साथ सभी बुल्स का केस्ट्रेशन नहीं कर पायेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं, इतने पेडिग्री बुल्स नहीं हैं ताकि फौरन पेडिग्री बुल्स सप्लाई कर सकें और सांडों की जरूरियात पूरी कर सकें। मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि लेजिस्लेशन अमल में आने के बाद डिमान्ड ऑफ बुल्स और सप्लाई ऑफ पेडिग्री बुल्स में काफी अंतर रह जायगा। सप्लाई और डिमान्ड एक एक दूसरे को मीट नहीं कर पायेंगे, डेसपेरिटी रहेगी। ऐसी हालत में क्या होगा कि जो लाइव स्टॉक ऑफिसर होंगे उनको काफी डिस्क्रीशन रहेगा। एक तरफ तो पेडिग्री बुल्स सरकार की तरफ से सप्लाई नहीं कर पायेंगे और दूसरी तरफ केस्ट्रेशन पूरा नहीं करा पायेंगे और लोगों को पेनेलाइज़ करेंगे। मैं मानता हूं कि यह ज्यादा साइन्टिफिक होगा और लोग विलिंगली करेंगे यदि पेनाल्टी का क्लॉज हटा दिया जायगा। यदि आप इसको हटाना नहीं चाहते हैं तो पेनल्टी के रूप में एक रुपये की पेनल्टी रख दीजिये ताकि लोगों को हार्डशिप महसूस न हो। ऑफेन्स यदि किसी ने किया है तो वह सज़ा का हकदार तो हो गया, अब चाहे आप १ रु० का जुर्माना करियें या १०० रु० का जुर्माना करिये, आफटर आल इट इज़ एन ऑफेन्स। १ रू० की पेनल्टी डेटेरेन्ट नहीं होगी। सेक्शन ११, १५ और १७ तीनों को पढ़ेंगे तो अल्टीमेट रेस्पोन्सिबिलिटी लाइव स्टॉक ऑफिसर पर आती है। वह फ्री ऑफ चार्ज केस्ट्रेशन करायेगा, तो मेरी समझ में नहीं आता कि पेनल्टी २५ रु० क्यों रखी जाय। इसलिये मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बात को कंसीडर करके पेनल्टी को नोमिनल रख दें क्योंकि एक बात और भी है, मान लीजिये लाइव स्टॉक ऑफिस ने नोटिस दिया किसी काश्तकार को अपने बुल का केस्ट्रेशन कराने के लिये तो प्रेस्क्राइब्ड मीन्स काम में लाये जायेंगे, मुमकिन है ज्यादा मोडर्न मीन्स बता दें जिनका उनको पता ही नहीं हो तो बड़ी दिक्कत हो जायगी। वे तो अपने गांव के पुराने तरीके से केस्ट्रेशन करेंगे जबकि यह मालूम नहीं है कि सरकार की तरफ से क्या तरीका काम में लाया जायगा कैस्ट्रेशन कराने के लिये। मान लीजिये काश्तकार को

(श्री पी० के० चौधरी)

अपने गांव के साधन उपलब्ध हैं,उसके माफिक करायेगा तो भी कानून के माफिक जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा तो वैसी हालत में भी बीकम्ज लाइबल फोर पेनल्टी। तो मैं चाहता हूं कि आप पेनाल्टी ही लगाना चहते है तो टोकन पेनाल्टी रखिये। जब आगे की धाराओं के द्वारा सरकार अल्टीमेट रेस्पोन्सिबिलिटी केस्टेशन कराने की अपने पर लेती हैं तो इट इज नोट विद ग्रेस कि आप पेनल्टी रखते हैं जिससे हार्डशिप भी आती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक रुपया पेनल्टी के रूप में रखा जाय, नोमिनल रखा जाय क्योंकि अल्टीमेट रेस्पोन्सिबिलिटी लाइव स्टॉक ऑफिसर की है। काश्तकारों को हैरेसमेन्ट से मुक्त करने के लिये यह मेरा अमेन्डमेन्ट है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस क्लॉज़ १५ में मेरा एक संशोधन यह है कि पेनल्टी २५ रुपये के बजाय १० रुपये कर दी जाय। मैं पुनः आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करन चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो पेनल्टी लगा रहे हैं २५ रुपये वह कुछ अधिक है। आप लाइसेन्स फीस उससे लेना नहीं चाहते और इन्सपेक्शन अधिकारी, लाइव स्टॉक ऑफिसर पूरा टेक्निकल योग्यता रखने वाला मिलेगा नही, किसान अपने तरीके से पशुधन की वृद्धि करता है, लेकिन आप इस प्रकार की नई-नई पद्धतियों को जारी करना चाहते हैं। अभी हमारे यहां के लोग इतने कुशल नहीं हैं कि इन वैज्ञानिक पद्धतियों को अच्छी प्रकार समझ सकें। जो इस कानून की खामियां हैं, यह कानून जो डिमान्ड करता है, उसकी पूर्ति कर सकें। इस प्रकार जो गलतियां होंगी, उनके लिए आपने २५ रुपये जुर्माना रखा है, जब कि लाइसेन्स फीस लेते नहीं हैं। ऐसी दशा में २५ रुपये पेनल्टी रखना उपयुक्त नहीं है। अभी एक रुपया पेनल्टी का मेरे पूर्व वक्ता ने रखा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वैसे तो १० रुपये भी अधिक हैं, फिर भी मैंने यह सोच कर कि सरकारी अधिकारी इस श्रेणी का लगा रहे हैं, वह एक रुपया जुर्माना करेगा तो ठीक नही लगेगा। मैं समझता हूँ कि अधिक से अधिक १० रुपये रखे जायं।

श्री मुकिलाल मोदी (बैराठ): माननीय उपाध्यक्ष जी,......

श्री उपाध्यक्ष : आपका संशोधन नहीं है।

श्री मुकिलाल मोदी : मैं इनके संशोधन पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : महत्वपूर्ण नहीं।

श्री मुकिलाल मोदी : महत्वपूर्ण तो है, फिर आपकी मर्जी होगी तो बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : शुरू करिये। मुझे उम्मीद है, आप थोड़ा समय लेंगे।

(हंसी)

श्री मुकिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, श्री पी० के० चौधरी ने जो क्लॉज़ १५ के अन्दर संशोधन रखा है, वह क्लॉज इस रिपोर्ट (बिल) के अन्दर रखा है और वह रिपोर्ट (बिल) भी अंग्रेजी में है, उसमें यह है कि अगर नोटिस देने के बाद उसका पालन नहीं किया जायगा तो उसके लिये २५ रुपये जुर्माना रखा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सरकार के पास राजस्थान के अन्दर ज्यादा से ज्यादा १०० डिस्पेन्सरियां खोली गई होंगी और उन १०० में भी जो सामान, सरकार की

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

ओर से होना चाहिए, वे सब साधन उन डिस्पेन्सरियों में मिलेंगे नहीं। उसके बाद किसान की क्या बात ? जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनके द्वारा भी, इस सभा में जो कानून बनाये जाते हैं उनका पूरा पालन नहीं होता है। इसके अलावा जो एजुकेशन होनी चाहिये, उतनी राजस्थान के किसानों में नहीं है। ऐसी हालत में किसी किसान के ऊपर ऐसा नोटिस जारी किया जाय, उसको चपरासी लेकर जाय, वह नोटिस किसान को नहीं मिले, वह कहीं चला जाय, तो आप जानिये कि जितने ज्यादा से ज्यादा कानून उन किसानों, अनपढ़ लोगों के ऊपर लागू करेंगे, उसका मतलब यह होगा कि भ्रष्टाचार ज्यादा फैलेगा, और उस भ्रष्टाचार को फैलाने का नतीज़ा यह होगा कि सारे मनुष्यों के दिमाग में यह चीज़ पैदा होगी कि राजस्थान में असेम्बली कायम होने के बाद इस तरह का भ्रष्टाचार फैल रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : आप क्लॉज़ १४ के संशोधन पर बोल रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : संशोधन को बता रहा हूं, महाराज।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ १४ पर ?

श्री मुकीलाल मोदी : क्लॉज १५ पर।

(हंसी)

माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री पी० के० चौधरी ने एक रुपया रखा है, उसकी बनिस्बत एक साल, दो साल, चार साल तक उनको ऐसे ही रखना चाहिये था, परन्तु एक रुपया भी रखेंगे तो उनकी ट्राइ लीजिए। अगर एक रुपये के जुर्माने के कारण उसका पालन होता है, तो उसके बाद दो रुपये, पांच रुपये कर दिये जायें। अभी देखा जाय कि एक-दो साल तक सरकार द्वारा जो काश्तकारों को नोटिस दिये जायेंगे, उन नोटिसों का कितना पालन होता है, कितना रुपया जुर्माने का वसूल होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ा भी दिया जाय तो कोई बात नहीं, परन्तु एक साथ २५ रुपये सरकार ने किये हैं तो उचित नहीं है। अगर धीरे धीरे सरकार बढ़ायेगी तो शायद कुछ लोग समझ जायेंगे, उनको जानकारी हो जायगी। एक साथ जुर्माना बढ़ाने से ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से, जो खुद काश्तकार हैं और खुद इस सरकार के अन्दर बैठे हैं, प्रार्थना करूंगा कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए यह सोचें कि क्या काश्तकारों के घरों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वे एजुकेशन पाते हैं, तब तो कानून अवश्य लाना चाहिये, नहीं तो नहीं लाना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें २५ रुपये जो जुर्माना रखा है उसके बनिस्बत एक रुपया रखा जाय जिससे काश्तकारों को ज्यादा परेशानी न हो। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १५ के बारे में दो संशोधन सदन में उपस्थित किये गये हैं। एक माननीय सदस्य की राय है कि २५ रुपये के बजाय १ रुपया रखा जाय और दूसरे माननीय सदस्य की राय है कि २५ रुपये के बजाय १० रुपये रखा जाय। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस क्लॉज़ को देखने से मालूम होगा कि पहले ओरिजनल बिल में जो प्रपोज किया था उसमें १०० रुपये पेनल्टी के रखे थे। तीसरे, माननीय सदस्य, जो समर्थन में खड़े हुए, को

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पता नहीं था कि जुर्माना किस चीज का है ? वे कह बैठे कि किसानों के लिए इस बिल की आवश्यकता नहीं है, इसलिये इसे पास नहीं करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष, मैं उनको नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल की बहुत आवश्यकता है और किसानों का आर्थिक सुधार करने के लिए मवेशियों का पालन किसानों के आर्थिक दृष्टि-कोण से एक बहुत महत्वपूर्ण आमदनी का जरिया है और जितने भी मवेशी पाले जायं, वे अच्छी प्रकार के मवेशी पाले जायं जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिल सके। इसलिये सांड अच्छा रखना, अच्छी नस्ल का सांड रखना जरूरी है। अगर कोई सांड अच्छी नस्ल का नहीं है और वह सांड बना हुआ है तो उसको उस क्षेत्र से हटाना बहुत जरूरी काम है। इसी तरह जिस सांड को बैल के रूप में काम में ले सकते हैं, उसको बधिया करवाना जरूरी काम है और इस एक्ट का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि केस्ट्रेशन करवाने के लिये किसी आदमी को नोटिस देंगे और अगर वह उसके बावजूद भी तैयार न हो तो उसको २५ रुपयें तक की सज़ा दी जानी चाहिये। आम तौर से काश्तकार आज सजग है कि जो अच्छी किस्म के बैल हैं, उनको वह सांड के रूप में काम में लेता है, लेकिन उनको बधिया किया जाना चाहिए। ये सब बातें, मैं समझता हूं कोई नई बातें नहीं हैं, जैसा कि वे सोचते हैं कि इससे किसानों के लिए बड़ी दिक्कत हो जायगी, उनको नुकसान हो जायगा। वे इस बात को नहीं मानते कि जुर्माने के २५ रुपये रखे जायं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर २५ रुपये नहीं रखे जायेंगे तो लोग जानबूझ कर कानून का उल्लंघन करेंगे। अगर एक रुपया सज़ा रखी जाय तो लोग इसको मज़ाक समझेंगे कि नोटिस देने, इतना परेशान करने पर भी एक रुपया जुर्माना हुआ। इसलिये जो दो संशोधन रखे हैं, मैं उनको मानने में असमर्थ हूं।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ पर जो संशोधन श्री बहादुरसिंहजी ने रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ पर जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my motion.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत]

क्लॉज़ १५ विधेयक का अंग बना;

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ १६, श्री पी० के० चौधरी।

(श्री उपाध्यक्ष)

(श्री पी० के० चौधरी ने अपना संशोधन प्रस्तुत करने में अपनी मौन असहमति दर्शायी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

(श्री बहादुरसिंह ने अपना संशोधन प्रस्तुत करने की मौन असहमति दर्शायी)

(विराम)

क्लॉजेज़ १६ व १७

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ १६ व १७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १६ व १७ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १८, श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा क्लॉज १८ में यह संशोधन है– 'Delete words 'sold by public auction' for माननीय उपाध्यक्ष, मैंने यह संशोधन यों रखा है, जब यह देखा जाय कि हमारे यहां एग्रीकल्चर में वर्किंग केपेसिटी ऑफ बुलाक्स है, बुलाक्स पावर की एफिशियेन्सी है, उसको हम देखते हैं।...........

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : यह तो क्लॉज १७ में है।

श्री श्रीभानसिंह : Is it the privilege of the Hon'ble Minister to sit and talk ?

श्री नाथूराम मिर्धा : I was talking to the Secretary.

श्री उपाध्यक्ष : No No; you Continue.

श्री श्रीभानसिंह : But the Hon'ble Minister is not authorised to talk.

उपाध्यक्ष महोदय, तो मेरे क्लॉज़ १८ के अमेंडमेंट की मंशा यह थी कि हमारे बुलॉक्स की केपेसिटी देखी जाय तो वह यह है कि एक एकड़ ज्यादा से ज्यादा लैंड को कल्टीवेट करने के लिये दो बुलॉक्स रखने पड़ते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्लॉज १८ में जो संशोधन रखा है वह किस जगह फिट इन होता है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री श्रीभानसिंह : I seek the protection of the chair. I was speaking while he was sleeping that time.

क्लॉज़ १८ में क्या है........

(विराम)

तो उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया कि फिट इन नहीं होता है, मैंने तो सीधी सी बात 'Sale by public auction' रखा है....

श्री उपाध्यक्ष : The amendment is on clause 17, I presume,

श्री नाथूराम मिर्धा : क्लॉज़ १७ तो पास हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : No, I reopen it

श्री नाथूराम मिर्धा : That has already been passed.

श्री उपाध्यक्ष :Yes, You continue.

श्री श्रीभानसिंह : क्लॉज १७ पर,

(श्री श्रीमानसिंह)

'Sold by public auction' के लिये कह रहा था। हमारे राजस्थान में बुलॉक्स पावर देखे तो एक एकड़ के लिये एक पेअर बुलॉक्स रखना पड़ता है, बुलॉक्स की एफिशियेन्सी ऑफ वर्किंग पॉवर एक एकड़ हैं। सारे एक्ट को देखा जाय तो किन्हीं बुलॉक्स को पब्लिक ऑक्शन से बेचा जायगा, उसकी सर्विसेज़ यूटिलाइज करने के बाद ऑक्शन किया जायगा, prescribed age attain कर लेगा, क्रोस कर लेगा तब केस्ट्रेट किया जायगा और पब्लिक ऑक्शन से सेल किया जायगा। प्रेस्क्राइब्ड एज के अलावा और भी डिज़ीज़ वगैरह वगैरह रीज़न्स हैं, पर प्रेस्क्राइब्ड एज के बाद इसे पब्लिक ऑक्शन से सेल किया जाना क्रुअल एटीट्यूड होगा। जिसके फूडिंग के लिए प्रोविजन नहीं करते गांव वाले, पंचायतें उसकी मेग्ज़िमम युटिलिटी लेती हैं, इतने एड्वान्स्ड सर्कम्स्टान्सेज में फूडिंग का इन्तजाम नहीं, उसे इनजेंटिक फूड चाहिये। जब यह वीक हो जाय तब उसे लाइव स्टॉक ऑफिसर केस्ट्रेट करेगा, पब्लिक ऑक्शन से उसका सेल करेगा। उस एज में उसकी वर्किंग पॉवर इतनी डेफिसियेंट हो गई है, उसको पुअरेस्ट कल्टीवेटर पर्चेज़ करने के लिये आयेगा तो उसकी वर्किंग केपेसिटी क्या रह जायगी, प्लोइंग के लिये काम में नहीं लेगा तो ट्रान्स्पोर्टेशन के लिये लेगा और वह भी पावर उसका नहीं रहता। लाइव स्टॉक से हम ब्रीड ठीक करवाते हैं, बड़ी वेल्युएबल सर्विस लेते हैं और एज क्रोस करता है तो फिर यह चाहते हैं कि अपना मनी वापिस लें, और वह मनी उस बीस्ट से लेना चाहते हैं जिसने वैल्युएबल सर्विसेज रेंडर की हैं। पब्लिक ऑक्शन से सेल किये जाने के बाद मुश्किल से वह एक महीना सर्वाइव कर सकेगा और उसकी डेथ हो जायगी। इस काम को गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर छोड़ा है, वे कितने फेथफुल हैं और एनीमल के इतने डिस्फेथ-फुल हैं कि चाहे उसकी डेथ एक वीक में ही क्यों न होने वाली हो वे तो किसी न किसी खरीददार को ढूंढ कर लायेंगे ही, गवर्नमेंट आफिसर्स का ट्रेन्ड यह रहेगा कि बुल को डिस्पोज़ ऑफ पब्लिक ऑक्शन से कर दिया जाय। जब इतनी अच्छी सर्विसेज रेंडर कर चुका है तो पिंजरापोल में उस बीस्ट को रखा जाय और गवर्नमेंट के काफी फार्म्स हैं, जहां ऐसे बुल्स से सर्विसेज़ ली जा सकती है। पर गवर्नमेंट की मंशा यह है कि सबसे पहला अपना स्टेप ऑक्शन का होना चाहिये। इतनी सर्विसेज़ उससे लेने के बाद उसे पब्लिक ऑक्शन से सेल किया जाय, यह उसके लिये कोई अच्छा रिवार्ड नहीं है। उसके लिये क्रुअल एटीट्यूड है कि........since you have rendered good service there, you must be sold either for ploughing or for transportation purposes. तो मैं यह चाहता हूँ कि कुछ हुमेनिटेरियन व्यु से, उसके वर्क को एप्रेशियेट करते हुए गवर्नमेंट की यह ड्युटी है कि इतने प्राइसलेस बुल को कम से कम प्रोटेक्शन दें और उसे अपनी लेटर लाइफ पीसफुली पास करने दें।

यही मंशा रखते हुए मैंने यह अमेंडमेंट सदन के समक्ष उपस्थित किया है, जिसे मैं आशा करता हूँ एक्सेप्ट किया जायगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन से एग्री करता हूँ और निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की सख्ती सांडों पर उस हालत में इस देश काल में नहीं होनी चाहिये। काम का न रहने के ऊपर केस्ट्रेट

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

होगा फिर उसको ऑक्शन के लिये दिया जायगा, देखा जाय तो हिन्दू धर्म में सेक्टेरियन हिसाब से ही अर्ज़ नहीं करता, इकोनोमी से सोचने की बात है कि यहां राजस्थान में और भारत में भी सब जगह सांडों को एक बहुत अच्छा स्थान, राजा और पिता का स्थान है, वह स्थान दिया जाता है।

इसके अन्दर दो चीज़ें करने को कहा गया है। पहले तो उसको बधिया करना, फिर उसको बाजार में खुलेआम नीलाम करना। दोनों बातें इस प्रकार की हैं कि जो आज के समाज के लिये उचित नहीं और लोगों को बहुत-कुछ बुरी लगेंगी, क्योंकि वह उम्र भर अच्छी तरह काम करके काफी हमारे यहां बैल और गायों को पैदा करता है और उसके बाद में जब वह अशक्त हो जाता है तो इस प्रकार का उसके साथ व्यवहार करना लोगों की दृष्टि में और खासकर किसानों की दृष्टि में अच्छा साबित नहीं होगा।

दूसरी बात, यह है कि उसका क्या बंटेगा व क्या काम देगा ? वह खून के आंसू बहायेगा। उसको बेचने से बहुत थोड़ी रकम मिलेगी और मैं तो यह कहूँगा कि यह एक रुपयों का प्रश्न नहीं है यह तो एक भावुकता और मनुष्य की नीति का प्रश्न है। इसलिये मेरे ख्याल से इस समय इतनी कठोरता नहीं होनी चाहिये। वैसे बीच में अभी यह भी प्रश्न आया था कि काश्तकार इसके लिये एतराज़ करते हैं और अपना सहयोग नहीं देना चाहते और इसके लिए उन पर २०, २५ रुपये जुर्माने का प्रश्न भी आ चुका है। मगर मैं यह जरूर कहूँगा कि वे न तो हल के नीचे काम कर सकेंगे, न कोई बोझा लादने के काम कर सकेंगे। ठोकरें खाते खाते वह जानवर या तो कौओं या गिद्ध के खाने के काम में घायल होकर पहुँच जावेगा और भगवान् न करे, एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह कहीं जाकर व बिक कर शायद बूचर के हाथ पहुँच कर उसकी छुरी के नीचे पहुँच जावे तो बड़ी बात नहीं। इसलिये में यह कहूँगा कि जब आप मामूली अशक्त जानवर को पिंजरापोल में रखते हैं तो इस जानवर को उस स्थान पर रखना कोई अन्याय की बात नहीं होगी और गवर्नमेंट को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिये कि this is a matter of sentiment. मनुष्यों की विचारधारा का प्रश्न है और यह बात हमारे यहां खास करके गऊ और ब्राह्मण के लिये कही गयी है। एक तरह से पुराने समय से लेकर अब तक यह चीज़ बराबर मानी जाती है और दूसरे शब्दों में कहूँ कि एक किसी के पिता या माता वृद्ध हो जावें और काम करने के लिये अशक्त हो जावें और कोई यह कहे कि घर से निकल जाओ या उनको घर से निकाल दिया जावे और वे हर घर-घर भीख मांगते फिरें और भटकने के लिये छोड़ दिये जावें तो उसके बाल-बच्चों के लिये, और समाज के लिये, पड़ौसियों के लिये कितनी बदनामी की बात होगी। मैं तो मनुष्य और गायों और उनके सेन्टीमेंट में कोई फर्क नहीं समझता। हमें दूध देने वाला और खेती करने वाला जानवर जो सैकड़ों की तादाद में बच्चे दे चुका है, उसके साथ बुड्ढा होने से यह बर्ताव करें, यह अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा जुर्माने की बात पहले कही गई है, इसके लिये भी किसान बड़ी मुश्किल से खून का घूंट पी रहा है। इसलिये ऐसे मामलों में अभी तो कुछ नहीं करना और इस पर जोर नहीं दिया जाय।

Page No.59

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : यह संशोधन बड़े महत्व का है । मुझे निवेदन करना है कि अभी माननीय प्रभारी मंत्री ने बताया कि क्लॉज़ ५ (ए) के अन्दर इस प्रकार की सारी प्रथाओं का जिनके द्वारा बैलों को छोड़ा जाता है, सांड बनाकर या डेडीकेट करके इस प्रकार की प्रथा का दंड नहीं देना चाहिये । मगर उन्होंने यह कहा कि हमें इस प्रकार की कुछ बातों को मनाना चाहिये जिससे उनको कोई नुकसान न हो । मेरा कहना यह है कि अब इस क्लॉज़ से यह चीज बिल्कुल विरोध में पड़ती है । जब कोई व्यक्ति अपना बुल डेडिकेट करता है या आंक लगाकर छोड़ता है तो इसके लिये प्रथा यह है कि उसने तो अपनी ओर से उसको त्याग दिया है और इसी आधार पर ही लोग अपने बैलों को डेडिकेट करते हैं । अब यहां पर यह प्रॉवधान रखते हैं कि सरकार उनको खस्सी कराकर बेच देगी । मेरा यह ख्याल है कि जहां लोगों द्वारा सांडों को डेडिकेट किया जाता है तो उस पर सरकार का क्या और कहां तक अधिकार रहता हैं ? जिस वस्तु का वे त्याग कर दें और जिससे आम जनता का हित हो उसके लिये वे सांडों को छोड़ दें ऐसे बैलों को सरकार कानून के द्वारा वेचना चाहती हैं और पैसे लेना चाहती है तो माननीय मंत्री के शब्दों में यह भी एक वैधानिक आय है, मैं इस बात को मानने से सहमत नहीं हूँ । मेरा यह निवेदन है कि इस तरह से बेचना और खस्सी करना उचित नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति इस तरह से सरकार करेगी तो उचित नहीं समझेगा । ऐसी हालत में उसको पिंजरापोल में रखने की बात हैं वह उचित है और माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत अच्छा है और जो धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने सांडों को डेडिकेट करते हैं, अगर यह हाल रहा तो इस प्रकार की प्रथा पर कुठाराघात पहुँचेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, जो संशोधन माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है और उसके समर्थन में माननीय दो सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं, उनको मैंने गौर से सुना है । उन्होंने एक यह दलील दी है और वह यह कि वे बड़े सांड़ जो कि अच्छी नस्ल को पैदा करने वाले हैं और वे बुड्ढे हो गये या अनसर्विसेबल हो गये, उनको न तो नीलाम करने की मंशा इस धारा की है और न उनको बेचने की ही है । जिस प्रकार की वे धारणा रखते हैं और उनके प्रति वे रिगार्ड रखते हैं वैसा ही गांव की पब्लिक भी उनके लिये रिगार्ड रखती है और वैसा ही रिगार्ड सरकार भी रखती हैं । जो अच्छी किस्म के सांड़ होते हैं सरकार, समाज की व जनता के फायदे के लिये रखना चाहती हैं और उनको बुढ़ापे में अच्छी तरह से रखना चाहती हैं ।

मगर यह जो क्लॉज है इसमें दोनों बातें आ जाती हैं । गांव वाले बूढ़े हो जाने पर भी उनको हटाने नहीं देते और सरकार की भी ऐसी मंशा नहीं है । वे सांड़ न तो ब्रीड को पैदा कर सकते हैं और न सुधार के काम के रहते हैं । यहां तक गांव वाले अगर आकर यह कहें कि हम अब इनको नहीं रख सकते तो उनको पींजरापोल में या हमारी दूसरी स्कीम है उसमें पहुँचा दिये जाते हैं । इसलिये उनको बैल बनाकर नीलाम करने का कोई प्रश्न नहीं है । अगर उनको नहीं रखा जावे तो क्या नुकसान हो सकता है ?

जैसा मैंने कहा जिस दृष्टिकोण को लेकर कई लोग समाज के हित के लिये सांड छोड़ते हैं वे सांड़ तो जरूर बन गये, मगर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बहुत ऐसे होते हैं जो सांड बनने के लायक नहीं होते और उनसे सर्विस लेकर किसानों को कोई फायदा नहीं पहुँच सकता, तो उन घटिया सांडों को भी वे सांड का नाम देते हैं। उनके नाम देने को मैं पसन्द नहीं करता और हमारे इलाके के आदमी अच्छा नहीं समझते, उनको केस्ट्रेट कर लेते हैं और अगर इस धारा को निकाल देते हैं तो उसके अनुसार उनको पिंज़रापोल में भेजने होंगे। इस प्रकार के जवान बछड़ों को मारवाड़ में खोदिये कहते हैं। उनसे काम करा सकते हैं। वे बैल बन सकते हैं और लोगों को सर्विस दे सकते हैं। न तो वे कमजोर हैं, न बूढ़े हैं न काम करने के लायक हैं। इसलिये जो काम करने लायक हों उनका अच्छी तरह से उपयोग थोड़े पैसों में मिल सकता है। इसके अलावा एक दूसरा यह भी फायदा होगा कि जो यूजलेस केटल्स हैं उनको खड़ा खड़ा खिलाना पसन्द नहीं करेगा और लोग भी उसे नहीं चाहेंगे। इस प्रकार दोनों प्रकार के प्रोविजन्स इसमें रखे हैं। जो ऐसे सांड होंगे उन्हें पिंजरापोल में भेजा जा सकता है यह भी व्यवस्था इसमें रखी है। इस धारा से एक तो यह व्यवस्था होगी कि जो काम करने वाले जानवर हैं, उनसे लोगों को फायदा मिलेगा और जिन सांड़ों को लोग खिलाना-पिलाना पसन्द नहीं करेंगे, उनको पिंजरापोल में ले जाया जा सकता है। इसलिये यह जो क्लॉज रखा है वह बहुत सोच समझ कर रखा है। इसलिये, मैं समझता हूँ, माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापिस लेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के सांडों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : अब आपके निवेदन करने की स्थिति नहीं है।

(विराम)

श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है जहां तक उनकी भावनाओं का प्रश्न है, वे बहुत अच्छी हैं, लेकिन जिस प्रकार का कानून बन रहा है, उस कानून में उनकी भावनाओं का समावेश नहीं हैं, उनकी भावनाओं को इस बिल में एकोमोडेट नहीं किया गया है। वास्तव में अगर उनकी भावना जैसा कि अभी कहा है, वह एकोमोडेट होती तो मैं जवाब भी नहीं देता। लेकिन कानून के अन्दर यह भावना नहीं है। इस बिल में एक तो यह बात है कि बिना किसी परमिशन के लाइव स्टॉक ऑफिसर चाहे जिस बुल को केस्ट्रेट करवा सकता है। दूसरा, जो प्रेस्क्राइब्ड एज का हो गया उसको केस्ट्रेट कर दिया जायगा। तीसरा, that such an animal ....or is suffering from any disease specified in section 7,' and to refresh his memory, I would like to say that clause .7 refers to the contageous diseases or otherwise. तो क्लॉज ७ में जिन बीमारियों का उल्लेख है उन पर क्या एक्शन लिया जायगा? Castrated in the prescribed manner, and sold by public auction or sent to a Pinjrapol. अब जैसा कि यह सेक्शन रीड करता है उसके अनुसार जिस बुल को केस्ट्रेट किया जायगा उसको ऑक्शन द्वारा बेचा जायगा। क्या यही जनता की भावना नो एकोमोडेट किया गया है? मगर फिर भी माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि समाज के हित के अन्दर सेक्शन है, क्या समाज का हित इसी में है कि जो

(श्री श्रीभानसिंह)

बुल बीमारी से ग्रसित हो उसको केस्ट्रेट करके भार उठाने के लिये काम में लिया जाय ?

जहां से क्लॉज १७ का रेफरेन्स दिया जाता है, तो उन बीमार बुल्स को केस्ट्रेट करके क्या आप उस बीमारी को स्प्रेड करना ही समाज का हित मानते हैं ? माननीय मंत्री के कहने के मुताबिक तो हित ही है ।

इसके अलावा जो प्रेस्क्राइब्ड एज़ है उसको अटेन कर लेता है, उसके बाद में उसका ऑक्शन होगा, जब कि उस बुल ने अपनी जितनी सर्विसेज़ थीं वह रेन्डर कर दी, उसके बाद जब कि वह इतना ताकतवर नहीं रहता उसके बाद उस पर भार लादा जायगा तो जिसके सरवाइव करने की ताकत महीनों होगी वह विदिन ए वीक मर जायगा । क्या आपके कहने के मुताबिक यही समाज का हित है ? इस बिल का जो क्लॉज १७ है, उसके अनुसार आप डेडिकेटेड बुल्स हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं । आज राजस्थान की जिस प्रकार की सिचुएशन है, जिस प्रकार के सेन्टीमेंट्स काम कर रहे हैं उनमें क्राइसिस आ जायगा । इससे होगा क्या कि कैसे भी बुल्स होंगे, उनके लाइसेन्स ले लिये जायेंगे, उनको किसी भी खेत में चरने से मना नहीं कर सकेगा । किसी के घर से कुछ भी खाकर आ जाय, कोई एतराज नहीं कर सकेगा । ऐसी हालत में अगर इस प्रकार के बुल को कोई लाइव स्टॉक ऑफिसर पकड़ कर लायेगा और केस्ट्रेट करना चाहेगा तो वहां के लोग हैं उसको सही सलामत नहीं आने देंगे । वह ज़िन्दा है या मर गया उसकी रिपोर्ट तक आपको मिलने वाली नहीं । आज जिस प्रकार के सेन्टीमेंट हैं उनसे तो हम जनता के टेन्शन को हिट करेंगे और ऐसी हालत में एक लाइव स्टॉक ऑफिसर के साथ हमें एक पुलिस टुकड़ी भेजनी पड़ेगी । क्या समाज का हित इसी के अन्दर है कि जिस बुल ने प्रेसक्राइब्ड एज अटेन कर ली, उसके बाद आप उसको लायेंगे और उसको यदि विलेजर्स यदि केस्ट्रेट नहीं करवाना चाहेंगे तो नहीं करेंगे और उसको वहीं छोड़ देंगे । आपके ये सेन्टीमेन्ट्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उन सेन्टिमेन्ट्स को इस कानून के अन्दर आप रख नहीं पाये हैं । आपके चाहने के मुताबिक भी यह कानून नहीं है । इसके अलावा आज राजस्थान में जो केटल प्रोब्लम है, यहां की नस्ल अच्छी नहीं । वैसी हालत में मुझे यह जंचता नहीं कि इससे समाज हित कैसे होगा ? यह मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय मुझसे ज्यादा कानून को समझते हैं, लेकिन जो कानून उन्होंने पेश किया है, उससे समाज का हित तो नहीं, जन-हित जरूर है । वे समझते हुए भी मेरे संशोधन को मानने को तैयार नहीं, इसलिये मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की इज़ाज़त चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज १७ में प्रस्तुत किया गया है, उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

Page No.62

(श्री उपाध्याय)

क्लॉज़ १७ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज १८, डॉ० बहादुरसिंह।

२ म० प०

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह हैं कि जो पीनल्टी २५) रु० की की गई है वह ५) कर दी जावे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जिसको फ्री लाइसेन्स देना चाहते हैं वह अगर रीजनेबल टाइम पर नियत स्थान पर नहीं पहुँचा तो उस पर जुर्माना होगा २५) रु०। क्या यह उपयुक्त है ? नहीं। आज का किसान यह बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इससे असन्तोष बढ़ेगा और इसका असर राजनैतिक बातों पर और दूसरे लोगों पर होगा। जरा जरा सी बातों पर वैसे भी जुर्माना करना उचित नहीं। अगर जुर्माना ही करना हैं आपको तो ५) पर्याप्त है और वह भी सिर्फ भय के कारण। यह नहीं कि आप २५) या ५) जुर्माना करके कोई सरकार का खज़ाना बढ़ाना चाहते हों, तो इस दृष्टि से ५) पर्याप्त होगा। यह मेरा एक साधारण सा संशोधन है। इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न भी नहीं और कोई बात नहीं, आराम से स्वीकार कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इसे आप स्वीकार कर लेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे अगर इस क्लॉज को दुबारा पढ़ने का कष्ट करें तो खुद महसूस करेंगे कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह २५) रु० ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। Fine which may extend to Rs. 25/- अर्थात् कोर्ट चाहे तो एक, दो, तीन, चार या पांच रुपया भी कर सकता है। चाहे जितना वह कर सकता है; पर ज्यादा से ज्यादा २५) का है प्रोवीजन, यह इसके लिये रखना जरूरी था। इस वजह से मैं आशा करता हूँ कि वे अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं तो चाहता था कि लिमिट ५) रख देते तो बुरा नहीं था; खैर, जैसी आपकी मर्जी। संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ विधेयक का अंग बना।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ १६, श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : I move the amedment that the word 'knowingly' may be inserted between the words 'a bull' and 'in contravention'. After this amendment, the clause will read like this-'Whoever castrates a bull knowingly in contravention of the provisions of Section 12 shall be

(श्री पी० के० चौधरी)

punished with fine which may extend to one hundred rupees.'

क्लॉज़ १२ जो है, उसमें कहा गया है :

'No bull shall be castrated except in such manner as may be prescribed'.

मैंने संशोधन इसलिये रक्खा है कि क्लॉज़ १२ जो है वह बड़ा कॉम्प्रीहेन्सिव है। जिस तारीख से वह फोर्स में आ जाता है उस तारीख से वह एप्लीकेबल होता है। अब मान लीजिये, किसी काश्तकार को यह जानकारी न हो कि प्रेस्क्राइब्ड मैनर क्या है और वह अपने ट्रेडीशनल तरीके केस्ट्रेट करता है तो वह फाइन के लिये लाएबल होता है। मैं मानता हूं कि अननोइंगली व नोइंगली जो काम किया जाता है, उनकी पैनल्टी में फर्क रहना चाहिये, ऐसा कानून का उसूल है। यह मेरा एक छोटा सा अमेन्डमेंट है, पर इसका इफेक्ट फार रीचिंग है। इसमें इन्नोसेन्ट पीजेन्ट्स को कम से कम सेफ गार्ड मिलता है। कानून में जान कर मार देने वाले को फांसी होती है और अनजा में किसी की हत्या हो जाती है तो उसे लाइट पीनल्टी दी जाती है।

तो इस तरह से यह जो पीनल्टी का प्रोविज़न है, इसमें यह डिस्टिंक्शन तो जरूर होना चाहिए। इस तरह का प्रोविज़न आज के किसी कानून में अगर नहीं रहता है तो वह कानून ओब्सोलीट माना जाता है और वह कोई अच्छा कानून नहीं माना जाता है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि यह संशोधन मान लिया जाना चाहिये। अगर इसको मन्जूर करेंगे तो फ्रोम दी पोइन्ट ऑफ व्यू ऑफ जस्टिस एण्ड इक्विटी ज्यादा अच्छा बनेगा, बनिस्बत इसके कि इसके छोटे से अमेन्डमेंट्स के बिना जो कानून बनेगा। इसलिये इस पर अधिक बहस न करते हुए ओपन माइन्ड से इसको मन्जूर करने को निवेदन करता हूं।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने जो अमेन्डमेंट रक्खा है उसको मान लेने से धारा में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देहात में ऐसा भी है कि लोगों को कानून-कायदे मालूम नहीं होते और उनका पुराना जो केस्ट्रेट करने का तरीका है उसको ही अधिक ठीक समझते हैं। वे ठीक काम दे भी रहे हैं। तो इस पर इस तरह की सज़ा होना ठीक बात नहीं होगी। कइयों ने आज के तरीकों को एप्रूव नहीं किया और हमारे पहले के तरीके खास बुरे नहीं थे। हो सकता है उनको आगे मालूम पड़ जावे कि आज का नया तरीका अच्छा है। पर आज बहुत सी जगह वह पोपुलर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन पर बैड इन्टेन्शन का लांछन लगाकर जुर्माना करना ठीक नहीं है। इसमें गुड फेथ को देखना चाहिए। गुड फेथ में सरकारी सर्विस वाले भी अगर नुकसान कर देते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है तो इस तरह से लाइव स्टॉक ऑफिसर को एक हव्वा बना देना जिसमें उसे अननैसेसरीली हैरेस करने का भी मौका मिल सकता है, उचित नहीं है। तो मेरे ख्याल से वर्ड 'नोइंगली' इसमें रह जावे तो बुरा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १६ के बारे में

Page No.64

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जो संशोधन मूव किया गया है उसमें यह कहा गया है कि इसमें शब्द 'नोइंगली' जोड़ दिया जावे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनावश्यक शब्द कानून में नहीं जोड़ा जाना चाहिये। कानून जब किसी विधान सभा में, मुल्क में बनता है तो यह मानकर बनाया जाता है कि कानून सबको जानना चाहिये और कानून के नहीं जानने से कानून के तहत सज़ा मिलती है। इसलिए अब उसमें यह लिखा है कि १००) रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। तो अब यह अदालत के लिए है और अगर मामला उसके सामने जाये और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि केस्ट्रेशन करने के कुछ ऐसे तरीके हैं जो वास्तव में बड़े ही क्रुअल टाइप के हैं और उनको हमें रोकना चाहिए और वैज्ञानिक तरीके लोगों को बताने चाहिए और वह नये तरीके बताने के लिए हम प्रचार करेंगे, लोगों को समझायेंगे, बतायेंगे और उसके बाद में अगर कोई ऑफेन्स बनता है तो उसको रोकने लिए अदालत की शरण लेनी ही होगी। फिर अदालत देखेगी कि क्या इन्टेन्शन थी ? उसके बाद में भी उसको सज़ा दी जा सकती है, इसलिए यह शब्द 'नोइंगली' लिखने के लिए कहा है यह कानून में उपयुक्त नहीं होगा और यह अनावश्यक शब्द है, जिसको मैं कानून के अन्दर जोड़ना पसन्द नहीं करूंगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिन माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है, वह अपना संशोधन वापिस ले लें और हम यह मानकर चलते हैं कि कानून देश में बनते हैं तो सब लोगों को उसको मानना ही होगा और उसका अमल भी होना चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो दलीलें दी हैं मैं उनको ठीक नहीं मानता हूँ। उन्होंने 'नोइंगली' शब्द अनावश्यक बताया है और यह दलील दी है कि जब किसी विधान सभा में कानून पास हो जाता है तो सबको उसे जान लेना चाहिए। यह तो ठीक है कि जान लेना चाहिए, लेकिन साथ ही मैं दूसरे कानूनों का उसूल कहना चाहता हूँ कि जैसे 'इगनोरेन्स ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़' इस तरह से किसी भी कानून को पास करने से पहले यह जरूरी है कि हम कानून को पब्लिक ओपीनियन के माफिक बनायें।

(सदन में विद्युत् प्रकाश का अदृश्य होना)

मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी एक दफा एक कानून के एक्सपर्ट से बात हुई थी। जब बम्बई में सबसे पहले प्रोहिबिशन एक्ट लागू किया गया था तो उसके साथ मेरा डिस्कशन हुआ तो उन्होंने यह कहा कि किसी कानून को अगर पब्लिक ने अपने मन में एक्सेप्ट कर लिया है, जिस उसूल को मान लिया है उसको जनरलाइज़ करके हम कानून बनाते हैं और किसी भी देश में अगर किसी कानून को पब्लिक ओपीनियन नहीं मंजूर करती है और उनकी राय के खिलाफ या उनकी ओपीनियन बनने से पहले जो कानून बनाया जाता है वह कानून हमेशा तोड़ा जाता है और उसकी जीती-जागती मिसाल शारदा एक्ट की है। जो कानून हमने बना दिया, आज कई वर्ष हो गये हैं, लेकिन उसका अमल नहीं होता है। उसका अमल इसलिए नहीं होता है कि हमने उसके लिए पब्लिक ओपीनियन नहीं ली। इसके साथ ही दूसरी बात हमें यह भी ख्याल में रखना चाहिए कि यह जो लेजिस्लेशन है, यह कोई क्रिमिनल लेजिस्लेशन नहीं बना रहे हैं। यह एक

(श्री पी० के० चौधरी)

सोश्यल लेजिस्लेशन है। जिस तरीके से हम कोई क्रिमिनल लेजिस्लेशन पास करते हैं, उस तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए।

दूसरी बात, जब 'नोइंगली' शब्द इसमें नहीं रखते हैं तो सेक्शन ११ में प्रोवीज़न है कि केस्ट्रेशन के लिये नोटिस दिया जायेगा, प्रेस्क्राइब्ड मैनर से केस्ट्रेट करने के लिए। मैं मंत्री महोदय से पूछता हूँ कि आज कानून पास हुआ वह आज अमल में आता है, उसका एनफोर्समेन्ट आज से होता है और मान लीजिये कि एनफोर्समेन्ट होने के साथ किसी विशेष काश्तकार को आपके लाइव स्टॉक ऑफिसर से नोटिस नहीं मिला, उसको नोटिस नहीं दिया प्रेस्क्राइब्ड मैनर से, केस्ट्रेट करने के लिये और उसने अपने पुराने तरीके से केस्ट्रेट कर लिया है तो क्या आपके कानून के मातहत पैनल्टी लाएबल नहीं होती है? उसके ऊपर पैनल्टी किया जायेगा तो 'नोइंगली' शब्द जो सजेस्ट मैंने किया था वह इसलिए ही किया था कि यह कंम्पलसरी है कि आप नोटिस देंगे प्रेस्क्राइब्ड मैनर से केस्ट्रेट करने के लिए......

श्री श्रीभानसिंह : It is on a point of privilege, Sir, that since the lights have gone and it is very difficult to hear his voice & sit in suffocating conditions, I, therefore, request that the House be adjourned.

रावराजा श्री सरदारसिंह : बिजली वालों पर भी पीनल्टी इम्पोज़ की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी अपना भाषण समाप्त कर दें, उसके बाद पॉइन्ट ऑफ प्रिविलेज ध्यान देने योग्य होगा। मेरा ख्याल है कि आपकी आवाज़ बहुत ही स्पष्ट है। Any how, I will take this point of Privilege later on.

श्री श्रीभानसिंह : Just, Sir. Then a point of privilege has precedence, the Hon'ble Member should not be allowed to continue.

रावराजा श्री सरदारसिंह : साहब, एडजौर्न ही कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : It is not so important.

श्री श्रीभानसिंह : When I have already moved a motion that the House should be adjourned it must be decided.

श्री उपाध्यक्ष : I have entertained it and I defer this.

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह तो गवर्नमेन्ट का इन्तजाम है।

श्री श्रीभानसिंह : This privilege motion can not be deferred, because it is a fact that the lights have gone.

(सदन में पुनः विद्युत् प्रकाश के अदृश्य हो जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Does that point still stand ? I think he has withdrawn it.

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं उस कॉन्टीन्जेन्सी की तरफ इशारा कर रहा था। क्लॉज़ ११ के अन्दर उसको प्रेस्क्राइब्ड मेनर्स में केस्ट्रेट करने के लिए नोटिस नहीं दिया और उसको नोटिस नहीं मिला और वह अपने पुराने तरीके से

Page No.66

(श्री पी० के० चौधरी)

केस्ट्रेट करता है तो उसके लिये भी वही पेनल्टी है जो कि एडिक्वेट नोटिस देने के बाद करेंगे। इसलिए मैं तो अभी भी मानता हूँ कि यह जो शब्द 'नोइंगली' है वह बहुत ही उपयुक्त है, आवश्यक है और अनावश्यक नहीं है। क्योंकि जब नोटिस का प्रोविज़न उसमें रखा गया है तो नोटिस मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति यह बहाना नहीं लगा सकता है कि हम नहीं जानते थे कि ऐसे केस्ट्रेट करना गुनाह है। जब कि हम कोई सोश्यल लेजिस्लेशन पास करने जा रहे हैं तो हमें पब्लिक की तरफ होना चाहिए न कि गवर्नमेन्ट की तरफ। जो भी इसके अन्दर से प्रिविलेजेज़ लोगों को मिलने चाहिए वह मिलने चाहिए न कि सरकारी ऑफिसरों को। वह अपनी तरफ से तो नोटिस नहीं दें और क्योंकि कायदा पास हो गया है, इसलिए वह उसका सहारा ले लें। इसलिए मैं मन्त्री महोदय को फिर से कहूंगा कि सेक्शन ११ के साथ उसको मिलाकर पढ़ लें तो उनको मालूम होगा कि यह 'नोइंगली' शब्द आवश्यक है, अनावश्यक नहीं है। However, I may be permitted to withdraw my motion.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने खण्ड १९ पर रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my motion.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १९ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

There are no amendments on clauses 20 to 29.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २० से लेकर २९ तक स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २० से २९ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, इनेक्टिंग फॉर्मुला, प्रिएम्बल और टाइटल आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, इनेक्टिंग फॉर्मुला, प्रिएम्बल टाइटल आदि विधेयक के अंग बने।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

पशु सुधार करने की व्यवस्था करने वाला सन् १९५८ का विधेयक पारित किया गया।

२. २१ म० प०

राजस्थान वन(संशोधन) विधेयक, १६५८

श्री उपाध्यक्ष : Shri Nathu Ram Mirdha to please move the Forest Bill.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir, जो माननीय मन्त्री महोदय ने हमारे यहां अभी यह प्रस्ताव किया है कि इस विधेयक को विचारार्थ लेने के लिए, मेरी यह आपत्ति है कि जो सिलेक्ट कमेटी ने अमेंडमेन्ट्स किये हैं और कम से कम सेक्शन ६८ में जो अमेन्डमेंट किया गया है वह अमेंडमेंट सिलेक्ट कमेटी के स्कोप के बाहर है क्योंकि जो ओरीजिनल बिल हाउस ने रेफर किया था सिलेक्ट कमेटी के कन्सीडरेशन के लिए, वह यह था कि जो अमेन्डमेंट गवर्नमेंट सेक्शन ६८ के अन्दर ला रही हैं उसको कन्सीडर किया जाय। तो सिलेक्ट कमेटी ऑथोराइज्ड थी अमेन्डमेन्ट करने के लिये, अमेंडमेंट जो सेक्शन ६८ में रेफर किया था हाउस ने, उसमें वह अमेन्डमेन्ट कर सकती थी, मगर सिलेक्ट कमेटी ने अमेंन्डमेंट किया है ओरीजिनल एक्ट का जो सेक्शन ६८ है, जिसको गवर्नमेंट सब्स्ट्रीट्यूट करके नया सेक्शन ६८ ला रही है, तो चूंकि सिलेक्ट कमेटी ने अपने पॉवर्स के बाहर अमेन्डमेंट किया है जिसके लिए सिलेक्ट कमेटी ऑथोराइज्ड नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूँ कि यह जो बिल का ओरीजिनल स्कोप था, जिसके ऑब्जेक्टस एण्ड रीजन्स को हाउस ने मद्देनजर रखते हुए सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया है उसके स्कोप के बाहर सिलेक्ट कमेटी गई है और सिलेक्ट कमेटी ने ओरीजिनल सेक्शन ६८ में अमेन्डमेन्ट किया है, जो कि सिलेक्ट कमेटी के पॉवर्स के बाहर था बिल्कुल।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Nathuram, would you please explain ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Mr Dy. Speaker, Sir, I also support the contention raised by the Hon'ble member, Shri Shribhan Singh, that the amendment suggested by the select Committee was beyond its scope, The House has authorised the Select Committee to suggest modifications in the amendment proposed by the Government and not in the origional Act. So I maintain the contention made by my friend previously that the Select Committee has gone beyond its powers. Therefore, it should go back to the Select Committee without being considered in this House.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, धारा ६८ को अमेंड करने के लिए शुरू में ही जो बिल मूव किया है उसमें ही अमेंडमेंट करने की बात लिखी है और फिर सिलेक्ट कमेटी ने बैठ कर अमेंड किया है तो इसमें मैं समझ नहीं पाया हूँ कि उसमें अधिकार से से बाहर जाने की क्या बात हो गई, कि जो अधिकार नहीं था उन्हें उसके बाहर वह गई। जो बिल इस सदन में पेश किया गया है कि धारा ६८ को इस प्रकार से अमेंड करना चाहते हैं और उसी को अमेंड करने के लिए

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इस सदन ने सिलेक्ट कमेटी बिठाई और सिलेक्ट कमेटी ने बैठकर फैसला किया तो वह सिलेक्ट कमेटी के दायरे में था।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के हर बात देर से समझ में आती है। जो बिल हाउस को रेफर किया गया था उसके लिए लिखा गया है, to substitute a new section for section ६८यह आपके वर्डिंग्स हैं-"Substitution of a new section for section 68." Therefore, the House referred this substitution to which section the Hon'ble Member brought before the House, but the House, never referred the original section 68 for amendment to the Select Committee. जब यह सेक्शन रखा है ६८ तो इस सेक्शन में सिर्फ सिलेक्ट कमेटी यह निर्णय कर सकती है कि इस सब्स्टीच्यूटेड सेक्शन को लेना है, उससे वह एग्री करती है या नहीं। वह सेक्शन ६८ जो कि सब्स्टीटयूटेड सेक्शन है उसमें रद्दोबदल कर सकती है। मगर सेक्शन ६८ ऑफ दी ओरीजिनल एक्ट का जो है वह कोई कमेटी के सामने अन्डर कन्सीडरेशन नहीं था और हाउस ने उसको रेफर किया था। सिलेक्ट कमेटी ने जब आपके अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया तो सिलेक्ट कमेटी का यह निर्णय होना चाहिए था कि सेक्शन ६८ एज इट स्टेन्ड्स इन दी प्रिन्सीपल एक्ट वह बदस्तूर रहेगा और जैसा कि निर्णय कमेटी ने २६ और ३३ क्लॉजेज़ के बारे में किया है कि "the Committee does not think it necessary to bring about the amendments in clause 26 and 33. जो क्लॉजेज़ २६ और ३३ के अन्दर निर्णय लिया है, वही निर्णय ६८ के अन्दर ले सकते थे। सिलेक्ट कमेटी क्लॉज़ ६८ में अमेंडमेंट नहीं कर सकती थी और चूंकि कमेटी ने, सब्स्टीटयूटेड ६८ क्लॉज़ है उसके एमेंडमेंट को ड्रॉप कर दिया है और जो क्लॉज़ हाउस ने रेफर नहीं की थी उस क्लॉज़ के अन्दर कमेटी ने अमेंडमेंट सजेस्ट किये हैं, इसलिये यह कन्टेन्शन है कि यह कमेटी के पॉवर्स के बियोन्ड था उस प्रिन्सिपल एक्ट के अन्दर अमेंडमेंट सजेस्ट करना। I hope, I have made absolutely clear to the Hon'ble Minister.

श्री अनोपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, सब कमेटी के सामने जो कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेन्स थे कि क्लॉज़ ६८ जिस तरह से रखा गया है उसको बदला जाय या नहीं, इसको बदलने के बजाय पूरी क्लॉज़ ६८ को रिकास्ट करके वापस रख दिया है। मेरा मतलब यह है कि रिकास्टिंग का टर्म्स ऑफ रेफरेन्स सिलेक्ट कमेटी के पास नहीं था। टर्म्स ऑफ रेफरेन्स वह था जो लिमिटेड और प्रेस्क्राइब्ड है। उस प्रेस्क्राइब्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में यह नहीं है कि बदलना या नहीं, घटाना या बढ़ाना तो वह वहां तक का हो सकता है, मगर पूरे के पूरे ओरीजिनल एक्ट की धारा को रिकास्ट करना टर्म्स ऑफ रेफरेन्स सिलेक्ट कमेटी के में था या नहीं था। So they have gone beyond the terms of reference as suggested by the House. हाउस ने जो कुछ कहा था वह टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में है। इसको रखा गया या नहीं? उसके अनुसार इस क्लॉज़ को रखते या नहीं रखते, जैसा कि इसमें लिखा है—"The Committee feel that it is not necessary to replace section 68 as appearing in the parent Act except that the limit in sub-section (3) on the powers of the

(श्री अनूपसिंह)

Forest Officers in the matter of compounding these cases be removed.' This recasting was not in the terms of reference of the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : You mean 68 was not open for an amendment.

श्री अनूपसिंह : This was open to amendment to the extent as it has been referred in the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : With limitations that is possible?

श्री श्रीभानसिंह : Only clause 68 has been referred by the Assembly to the Select Committee and that clause 68 was the clause that the Select Committee has dropped and after dropping the Select Committee came to the conclusion that the Section 68 of the Principal Act should be amended, which was not in the terms of reference suggested by this House.

श्री पी॰ के॰ चौधरी : The Select Committee should have taken two courses, one is, either they would have made changes in this clause which was placed before the House in the bill or they should have deleted. They have deleted this amendment that there should be no amendment to the principal Act. This clause is for substitution of the new clause. Either they should have given here a new clause altogether rather than making an amendment to the clause of the principal Act.

श्री उपाध्यक्ष : Which is the provision that restricts the amendment of section 68?

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Dy. Speaker, Sir, the question is what is referred or what has restricted the discretion of the Select Committee in regard to the section 68 which the Government......

श्री पी॰ के॰ चौधरी : (On Shri Mirdha's talking with an official in the official gallery) On a point of order, Sir. Can the Hon'ble Minister talk like this across the floor of this House?

श्री उपाध्यक्ष : It is by convention, that they had been takling in the past.

श्री पी॰ के॰ चौधरी : Discussion is more important.

श्री उपाध्यक्ष : We should not devote ourselves to the trifling matters. You coutinue, let him talk.

रावराजा श्री सरदारसिंह : When he is not listening......let him come.

श्री उपाध्यक्ष : (On coming of Shri Mirdha) It is remedied now.

श्री श्रीभानसिंह : (Continuing his previous speech) What has restricted the discussion of the Select Committee was this section 68 which the Government brought as an amendment and this section 68 as clearly written in the amending bill is substitution of a new clause for section 68......

श्री उपाध्यक्ष : Wherefrom you are reading ?.

श्री श्रीभानसिंह : The same bill. "For section 68 of the principal Act the following new sectiou shall be substituted, namely......"

For this the Select Committee came to the conclusion that "the Committee fell that it is not necessary to replace Section 68." This is the feeling of the Committee and after that the Committee has dropped this amendment and made an amendment into the original section 68, but that was not referred to by the House to the Select Committee. What was referred by the House was this Section 68. This amending section was the section which the Government wants to substitute, otherwise, what will happen that any amendmant referred to the Select Committee will mean that the bill is referred to the Select Committee and they can bring amendment to any section. The Select Committee is bound by the terms of reference laid down by the House. As the Committee has come to the conclusion in regard to clauses 26 and 33 that the amendment was not necessary, only this course was open to the Select Committee with regard to this amending section 68 as brought by the Government that if the Committee did not accept it they should have dropped it. If they wanted an amendment, they could have brought an amendment in the substituted section 68 and not in the section 68 of the principal Act, which was not in terms of reference and the Committee was not entitled to discuss.

श्री उपाध्यक्ष : My observations are that section 68 was open for amendment and, therefore, it was rightly with in the power of the Select Committee to amend it. The point of order is ruled out.

श्री तनसिंह : There is another point of order, Sir,

यह जो अमेंडमेंट हुआ है उसके मुताबिक पहले का जो अमेंडमेंट था उसके अनुसार २०००) रु० तक का कंपेन्सेशन लेने की क्षमता थी और उसके अनुसार जो ५.०) रु० की मेग्ज़िमम लिमिट थी वह तोड़ दी गई। इसका मतलब यह होता है कि २००० या दो हजार से ऊपर भी कंपेन्सेशन लिया जा सकता है। मान लीजिये, किसी आदमी ने दरख्त काट लिये या फॉरेस्ट के मुतल्लिक कोई ऑफेन्स किया तो फॉरेस्ट ऑफिसर उससे कम्प्रोमाइज़ कर सकता है। लेकिन धारा ६८ के अन्दर जिसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया था उसमें था कि २००० रु० तक का कम्प्रोमाइज़ कर सकता है। अब नये रूप में जो क्लॉज़ सिलेक्ट कमेटी ने भेजा है, उसमें न तो दो हजार रु० की लिमिट रखी है और न ५.०. रु० की लिमिट रखी है। इसका मतलब यह है कि फॉरेस्ट ऑफिसर दो हजार से ऊपर भी रुपये लेकर कम्प्रोमाइज़ कर सकता है। मेरा निवेदन यह है कि यह मनी बिल है और मनी बिल होने के कारण राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिये गया है, उस समय २००० रु० की लिमिट थी, वह तोड़ दी गई। इसका मतलब यह है कि जब फंड के अन्दर ज्यादा या कमी होती है तो अन्डर आर्टिकल

(श्री तनसिंह)

१६६ रेड विद आर्टिकल १७७ वह मनी बिल की तहत आता है, इसलिये इस पर यहां विचार नहीं किया जा सकता।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री तनसिंहजी के ऑब्जेक्शन का सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ओरीजिनल एक्ट की धारा ६८ को देखा जाय तो उसमें सर्टेन लिमिटेशन्स हैं। लेकिन अब सिलेक्ट कमेटी ने जो अमेंडमेंट किया है, उसमें अनलिमिटेड पॉवर्स दे दी हैं, पहले ओरीजिनल सेक्शन ६८ में ५० रु० की लिमिटेड पॉवर्स थीं कम्पाउण्ड करने के लिये और फॉरेस्ट ओफिसर इतने तक का मामला ही कम्पाउण्ड कर सकता था, यह बात टैक्सेज़ में आती हैं इसलिये यह मनी-बिल की डेफिनीशन में आ जाता है क्योंकि जितना भी पैसा रियलाइज़ किया जायगा, वह सब गवर्नमेन्ट की ट्रेजरी में आयेगा और जिस किसी मेजर से भी गवर्नमेन्ट की ट्रेज़री में पैसा आवे वह मनी फाइनेन्स का रूप धारण करता है और जब फाइनेन्स का रूप धारण करता है तो यह नेसेसरी होता है कि राजप्रमुख (राज्यपाल) की स्वीकृति लेनी चाहिये। हम ५०) वाली ओरीजिनल सेक्शन को अमेन्ड करके अनलिमिटेड पॉवर्स लेना चाहते हैं, इसलिये गवर्नमेन्ट के लिये राज्यपाल की स्वीकृति लेना नेसेसरी थी और उसके बाद ही हाउस में इन्ट्रोड्यूस किया जा सकता था। It will be rather difficult for the Chair to make a decision, if the Hon'ble Minister who is piloting the bill has nothing to say.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, ये बार बार मेरे लिये कहते हैं तो मैं यह कहता हूं कि यह ऑब्जेक्शन बेकार से हैं।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय मन्त्रीजी उक्त अभिव्यक्ति श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यविवरण से पृथक की गई नहीं होना चाहिये....

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले मेरी बात सुनिये, आप बीच में इन्टरप्शन नहीं कर सकते......

श्री उपाध्यक्ष : I would request both the Hon'ble members to take their seats, till I am coming to certain conclusions about the point of order.

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Dy. Speaker, Sir, I want to know whether any member can use the words "बेकार से हैं"; when the member has put in facts in his argument.

श्री उपाध्यक्ष : I have understood the point. मैं इस सम्बन्ध में आपसे सूचनार्थ पूछता, लेकिन आपने भी जिन शब्दों का प्रयोग किया है that has balanced the issue. So the issue is closed now. Would the Hon'ble Minister like to enlighten on this question ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि वह मनी बिल हैं, (हियर, हियर) यह मनी बिल नहीं है इसलिये न तो दो हज़ार की बात के लिए स्वीकृति की जरूरत थी और न अनलिमिटेड की बात पूछने की थी, इसलिये ऑब्जेक्शन वेलिड नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : ऑब्जेक्शन समझ में नहीं आया, "मैं कहता हूँ कि मनी बिल है,

(श्री श्रीमानसिंह)

लेकिन चूंकि यह कहते हैं कि मनी बिल नहीं है, इसलिए नहीं है ?"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स ६३ में हैं :

"If any question arises whether a Bill is or is not a Money Bill which requires the sanction or recommendation, the question shall be referred to the Rajpramukh (Rajyapal) whose decision on the question shall be final."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बाड़मेर से आये हुए माननीय सदस्य ने यह आपत्ति की है कि जो राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है, एज़ अमेन्डेड बाइ दि सिलेक्ट कमेटी, उसकी धारा ६८ में जो संशोधन सिलेक्ट कमेटी ने किया है, उनके कारण, उस संशोधन के परिणामस्वरूप उसकी प्रकृति, मनी बिल के रूप में आती है। इस सूरत में जब तक राजप्रमुख (राज्यपाल) या राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती इस विधेयक के बारे में, उस पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मन्त्री महोदय ने बड़ी आसानी से यह कह दिया कि यह मनी बिल नहीं है। मैं यह समझता हूं कि जहाँ तक फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स का सवाल है, जहां पैसे की बढ़ोतरी, टैक्सेशन के रियलाइजेशन, स्टेट रेवेन्यु में जहां एडीशन हो, वह बिल फाइनेन्शियल बिल में आता है और इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कन्ट्रोवर्सी खड़ी हुई, यह मामला डिस्प्युटेड है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में डिसीज़न, रूल ६३ के सब-रूल (४) के तहत, इस प्रश्न का राज्यपाल महोदय के द्वारा करने के लिए उनके पास भेज दिया जाय, उनका ही डिसीजन फाइनल हो सकता है और उससे पहले हमको कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए और इसलिए जब तक राज्यपाल महोदय का डिसीज़न आ जाय तब इस विधेयक पर विचार बन्द कर दें। इतना ही निवेदन करना है।

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि यह मनी बिल नहीं है। मैं जानता हूं कि जब इसे इन्ट्रोड्यूस किया था तब इसकी स्वीकृति ली थी या नहीं ? मैं यह मालूम करना चाहता हूँ। अगर पहले स्वीकृति ली थी तो आप जो आर्ग्युमेन्ट दे रहे हैं, वे खिलाफ पड़ेंगे। अगर पहले नहीं ली तो यह प्रत्यक्ष रूप से मनी बिल है।

श्री श्रीमानसिंह : पहले गवर्नर महोदय की पर्मिशन इन्ट्रोक्शन के समय ली गई थी ?

श्री पी० के० चौधरी : मैं दूसरी बात आपकी याददाश्त के लिए कहना चाहता हूँ।......

श्री उपाध्यक्ष : I have heard much on this.

श्री पी० के० चौधरी : इस पॉइन्ट पर।

श्री उपाध्यक्ष : इस पॉइन्ट पर पर्याप्त सुन लिया है।

श्री पी० के० चौधरी : मैं प्रेसीडेन्ट रहा हूँ। जब डॉवरी बिल मूव किया गया था

(श्री पी० के चौधरी)

तो उसमें ५०० रु० जुर्माने के लिए रखे थे। उस वक्त एक माननीय सदस्य ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि "it is the money bill and the Governor's sanction should be taken," इस बात पर बहस नहीं हुई और कन्सीडरेशन बन्द कर दिया। यह प्रिसिडेन्ट है, जिसमें फाइन या पीनाल्टी के कारण बिल को मनी बिल मान लिया गया है।

श्री श्रीभानसिंह : डॉवरी बिल को डिसीज़न से पहले देख लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख लूंगा, साहब !

(हंसी)

I reserve my decision for tomorrow so far as this legal question is concerned.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Then we can not proceed further.

श्री तनसिंह : That will consequently follow.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस पर निश्चय होने के बाद यह निश्चय हो जाता है कि यह मनी बिल है और गवर्नर की असेन्ट की जरूरत है तो वह भी मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। इसलिए इसका कन्सीडरेशन न रोका जाय और इस पर विचार किया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा माननीय मंत्री महोदय ने निवेदन किया कि सब्सीक्यूएन्टली अगर इसकी जरूरत हुई, यह अगर मनी बिल हैं, तो सेक्शन लाकर सदन में रख दूंगा। यह तो कोई प्रोसीजर है नहीं। यह प्रोसीजर फोलो नहीं हो सकता, क्योंकि यह हाउस कॉन्सीटीश्यूशन से बाउन्ड डाउन है, इसलिए इसे सुपरसीड नहीं कर सकता। हम रूल्स ऑफ प्रोसीज़र से बाउन्ड डाउन हैं, जो रूल ६३ का सब-रूल (४) है, वह क्लिअर है 'If any question arises whether a Bill is or is not a Bill which requires such sanction or recommedation the question shall be referred to ths Rajpramukh whose decision on the question shall be final.'

जब तक वह डिसीज़न न आ जाय तब तक यह हाउस प्रोसीड, मैं समझता हूं, कर नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : But the sub-section (c) Provides,—"Provided that the Speaker may, on assurance given by the member-in-charge of the Bill or the member giving notice of an amendment, as the case may, to produce the sanction or the recommendation required under the Constitution before the stage at which such sanction or recommendation is necessary, permit all or any of the motions which could be made without such sanction or recommendation. So we can proceed easily."

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी उपाध्यक्षजी ने डिसीज़न दिया था कि मैं अपने डिसीज़न को, वेदर मनी बिल है या नहीं, डेफर करता हूं। डिसीज़न के डेफर होने के बाद और जो पॉइन्ट कन्टेस्टेन्ट हैं, उस पर रूलिंग कर सकते हैं और रूलिंग होने के बाद यहाँ फिर मोशन लाया जाय। वह डिसीज़न नहीं है कि मनी बिल है या नही, तब तक हाउस प्रोसीड करे, यह गलत है।

Page No.74

(श्री श्रीमानसिंह)

यह ऑब्जेक्शन है ओनरेबल मैम्बर का कि यह मनी बिल है इसलिये हाउस प्रोसीड नहीं कर सकता। उस पर चेअर ने डिसीज़न डेफर किया है, उसके बाद माननीय मंत्री महोदय कहें कि हाउस प्रोसीड करे, मैं समझता हूं कि यह कन्ट्राडिक्शन कैसे सॉल्व हो सकता है। चेअर का डिसीज़न हो जाय कि मनी बिल है या नहीं, उसके बाद हाउस प्रोसीड कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कॉन्ट्राडिक्शन सोल्व कर सकता हूं। चेअर का डिसीज़न है, That is just convessing of the observations. No as assurance has come from the Hon'ble Minister, Under Rule 198. We can proceed and there is no contradiction in that. I allow the bill to proceed on the assurance of the Hon'bie member-in-charge of the Bill.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : I allow the bill to proceed on the assurance of the Hon'ble Minister.

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रूल है, जिसके अन्तर्गत आपने स्वीकृति दी है, वह स्वीकृति उस समय तक थी जिस समय तक प्रॉपर टाइम था, इन्ट्रोड्यूस करने के लिए, उस वक्त तक सेक्शन न हो और प्रोमिज़ करते हों कि उस वक्त तक ला देंगे। तब स्पीकर को अधिकार है कि बिल पर विचार करने की अनुमति दे सकता है। लेकिन जहां तक १०२ का ताल्लुक है, उसमें यह है कि :

"It shall not be introduced or moved."

मेरा एतराज यह है कि This is a motion on consideration and as such it can not be proceeded.

जो कुछ रूल ६३ में है, वह एश्योरेन्स है, ये स्वीकार करते हैं कि हम इस प्रकार की सेंक्सन लाकर दे देंगे। यदि ये एश्योरेन्स देते हैं तब प्रश्न पैदा होता है कि यह एश्योरेन्स कॉन्स्टीट्यूशन के विरुद्ध तो नहीं जाता है। इनका एश्योरेन्स है कि अगर मनी बिल होगा, तो इसकी सेंक्सन ला कर दे दूंगा। यह इन्ट्रोडक्शन की स्टेज का प्रश्न है, यह पासिंग ऑफ दी बिल की स्टेज है, वह दूसरी चीज है। इस स्टेज पर कन्ट्रोवर्सी का सवाल है......

श्री तनसिंह : ऐसा फाइन होने के कारण इन तीनों स्टेजों में ही पास नहीं किया जा सकता। यह फाइन नहीं है, न टैक्स है, कम्प्रोमाइज़ है this is addition to the consolidated fund of the State.

और इसलिये पासिंग की थर्ड स्टेज़ पर ही नहीं बल्कि तीनों स्टेजेज़ पर जब भी मालूम हो, सेंक्शन लेना जरूरी है। ऐसी सूरत में धारा ६३ का आश्रय लिया है, वह इस पर एप्लाई नही होता !

श्री उपाध्यक्ष : I have applied it. you may proceed please. I have already given a decision.

श्री श्रीमानसिंह : May I make an humble submission, Sir. I will abide by the decision you have given just now. But the point of contention is that whether this is a money bill or

(श्री श्रीभानसिंह)

not.The Hon'ble member has said that if it is a money bill he will get the assurance of the Governor or his sanction.

श्री उपाध्यक्ष : He has not committed that it is a money bill.

श्री श्रीभानसिंह : An assurance has come that the Hon'ble Minister will secure necessary consent of the Governor, but according to the rules of procedure of this House, we cannot proceed. Section 207 of the Constitution of India clearly lays down that—"A bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub clauses (a) to (f) of clause (1) Article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor and a bill making such provision shall not be introduce in a Legislative Councils. And therefore, Sir, when this article of the Constitution stands, the legislature has to abide by these articles of the constitution.

श्री उपाध्यक्ष : Well, I stick to my observations that I have given. So far as the proccedings of the Bill are concerned, I feel article 207 is not applicable here.

श्री तनसिंह : The Rules of Procedure clearly lays down...

श्री उपाध्यक्ष : I stick to my opinion please.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, मैं निदवेन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : I have given my observations.

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, धारा ६३ का...

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon'ble members not to convess the observations of the chair.

श्री तनसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर......

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow now.

श्री तनसिंह : But unless I state my point of order, Sir, I cannot be checked. I cannot be disallowed to speak.

श्री उपाध्यक्ष : Well I concede, you continue please.

श्री तनसिंह : I have the right to state my point of order...

श्री उपाध्यक्ष : Yes, you continue. You state your point of order.

श्री तनसिंह : My point of order is this: निवेदन यह है कि जिस बिल की आपने सेंक्शन दे दी, इजाजत दे दी, लेकिन जो बहस हो रही है, वह न तो मंत्री महोदय इस सदन में कर सकते हैं, न मैं कर सकता हूं और न कोई भी माननीय सदस्य इस सदन में कर सकते हैं। इस स्टेज पर भी सेंक्शन की आवश्यकता है। सेंक्शन होना जरूरी है। आपने जो पर्मिशन दी है वह सेंक्शन किसी निश्चित स्टेज पर पहुंचती है। मेरा यह निवेदन है कि यह थर्ड स्टेज नहीं, सेकिन्ड स्टेज है। न फाइन है, न टैक्स है, कन्सोलि-

(श्री तनसिंह)

डेटेड फंड में जमा कराने की बात है। जो डॉवरी बिल पर लागू हुआ, वह इस पर लागू नहीं होता। इसमें तीनों स्टेजेज़ में एप्रूवल की जरूरत है। कन्सीडरेशन के लिये मूव किया था, उसी समय हमने ऑब्जेक्शन रेज़ किया है।

ऐसी सूरत में सदन का अन्नेसेसरी समय इस पर बहस करने में जायगा। मान लीजिये, गवर्नर ने सेंक्शन नहीं दी, खैर इस बात में मैं न जाकर जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, मेरा स्पष्ट मत है कि इस स्टेज़ पर सेंक्शन आवश्यक है और बिना सेंक्शन के इस पर बहस करने से रूल्स का वायोलेशन होता है।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपका ध्यान रूल ६३ (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं :

"If a motion in respect of any Bill or amendment cannot under the provisions of a Constitution be made, save with the provisions sanction of the President or the recommendation of the Rajyapal, the bill or amendment, as the case may be, shall be accompanied by the necessary sanction or recommendation.'

तो यह प्रोसीजर कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टीकल्स को सुपरसीड नहीं कर सकता और यह प्रोविजो, रूल ३ को एप्लाई करता है, तो वह रूल थ्री का प्रोविजो है। ६३ (२) के ऊपर यह प्रोविजो एप्लाई करना चाहते हैं तो वह एप्लाई नहीं होता, क्योंकि यों तो रूल ४ भी है। Your Honour of course can give the decision and we will have to submit. But to a certain extent or rather to every extent the Constitution binds down and that is clearly laid down in the Rules that the articles of the Constitution are to be followed.

श्री उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था मैंने इस सम्बन्ध में दी है, वह उन सब पोइन्ट्स को कवर करते हुये है। I stick to my observations, but I feel that the House is not in a mood to proceed with the Bill; today. I, therefore, defer my decision for tomorrow on all these points. Henceforth we stop here and will proceed tom·rrow.

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या प्रोसीड करें ?

श्री उपाध्यक्ष : Rajasthan Animals Diseases Bill, 1958.

२.५८ म० प०

राजस्थान पशु रोग विधेयक, १६५८

(खण्डश: विचार-विमर्श)

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पशुरोग विधेयक, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

३ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : Sarva Shri Lachhu-Ram, Mohar Singh & Girdharilal have sent notices that this Bill be recommitted to the Select Committee, but since they are not present.......

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पशु रोग विधेयक, जिसको प्रवर समति के सुपुर्द पहले किया गया

(श्री गिरधारीलाल)

था. उसके लिये मैं दुबारा प्रस्ताव करता हूँ कि उसको दुबारा प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे। माननीय उपाध्यक्ष, जब कोई भी बिल इस सदन के सामने पेश किया जाता है तो उस बिल की खामियें जो किसी कारण से रह जाती हैं हालांकि उस बिल की मन्शा ठीक हो सकती है, लेकिन ठीक होने के उपरान्त भी उस बिल की भावना में थोड़ा बहुत फर्क है, जिससे बिल की जो मन्शा होती है उसमें फर्क पड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि उस बिल को सदन को पास नहीं करना चाहिए और उस बिल को दुबारा प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये। मैंने इस बिल में खामियें देखी हैं और मैं उन खामियों को, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि इस स्टेज पर उस पर विचार नहीं करके उसको दुबारा प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे।

एक खामी इसमें यह है कि सरकार आए दिन, जितने भी बिलों में हम देख रहे हैं, जो बिल सदन में रखती हैं और पारित करती है उन सभी बिलों में आये दिन सरकार सबसे बड़ा पॉवर नौकरों के हाथों में दे रही है। यहां इन्सपेक्टर, डॉक्टर या अन्य कर्मचारियों को गवर्नमेंट ने पॉवर्स दे रखे हैं जिससे वर्तमान समय में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, उसको और ज्यादा प्रोत्साहन मिल सकता है। मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि आज हम राज्य को नौकरों का राज्य कहें तो अच्छा होगा। आज पुलिस के सिपाही की जितनी कद्र होती है, खातिर होती है, गांवों में और कस्बों में, किसानों में, पटवारियों और थानेदारों का जितना आदर होता है और सत्कार किया जाता है उतना शायद राज्य के मुख्य मन्त्रीजी या किसी अन्य मन्त्री का भी नहीं होता होगा। इसका कारण है और वह यह कि आपने और हमने सबने पॉवर्स कर्मचारियों के हाथ में दे रखी हैं, जिससे वे जिस किसी को राहत या तकलीफ पहुँचाना चाहें पहुँचा सकते हैं। एक पटवारी यदि एक किसान को नुकसान पहुँचाना चाहे तो वह सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा सकता है या एक पुलिस का सिपाही यदि किसी व्यक्ति को ३२३, ३२४ या ३२५ में फंसाना चाहे तो एक मिनट में फंसा सकता है। इसलिए आदमी यही सोचता है कि इनसे तो ठीक तरह से सम्पर्क रखना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें इस प्रकार के कानून हैं और हमने नौकरों के हाथ में सत्ता रखी है। कानून की मन्शा माननीय मन्त्री महोदय बतावेंगे। कानून की मन्शा यह है कि पशुओं में रोग न हो। आप जानते ही हैं कि राजस्थान में किसान बहुत ज्यादा हैं और पशु और खेत ही किसान की आमदनी है। हम सभी यही चाहते हैं कि किसानों के पशु अच्छी हालत में रहें और किसानों को नुकसान नहीं हो, आर्थिक फायदा हो और उनकी फसल खराब न हो। लेकिन इस बिल में आपने नौकरों को पॉवर्स दिये हैं। नौकर एक मिनट में चाहे तो उनको नुकसान पहुँचा सकता है और यह कह सकता है कि उनको यह शक है कि यह जानवर बीमार पड़ेगा या बीमार है, तो उसकी इन्सपेक्टर डॉक्टर को रिपोर्ट करेगा कि फलां व्यक्ति का ऊंट जो एक हजार रुपये का है, मुझे शक है कि वह कुछ दिनों बाद बीमार पड़ जावेगा. तो डाक्टर उसको शहर में बुला लेगा और अगर उचित समझेगा तो गोली मार देगा और उचित समझेगा तो उसको किसी एकान्त स्थान में रखेगा। इतना पॉवर हमने नौकरों के हाथ में दे दिया है। मैं सम-

(श्री गिरधारीलाल)

झता हूँ कि इतने पॉवर उनको देना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का किस प्रकार बोल-बाला है। इस बात को हम और उधर बैठने वाले अच्छी तरह से मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में जिस किसान का बैल एक हजार रुपये का है अगर उसको डाक्टर नहीं चाहता तो वह एक मिनट में नुकसान कर सकता है और वह उस जानवर को मार देगा और किसान का एक हजार रुपये का नुकसान कर देगा। मैं यह मानता हूँ कि बात ठीक नहीं, इस बिल में यह बात है। आप जानते हैं कि किसान बहुत गरीब हैं, यदि एक किसान का ऊंट मर जाता है तो उसको कितना नुकसान होता है। एक किसान किसी जगह मेला लग रहा है, वह अपने मेले में ऊंट ले जाना चाहता है, भैंस बेचने ले जाना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है और वह उसको बेचकर पैसा बांटना चाहता है, अपने घर खर्चे के लिये। आपका अगर इन्सपेक्टर रिश्वतखोर हुआ और अगर किसान ने उसको रिश्वत नहीं दी तो वह क्या करेगा? वह इस प्रकार का सर्टीफिकेट दे देगा कि इस ऊंट को मेले में नहीं ले जा सकते। हमारा यह ख्याल है कि यह ऊंट कल या परसों बीमार पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष, मेरे भी घर में जानवर हैं और हमारे जानवरों का इलाज भी होता है। हम लोगों के यहां इतने डाक्टर और विशेषज्ञ नहीं हैं। यह देखने में आता है कि किसी भेड़ को कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर उसको कोई दूसरे मर्ज की दवाई दे देता है और उससे भेड़ मर जाती है, और अगर उसी जानवर का कोई किसान ट्रीटमेंट करता है तो वह अपने तौर से करता है और एक मिनट में ऊंट या भैंस या भेड़ को ठीक कर लेता है। ऐसी हालत में जब हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, एक नौकर की, जो इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ नहीं हैं, उससे इलाज कराना और इस प्रकार की राय लेना कहां तक उचित है? इसके अलावा आपने क्लॉज़ के आखिर में लिखा है :

"(1) to be a veterinary surgeon, or

(b) to be an Inspector."

कोई भी व्यक्ति Inspector हो सकता है भी किसी व्यक्ति में वह व्यक्ति भी आ जाता है जो इसका विशेषज्ञ नहीं हो। अगर सरकार की राय में उचित हो या मिनिस्टर साहब की किसी व्यक्ति के साथ हमदर्दी हो तो वे किसी भी व्यक्ति को इस कानून के अनुसार लगा सकते हैं चाहे वह डॉक्टर हो या न हो। इस चीज को मैं उचित नहीं समझता कि आप किसी डॉक्टर को या इन्सपेक्टर को इस प्रकार के पॉवर्स दें। आपने इस कानून में लिखा है कि अगर किसी मेले में पशु चले गये और वहां बीमारी फैल गई और अगर वहां के अधिकारियों ने; और सरकार ने उसका निरीक्षण करके उस एरिया को बीमारी का एरिया घोषित कर दिया तो उसके बाद में इस कानून में प्रावधान है कि अगर किसी मेले में कोई किसान ऊंट लेकर गया, अगर वहां बीमारी फैल जाती है तो महीने, दो महीने तक वह बेचारा अपने घर नहीं पहुंच सकेगा, वह ऊंट को ही घर पर नहीं ला सकता बल्कि साथ में जो लोटा या चद्दर वगैरह ले गया है वह भी नहीं ला सकता। किसानों के लिये जो यह कानून बनाया जा रहा है वह मेरे ख्याल से उनके फायदे के लिये नहीं होकर उनको नुकसान पहुंचाने के लिये है। कोई भी किसान जब खेती की मौसम हो तो वह एक दिन भी फिज़ूल नहीं बैठ सकता, वैसी हालत में अगर

(श्री गिरधारीलाल)

उसको दो-तीन महीने कहीं रुकना पड़ जाय तो उसकी खेती की क्या हालत होगी ?

इसी प्रकार से अन्य धारायें भी हैं उनमें से खास तौर से मैं एक धारा का उल्लेख करूंगा। जब किसान का जानवर इन्स्पेक्टर के हाथ में चला गया, उसके बाद में डॉक्टर को अधिकार होगा कि वह उसको दे या न दे। यदि डॉक्टर की राय में वह व्यक्ति उस ऊंट का मालिक नहीं है तो वह उसको नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जो कानून की भाषा है वह अच्छी नहीं। डॉक्टर की राय के उपरान्त वह मालिक को भी उसका जानवर नहीं दे सकेगा, वह दूसरों को दे देगा। इस प्रकार से इसमें बहुत उलझी हुई भाषा है। नौकर जिनके हाथ में इस प्रकार के अधिकार दिये गये हैं वे इससे बहुत फायदे उठायेंगे और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

कोई जानवर बीमार है, अगर इन्स्पेक्टर कहता है कि इस जानवर को फलां शहर ले जाओ, वहां इसका ट्रीटमेंट होगा। किसान हमेशा अपने ढंग से इलाज करता आया है। अगर किसान इन्स्पेक्टर की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो इन्स्पेक्टर को यह अधिकार है कि उस जानवर को अपने अण्डर में ले ले। उसके बाद उचित समझेगा तो उसे जिंदा रहने देगा, नहीं तो उसको गोली भी मार सकता है। जहां आप यह कहते हैं कि यह कानून किसानों के फायदे के लिये बनाया है, इससे तो किसानों को नुकसान होगा। आज जिनके हाथ में आप अधिकार दे रहे हैं उनकी हालत तो यह है कि वे एक रुपये में बिकते हैं, चार रुपये में बिक जाते हैं। आज नौकरों में नैतिकता के नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम अधिकार ऐसे ही नौकरों को दे रहे हैं, जो गोली मार कर एक हजार रुपये के ऊंट को मार सकता है। यह धारायें ऐसी हैं जो किसानों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर देंगी।

कल जो बिल कृषि मंत्री महोदय ने पशुओं की नस्ल–सुधार के बाबत पेश किया था आज पशुओं के रोग मिटाने के लिये बिल पेश कर रहे हैं। इन सभी बिलों की यह हालत है कि जितने भी पॉवर हैं वे सब हम नौकरों के हाथ में दे रहे हैं। आज हमारे राजस्थान के अन्दर सब गांवों में ग्राम पंचायतें बनी हुई हैं, वैसी हालत में अगर किसी इन्स्पेक्टर को इस बात की शंका है कि फलां व्यक्ति का ऊंट बीमार है तो वैसी हालत में पंचायत से पूछ कर उसका पता लगाया जाय, लेकिन जैसा कि प्रावधान इस बिल में है उसमें इस प्रकार की बातें नहीं हैं। जो भी किसान उस गांव में रहते हैं, जिसके जानवर है वह पंचायतों से छिपे नहीं होते हैं। ऐसी हालत में अगर पंच या सरपंच की राय ले ली जाती है तो मैं समझता हूँ इन्स्पेक्टर को और गांव वालों को भी सुविधा होगी, लेकिन इस बिल में उनकी राय को कोई महत्व नहीं दिया गया है। मुझे, अध्यक्ष महोदय, यहां तक पता है कि डॉक्टर लोग पशुओं की बीमारी का इलाज भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। अभी हमारे इलाके में पशुओं में एक प्रकार का रोग फैल गया था उसका टीका लगाया गया, लेकिन टीका जिस चीज़ का लगाया गया वह सीरम का टीका लगाया, उससे फायदा नहीं हुआ। यही हालत सरकार के विशेषज्ञों की है। कानून के अन्दर जो लिखा है उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को वे इस काम में लगा सकते हैं, अगर आपके पास विशेषज्ञ हों तो ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे पता है आपके पास ऐसे विशेषज्ञ नहीं हैं।

(श्री गिरधारीलाल)

बीकानेर जिले में पिछले साल जिन लोगों के पास पचास–पचास हजार के रेवड़ थे वे मर गये, उनका इलाज न डॉक्टर कर सके और न कम्पाउण्डर ही कर सके। उनके टीका देने के बाद ही मर जाते थे। इस तरह से मैं समझता हूँ इस बिल के अन्दर बहुत सी खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने के लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि यदि ऐसी हालत में इस बिल को पास कर दिया गया तो किसानों का बहुत बड़ा अहित होगा। इसलिये इसे दुबारा प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। दुबारा भी यदि ठीक प्रकार से बन कर नहीं आता है तो तिबारा और चार बार भी भेजा जा सकता है। यह बिल ऐसा है जिसके अन्दर आप किसानों को एक सरकारी नौकर के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। आज किसान का यह दिमाग है कि वह अपने जानवरों को ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंप सकता, जिसको पशुओं की बीमारी का ज्ञान नहीं। हमने देखा है, कई जगह पशुओं के इलाज से भेड़ और ऊंट काफी मरे हैं। डॉक्टर लोग कोई इलाज नहीं कर सके।

श्री उपाध्यक्ष : उदाहरणों से तो आपका वक्तव्य विस्तृत होता जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो सही स्थिति है वही मैं बता रहा हूँ, पशुओं के रोग के बारे में प्रकाश डाल रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बिल को दुबारा प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। अगर हम इस बिल को पास कर देते हैं तो उससे किसानों का बड़ा अहित होगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, जहां भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है वहां हम इस प्रकार के बिल को पास करके और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। इससे होगा क्या कि डॉक्टर्स, कम्पाउण्डर्स माला–माल हो जायेंगे। आज हम देखते हैं कि एक पटवारी, एक थानेदार लखपति बने बैठे हैं, लाखों की सम्पत्ति जिनके पास है। दूसरी तरफ एक ईमानदार आदमी है उसके पास लाखों रुपये नहीं मिल सकते। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल नहीं करते हैं तो यह कानून बनाने से कोई फायदा नहीं। ग्राम पंचायतों के जरिये अगर हम इस प्रकार के काम करायेंगे तो ठीक रहेगा। इन शब्दों के साथ इस बिल को दुबारा प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) **:** उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सिलेक्ट कमेटी से लौट कर आया है उस पर मेरे पूर्व वक्ता ने काफी अच्छे विचार प्रकट किये हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण रखे जा सकते हैं। आज पशुओं के रोग रोकने की जो व्यवस्था कर रखी है वह पूर्णतया अपर्याप्त है। इस व्यवस्था में जिस तरह से परिवर्तन लाने की कोशिश की गई है उससे तो काश्तकारों के सामने और उलझनें आयेंगी, जिनके पास पशु हैं। जिस प्रकार की राहत किसानों को मिलनी चाहिये वह नहीं मिलेगी। हम कानून बनाते हैं और इसलिये बनाते हैं कि लोगों को सुविधा मिले, लोगों का जो कष्ट हो वह दूर हो; लेकिन हम कानून को इतना बांध देते हैं कि साधारण आदमी को उसे समझने में काफी कठिनाई आती है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज किस तरह से ये डॉक्टर और कम्पाउण्डर काम करते हैं। अभी मेरे इलाके के अन्दर कस्बा थाने में माता का प्रकोप हुआ और डॉक्टर

(श्री गिरधारीलाल)

तहसील शाहाबाद में नहीं, किशनगंज में है जो लगभग ४० मील दूर पड़ता है । कम्पाउण्डर शाहबाद में आता है, कभी नहीं आता, दवा करने के लिये डॉक्टर वहां नहीं पहुंचता । इस प्रकार जैसा इसमें बताया गया है स्थान नियत किया जावेगा, पर इसकी परिभाषा नहीं दी गई । नियम में यह बताया जावेगा । नियम सरकार बनावेगी । मैं कहता हूँ स्पेसिफिकली इसमें डिफाइन करना चाहिये कि इतने एरिया में एक डॉक्टर या कम्पाउण्डर रहेगा । तब तो बात कुछ हमारी समझ में आ सकती है । पर ये बातें नियम में लिखी जावेंगी । नियम सरकार बनावेगी, जिन पर बोलने का अवसर सदस्यों को नहीं मिलेगा । मैं और उदाहरण देना चाहता हूँ, पशु चिकित्सा विधेयक जैसा एक विधेयक था । यहां के जो नारकिये थे उनको बाधी करने को कम्पाउण्डर आया । वह इतना ट्रेण्ड नहीं था । उसने जितने नारकिये बाधी किये और इसके बाद उसने जो बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार किया कि उनमें से ७५ प्रतिशत नारकिये मर गये, उनके फोते गल गये और इस तरह से किसानों को बहुत नुकसान सहन करना पड़ा । इस तरह के डॉक्टर और कम्पाउण्डरों से देश का भला नहीं हो सकता ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे पूर्व वक्ता ने निवेदन किया कि इसे विचार करने को एक बार फिर प्रवर समिति को भेज दिया जाय । इसका समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हम पशुओं के सुधार के नियम बनाते हैं, पर वे इस प्रकार बनाते हैं कि उनका पालन व्यावहारिक नहीं होता ।

तहसील अन्ता का जिक्र करता हूँ । वहां का तहसील सरपंच बात करता था कि वहां पर इस प्रकार से नारकिये बधिये किये गये कि गायों के गाभन होने में भी तकलीफ होती है । वहां साँड भी उपलब्ध नहीं होते । गायें मौसम आने पर रंभा कर रह जाती हैं । मैं रबी अभियान के सिलसिले में बी. डी. ओ. के पास गया । उसने कहा कि सांड फलां जगह ले आइये । पर वह सांड इतना तेज था कि १०–१५ किसानों को मार कर फिर अपने गोशाले में चला गया ।

फिर दवाइयों और कम्पाउण्डरों को बीमारियों को रोकने के लिये समय पर नहीं पहुंचाते । सब जगह नहीं पहुंचाते तब तक कानून बनाना बेकार है । मैं प्रोसीजर पर इसलिये जोर देता हूँ कि कानून आपका व्यवहार में आता नहीं है । कानून बना, पर उसका पालन नहीं होता । यह जरूर होता है कि उनको लेकर किसान को अनूनेसेसरीली हैरेस जरूर किया जाता है ।

इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, जैसा कि बताया गया । आज हम देखते हैं कि यह एक उथल–पुथल सारी राजनीति में चल रही है और परस्पर भ्रष्टाचार के भयंकर आरोप एक दूसरे पर लगाये जा रहे हैं । पर यह प्रसंग यहां नहीं है । पर फिर भी देखते हैं कि भ्रष्टाचार आज जो ऊपर से चला है वह आज नीचे तक एक छोटे से छोटे कर्मचारी तक फैल गया है । इसको छुड़ाना आज किसी का काम नहीं है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार ऊपर से फैलता है, वह हटाया नहीं जा सकता । अगर नीचे से फैलता है तो ऊपर से हटाया जा सकता है । पर आज तो यह इतना व्याप्त हो गया है ऊपर से फैलते फैलते, कि उसका हटाना मुश्किल है । इसलिये हमें सोच कर हर एक कानून को बनाना चाहिये ताकि भ्रष्टाचार की कम से कम गुंजाइश रहे ।

(श्री गिरधारीलाल)

जैसा मेरे एक पूर्व वक्ता ने कहा कि इन्स्पेक्टर को पॉवर है कि वह बीमार जानवर को अपने यहां रोक सकता है। इसमें वह इन्स्पेक्टर नाजायज़ तौर पर भी रोक सकता है और तीन-चार दिन रोक सकता है और फिर उसको इधर-उधर भी कर सकता है और फिर एक दिन कह सकता है कि तुम्हारा जानवर तो मर गया। बस बेचारे किसान का तो चार सौ, पांच सौ रुपये का जानवर खत्म हो गया। ऐसे भी उदाहरण हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार चलेगा और नाजायज तौर से लोगों को परेशान किया जावेगा।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह जो फिर से प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रक्खा गया है वह उचित है, ऐसा मैं समझता हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूँ। इसका कारण यह है कि यह जानवरों की भलाई का कानून है और जल्दी पास होना चाहिये। मेरे सब-डिविजन में एक बार माता रोग इस कदर फैला कि एक-एक किसान के पच्चीस-पच्चीस, तीस-तीस भैंसें और बैल मर गये। इसका मुख्य कारण यह है कि आज सरकार के पास इतने प्रकार के साधन नहीं हैं और न दवाइयां और डॉक्टर हैं कि एक जानवर के रोग पैदा होते ही उसकी समय पर चिकित्सा कर सके। इसलिये मैं तो यह चाहता हूँ कि इस कानून को जल्दी से जल्दी पास करके ऐसी व्यवस्था की जाए कि सब जगह सब तरह के साधन उपलब्ध हो सकें और रोग को रोका जा सके।

अब यह कहा गया कि नाजायज़ तौर पर जानवरों को रोका जावेगा और इसमें भ्रष्टाचार फैलेगा।

३.२६ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

इसमें मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब रोग फैलता है तो वह छूत से फैलता है पर उसको रोकने का इसके सिवाय क्या तरीका है कि जिस एक पशु को वह रोग हो उसको सबसे पहले रोक लिया जावे और अलग रख कर उसका इलाज किया जाय। मैंने देखा है कि एक जानवर चरने गया, वह दूसरों के साथ हो गया और उसका रोग उनको लग गया। इसलिये ऐसे एपीडेमिक रोगों को रोकने के लिये तो जल्दी से जल्दी उपाय किया जाना चाहिये। इसलिये इस बिल को जल्दी से जल्दी पास किया जाना चाहिये। इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं। जल्दी से सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि यह दिन-प्रति-दिन क्षीण होता हुआ हमारा पशु धन रुके और इसमें वृद्धि हो।

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे पूर्व वक्ता श्री गिरधारीलाल ने इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रक्खा है। उसका समर्थन करते हुए मैं इस सम्बन्ध में सदन और राज्य सरकार को इस बारे में मेरी निवेदनपूर्वक जानकारी देना चाहता हूं कि जो इसमें पशुओं के रोगों को रोकने के उपाय होने चाहिये यह ठीक है, पर इसके अधिकार किसको देने चाहिये? आज होता यह है कि राज्य कर्मचारी अच्छे से अच्छे कानून का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। वे अपने बलप्रयोग और हुकूमत से काम करना चाहते हैं। गत वर्ष

(श्री मोगजी)

हमारे बांसवाड़ा जिले में माता का प्रकोप हुआ। वहां के वेटेरिनरी डॉक्टर को हर गांव में ले जाया गया और उसको बताया गया। पर जहां उस डॉक्टर ने दवाई की उस दवाई से किसी प्रकार का कोई असर उस बीमारी पर नहीं हुआ और हजारों की तादाद में मवेशी, गायें और पशु मारे गये।

साथ ही गाँवों में डॉक्टर जाते हैं और दवाइयां देते हैं लेकिन उन दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। हर गावों में वह झूठे साइन करवा कर अपने दौरे शो करते हैं और अपने झूठे-झूठे प्रोग्राम बनवाकर बिल-भत्ता कमाते हैं। आप डॉक्टरों की बात करते हैं कि उनको इतनी पॉवर देनी चाहिए। जहां डॉक्टर मवेशियों के होते हैं उनके लिए गाँवों में दौरा करने के लिए मोटरों का साधन देते हैं। उसके लिए आपने कभी यह भी देखा है कि वे उसका कितना दुरुपयोग करते हैं! उनके दुरुपयोग को कोई नहीं देखता है। डॉक्टर लोग हमेशा मोटरों में बैठ कर इधर-उधर बाजारों में घूमते हैं और सरकारी मोटरों का दुरुपयोग करते हैं। दवाई के लिए कोई भी काश्तकार उनके पास जाता है तो वह कहते हैं कि मोटर का आने-जाने का पैसा है और उसका जो खर्चा है उसके लिए पैसे जमा कराइये, उसके बाद में हम तुम्हारे यहां मोटर में आयेंगे, नहीं तो नहीं आ सकेंगे। यह भी दलील डॉक्टर लोग देते हैं और इससे भ्रष्टाचार खूब फैलता है। कानून की शक्ति अगर हम ज्यादा से ज्यादा सरकारी अधिकारियों को सौंपें तो यह तो एक तरह से बेकारी की भरती करना है, न कि राजस्थान के मवेशियों के लिए आप दवाइयों का इन्तजाम कर रहे हैं और उसके लिए कानून बना रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि राजस्थान के अन्दर राजस्थान की जनता ऐसी बदकिस्मत है कि जो सुधार हमारे यहां होना चाहिए और जिनकी हमारे यहां जरूरत है और जिस तरह से पशुओं के सुधार की जरूरत है उस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा है। किसी काम के लिए जिनसे सहयोग लेने की जरूरत है उनसे सहयोग नहीं लेकर हम ऊपर से कानून के जरिये ऐसी चीज बनवायें तो मैं नहीं समझता कि यह कहां तक उचित रहेगा, कहां तक यह राजस्थान सरकार सफलता प्राप्त करेगी? कानूनों के जरिये हम उन डॉक्टरों को अधिकार देते हैं जहां कि सरकार को आज हर काश्तकार और पंचायतों की सलाह से काम करना चाहिए और डॉक्टरों को इतनी पॉवर्स नहीं देनी चाहिए। पिछली साल एक सरपंच ने सारे जिले में दौरा करके मवेशियों के बारे में रिपोर्ट दी और डॉक्टरों ने कह दिया कि हमने मवेशियों का इलाज किया है, फिर भी हमारे पास दवाइयां नहीं हैं और दवाइयां आने पर इनका इलाज करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पहले आप उन लोगों से अंगूठा निशानी लाइये; तो यह तो हुकूमत का बलप्रयोग करना और अधिकारों का दुरुपयोग करना है। डॉक्टर लोग इस तरह सेवाओं के बजाय अपनी अफसरशाही हुकूमत चलाते हैं और पंचायतों से सहयोग के बजाय इस प्रकार का सलूक करते हैं? आज भ्रष्टाचार इतना फैल रहा है, फिर भी ऐसे कानून बना कर और ऐसे पॉवर्स देकर उनका गलत उपयोग हमें नहीं कराने देना चाहिए। हमें कानून बनाने में जनता का सहयोग लेना चाहिए। इसलिए यह बिल प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए, और इस पर दुबारा विचार करना चाहिए। प्रवर समिति में ही इसको सौंप देना चाहिए वर्ना यह कानून जिस प्रकार का हमारे सामने आया और जिस पर बहस हुई और माननीय मंत्रीजी उस पर अपनी

(श्री मोगजी)

मनमानी करके हमारे सुझावों को नहीं मानते हुए इसको पास कर देंगे तो इसका हमारे देहातों पर क्या असर पड़ेगा ? इसको भी पहले सोच लेना चाहिए। इसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इन कानूनों के जरिये जो दुरुपयोग हो रहा है, इससे तो यही अच्छा है कि आज तक देहातों में काश्तकार लोग जिस प्रकार से अपने पशुओं को जंगली तरीके से दवा देते हैं और जिससे वह अच्छे भी हो जाते हैं उनको ऐसा करने दिया जाय और जंगली दवाओं का ही उपयोग करने देना चाहिए, क्योंकि यह जंगली दवाइयां पशुओं को बहुत असर करती हैं। यह जंगल की जड़ी बूटी जितना काम करती है, उतना अंग्रेजी दवाइयां काम नहीं कर सकतीं, इतना असर उनका हो ही नहीं सकता। इसलिए इसमें सहयोग की यही जरूरत है कि इस पर विचार किया जाय। इसलिए इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाये तो अच्छा रहेगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय चेयरमैन महोदय, जो पशु रोग विधेयक हमारे सामने है उसका विरोध करता हूँ, चेयरमैन महोदय, हमारे यहां राजस्थान में पशुओं की दवाइयों की व्यवस्था के बारे में बहुत मुश्किल हो रही है। जैसा वर्तमान दवाइयों का इन्तजाम है और जैसी पशुओं का रोग दूर करने की व्यवस्था की जा रही है उसको देख कर और खास करके मुझे बड़ा दुख है कि हम फालतू स्टॉफ जमा करते हैं। आज और जगह--जगह हम स्टॉफ बढ़ाते जा रहे हैं, मगर हम देखते हैं कि उनके पास न तो दवाइयां है और न हम दवाइयों का इन्तज़ाम कर सकते हैं। यह मैं कई बार विधान सभा में भी कह चुका हूं और आज तक भी वही की वही स्थिति है कि जहां पशु-अस्पताल हैं वहां पर उनके पास कोई दवाइयां नहीं हैं। काश्तकार लोग कहते हैं कि हमारा पशु बीमार है तो दस दिन तो उनको दवाइयां मंगाने में लग जाते हैं। तो सरकार को पहले चाहिए था कि जितने भी पशुओं के रोग दूर करने के दवाखाने हैं वहां पर दवाइयों का इन्तज़ाम कराना था। बिना इसके इन्तज़ाम किये हम ऐसा विधेयक बना दें, यह कहां तक उचित है ? हम डॉक्टरों और दूसरे लोगों का इतना स्टॉफ बढ़ा देंगे उससे कोई फायदा नहीं है। उससे तो दुरुपयोग होता है। बाकी आप सोचें कि इससे पशुओं का रोग दूर होने वाला है सो बात नही है। जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा, लेकिन रोग दूर नहीं होगा। इसका कारण यह है कि आज कई बीमारियाँ फैल रही हैं। डॉक्टरों के पास लोग जाते हैं और उनको पहुंचने में आठ–आठ और दस–दस दिन लग जाते हैं तो वह कह देते हैं कि यह तो आपने मवेशियों को खाना नहीं खिलाया या बांधा नहीं, पानी वगैरह टाइम पर नही पिलाया और इसलिए ही पशु की मृत्यु हुई है और फिर आज हमारी गवर्नमेन्ट के पास आवाज़ आती है तो वह कहते हैं कि हमारा स्टॉफ अच्छा काम कर रहा है। तो उनका मतलब यह है कि हमारे भाई-भतीजों को हमारी ग्रामीण जनता का हक आने वाला है और वह चाहे जितना भी भ्रष्टाचार फैलायें उसके लिए हमारे मिनिस्टर महोदय जाँच करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वह तो खुद भी भ्रष्टाचारी अफसर होते हैं, जांच करने का हुक्म उन्हीं के नाम आता है। गत साल कई बार पशुओं की मृत्यु हुई तो कितनी बार दवाइयाँ लाये और कितनी ही दवाइयां फेंक दीं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आज वहां की जनता का

(श्री हीराभाई)

मनुष्य-मनुष्य चिल्ला रहा है, लेकिन सरकार की दृष्टि उस तरफ नहीं है। सरकार की दृष्टि तो अपना स्टाफ बढ़ाकर अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने की दृष्टि हैं। पशुओं की बीमारियों की रोक-थाम करने के लिए छोटे-छोटे अस्पतालों और दवाइयों का इन्तजाम उनसे नहीं हो सकता है। दवाइयों का इंतजाम पूरी तरह से नहीं है। पशु बीमार हुए और उसी वक्त दवाइयों का इंतजाम कर दिया जाता तो हम मान लेते कि दिनों-दिन हम तरक्की पर जा रहे हैं, और यह विधेयक मरते हुए मवेशियों को रोकेगा लेकिन यह हमारी सरकार की नीति नहीं हैं। वहां पर दवाइयां २५) की भी नहीं हैं। वहां से पता लगावें कि छोटे-छोटे जो पशुओं के अस्पताल हैं वहां पर कितनी दवाइयों का स्टॉक है। कम से कम यह तो सोचना चाहिए कि वहां पर कोई दवाइयां नहीं हैं और पशु बीमार हो रहे हैं। कोई शिकायत करता है तो कहते हैं कि मीट का, गोश्त का इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन बाहर से आयेगा तो लगेगा, वह इंजेक्शन उनसे कहते हैं कि आप अपने यहां स्टॉक में क्यों नहीं रखते, तो कहते हैं कि गोश्त का है और रखने से खराब हो जाता है; मुश्किल से कोई चार दिन रहता है। आपको सोचना चाहिए कि ऐसे विधेयक को लाने के पहले खुद बीमारियां की रोक-थाम करने वाली दवाइयों की ट्राई करनी चाहिए और कहीं से दवाई मंगाने के बजाय देशी दवाइयों के लगाने का विचार करना चाहिए, नहीं तो स्टाफ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ाने के सिवाय और कोई फायदा नहीं है। शिकायतें करते हैं तो मंत्री महोदय उत्तर नहीं देते हैं। अगर जवाब देते हैं तो यह बात कहते हैं कि आप कहीं होकर निकल गये और आपको मालूम नहीं है कि मवेशी नहीं मरे। हमारी शिकायत पर डिप्टी डाइरेक्टर आये जांच करने के लिए लेकिन वे आते ही खुद बीमार हो गये या क्या मालूम कि उन्हें रिश्वत दे दी गई सो बीमार हो गये, यह पता नहीं........

श्री गिरधारीलाल - माननीय सभापति महोदय, कोरम पूरा नहीं है।

श्री हीराभाई : या उनके रिश्तेदार होंगे....

श्री सभापति : It is more than that.

श्री गिरधारीलाल : अभी तक पूरा नहीं है।

श्री सभापति : कोरम पूरा है। (श्रीहीराभाई से) आप जारी रखें।

श्री हीराभाई : वहां पर बीमार पड़ने के कारण वापस लौट आये या उनकी जेब गरम हो गई होगी। चाहे रोग दुनियां में कितना ही फैल जाय लेकिन वे बीमार पड़ने से वापस लौट आये। वापस लौट आने के बाद यहां से मुझे लैटर लिखते हैं कि शिकायत की जांच के समय पर आप उपस्थित नहीं रहे और इस कारण आपका जो सहयोग हम ले पाते वह नहीं ले पाये। इस तरह से अच्छी तरह से जवाब देना सरकारी अधिकारियों के बायें हाथ का खेल है। ऐसी हालत में अगर कोई भी कार्य-व्यवस्था सुचारू रूप से रोकथाम की, बीमारियों के रोकथाम का इंतजाम नहीं हो सके तो जनता में प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार का रवैया यह चलता है कि तस्वीरें बताकर हमारी पंचवर्षीय योजना को प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन जो काम करने का है वह पूरा नहीं कर रहे हैं।

(श्री हीराभाई)

जिन बातों का इंतजाम होना चाहिए, जिनके साधन पूरे करने चाहिए वह गवर्नमेंट के पास में आज नहीं हैं। हमारी गवर्नमेंट आयन्दा आने वाले चुनावों को सफल बनाने के लिए तस्वीरें बताना चाहती है भोली-भाली जनता पर विधेयक लाद दिया, भोली-भाली जनता के नाम अच्छी-अच्छी नस्ल की तस्वीरें बता दीं, तस्वीरें बता देने से काम पूरा नहीं होगा, विकास नहीं होगा। विकास होगा तब जब कि आप सारे काम को देखें। दूसरे ढंग से नहीं हो सके तो तीसरे ढंग से करें। अगर कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो पैसों का घाटा होता है। जब बीमारियों की रोकथाम के लिए मांग करते हैं तो उसी वक्त आपके पास पैसों का घाटा होता है। कानून बनाने के लिए, तस्वीरें बताने के लिए आपको फुरसत है। जिन कार्यों के लिए पूरे रोकथाम के साधनों की जरूरत है उनके लिए पैसों का घाटा है। वेतन बढ़ाने में पैसों का घाटा नहीं है, लेकिन दवाइयों के लिए है। शिक्षा के लिए, माफ करें मैं यहां पर उसके लिए कहता हूँ और दवाइयों के लिए जो इन्तजाम करना अनिवार्य है परन्तु उनके लिए खाली बातें बना देना और कानून बना देने से ही काम नहीं चलेगा जब तक कि कानूनों का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन बिना साधनों के कानूनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और साधन बिना पैसों के नहीं हो सकते हैं। पैसों के लिए जनता के वास्ते घाटा बनायें, लेकिन कानून बनाने में सतर्क रहें। यह काम केवल चुनाव जीतने का है। मैं समझता हूँ कि जनता का रोग दूर करने के लिए, जनता को अच्छे विकास पर लाया जाय यह हमारी पंचवर्षीय योजना का काम नहीं है।

ऐसी हालत में यह बिल जो आया है जहां तक हम कानून बनायें तो यह उन लोगों को मालूम होना चाहिए। आता तो है बुखार लेकर, लेकिन डॉक्टर अगर ठंड की दवा दे देता है तो रोग तो दूर नहीं होगा। ऐसे २ डॉक्टर आपने रख छोड़े हैं कि कोई भी बीमारी हो तो झट से टी. बी. कह दी, यह नहीं कि निमोनियां बतावें। ऐसे तो आप डॉक्टर लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसलिये कि वे आपके रिश्तेदार होंगे. आपकी पार्टी के आगेवान होंगे या उनके रिश्तेदार होंगे या और कोई होंगे या पैसा प्राप्त करने के बाद आपने उनको चान्स दिया होगा। तो ऐसी हालत से दूसरों को दिखाने के लिए इन्तजाम करें या विधेयक बनाये तो उससे कोई होना जाना नहीं है, बल्कि उससे राष्ट्र का नुकसान होगा ?

यह बिल बुरा है, यह मैं नहीं कहता। बिल बीमारियों की रोकथाम के लिए अच्छा है, परन्तु हमारे यहां पर हिम्मत नहीं है बिल की पूर्ति करने की और दवाइयों का इंतजाम करने की उससे और भ्रष्टाचार फैलेगा। हमको यह करना नहीं चाहिये नहीं तो काफी भ्रष्टाचार फैलेगा और जगह जगह इन्सपेक्टर्स जाकर रोटी पानी के लिये लोगों को तकलीफ देंगे। इसलिये मेरा यह कहना है कि यह बिल बनाने या पास करने के पहले हमको यह चाहिये कि जहां पर अस्पताल नहीं है वहां पर अस्पताल बनाने चाहिये और जहां पर ५०००) की दवाइयें आदि देते हैं वहां पर १०,०००) रु० की देनी चाहिये और जहां पर एक कम्पाउंडर है वहां पर २ कम्पाउन्डर भेज दीजिये ताकि जिधर बीमारी फैले उधर फौरन ही वे लोग पहुंच सकें और बीमारी को रोकने का काम कर सकें। डाइरेक्टर और इन्सपेक्टर्स की संख्या बढ़ाने का हमें दुःख है। ये लोग न तो हमारे यहां पेट्रोल

(श्री हीराभाई)

रहने देंगे और न खजाने में पैसा ही रहने देंगे और फालतू इधर-उधर घूम कर पेट्रोल और पैसा खर्च करेंगे । इसलिये में मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह बिल प्रवर समिति को भेज दिया जावे और इसमें जितनी भी खामियां रह गई हैं उनको पूरा कर दिया जावे ताकि राष्ट्र का नुकसान न होवे ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : चेयरमेन महोदय, श्री गिरधारीलाल जी ने इस बिल को प्रवर समिति को वापिस भेजने का जो प्रस्ताव किया है उसका में समर्थन करता हूं । चेयरमेन महोदय, जानवरों की रक्षा करने के लिये बिल बनाना चाहिये, इसमें दो राय नहीं हैं, लेकिन किसी बिल को गवर्नमेन्ट द्वारा बनाये जाने से पहले इतना सुधार होना चाहिये कि कानून कार्यान्वित अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस बिल में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें देखने से यह मालूम होता है कि गौवंश के लिये अंग्रेज के समय सा जमाना आ गया है । इस बिल की क्लॉज़ ९ में लिखा है कि जानवरों को डेस्ट्रॉय कर दिया जाय बीमारी का सर्टिफिकेट लेने के बाद । लेकिन प्रवर समिति ने इसको डेस्ट्रॉय करने के लिये कहा है कि रूल्स में यह कर दिया जाय कि डेस्ट्रॉय किस तरह से किया जाय । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान एक धार्मिक देश है । आज दिन तक जो गायें बीमार हो जाती हैं या बछड़े बीमार हो जाते है, अपने यहां स्त्रियें, माता, पिता, कन्या, गायें आदि बीमार पड़ जाती हैं, तो जिस तरह से माता-पिता की सेवा करते हैं उसी तरह गौ माता की सेवा करते हैं । इस बिल में आपने प्रोविजन किया है कि गाय या बछड़ा बीमार होता है तो बीमारी का सर्टिफिकेट देने के बाद उसको डेस्ट्रॉय कर दिया जाय । इसका मतलब यह हुआ कि किसी की मां भी बीमार पड़ जाय और यह कह दिया जाय कि बच नहीं सकेगी तो क्या उसको भी आप डेस्ट्रॉय कर देंगे ? इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट को सोच-विचार कर ऐसे बिल जारी करने चाहिये, क्योंकि बगैर सोचे समझे जारी करेंगे तो राजस्थान में ऐसा भूचाल आने वाला है कि काश्तकार लोग यह कहेंगे कि हिन्दुस्तान में यह राज्य गो-भक्षकों का राज्य हो गया है, इसलिये इसमें संशोधन करना चाहिये ।

दूसरी बात, यह है कल जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मेरे देखने में आया है, प्रोविजन किया है कि चाहे जो डॉक्टर आकर सर्टिफिकेट दे दे कि इसको डेस्ट्रॉय कर दिया जाय। अब मान लीजिये, कि कोई गो-भक्षक डॉक्टर आ गया और बछड़ा बीमार नहीं है तो भी वह सर्टिफिकेट दे देगा कि यह बीमार है इसलिये इसे डेस्ट्रॉय कर दिया जाय । उसको बिसमार कर दिया और ले जाकर मार कर खा गया तो कौन कहेगा ? यहां गांवों में चालीस चालीस कोस तक न तो डिस्पेन्सरीज हैं और न कोई डॉक्टर है । मेरा खरहड़ का इलाका बूंदी डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ है, वहां पर कोई डिस्पेन्सरी नहीं है । काकेरी जो मेरे दूसरे गाँव हैं, वहां पर भी कोई डिस्पेन्सरी नहीं है । वहां से आदमी जायगा और कहेगा कि एक गाय या बछड़ा बीमार हो गया है, तब वहां से कोई डॉक्टर आयेगा और यदि वह गो-भक्षक है तो वह कह देगा कि यह ऐसी डिज़ीज़ से पीड़ित है जिसके कारण इसको डेस्ट्रॉय कर दिया जाय । तब वहां के लोग कहेंगे कि आप ले जाइये ।

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

तब कोई आदमी ले जायगा .वह उसे डेस्ट्रॉय करेगा या क्या करेगा यह किसे मालूम होगा ? किस तरह से डेस्ट्रॉय किया जाय इसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिये । गौ माता के प्रति हिन्दू धर्मावलम्बियों को बड़ी श्रद्धा है । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसे पास करने से पहले प्रवर समिति के पास भेजें ।

श्री सूबेदारसिंह : चेयरमेन महोदय, यह जो बिल आया है उस पर बहस चल रही है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इसका में विरोध करता हूँ । चेयरमेन महोदय, एक ओर तो हम यह चाहते हैं कि किसान का धन, पशु धन है और किसान की हालत ऐसी है कि उसके पास सिवाय मवेशी के और कोई चीज नहीं है । किसानों का जो पशुधन है उसको हम स्वस्थ देखना चाहते हैं । हर एक गाँव के काश्तकार चाहते हैं कि हमारे गांव में जानवरों के अस्पताल खुलें । डाक्टर और कम्पाउन्डर मिलें । वे अच्छा इलाज करें । मेरे एक मित्र ने आरोप लगाया कि जहां पर डॉक्टर और कम्पाउन्डर हैं वहां पर वे भ्रष्टाचार करते हैं, किसी को दवाई मिलती है, किसी को नहीं मिलती । मैं मानता हूँ यह समाज-व्यवस्था है । आज़ भ्रष्टाचार के नाम से हर काम को भ्रष्टाचार की निगाह से देखते हैं । लेकिन जानवर जो जो मूक हैं वे आपनी व्यथा किसी को सुना नहीं सकते । आज जब उनको तन्दुरूस्त बनाने के लिये, उनके दूध की केपेसिटी को बढ़ाने के लिये हमारी सरकार ऐसा बिल बनाना चाहती है कि जो बीमारी पशु धन में फैलती है उसको किस प्रकार रोका जाय । जब बीमारी को रोका जा सकेगा, तभी हमारे पशु अच्छे बन सकेंगे, लेकिन यहां पर इसका विरोध किया जाता है ।

चेयरमेन महोदय, अभी हमारे इलाके में माता की बीमारी फैली, उसके लिये टीके लगाये गये । बहुत सी जगहों पर अंध-विश्वास चला और लोग कहने लगे कि टीके लगाने व्यर्थ हैं । जानवरों के लिये यह भयंकर बीमारी है । हमारे मनुष्य समाज में भी जब पहले बीमारी फैली, तब हमने भी इस बात का विरोध किया था कि चेचक के टीके लगाना ठीक नहीं हैं । लेकिन आपने देखा होगा कि धीरे-धीरे लोगों ने चेचक के टीके लगाने शुरू कर दिये और चेचक की बीमारी कम होने लगी । पिछली असेम्बली में सरकार ने एक बिल पारित कराया था, जिसके अन्तर्गत चेचक के टीके लगाने जरूरी है । इसी तरह इस बिल के तहत छूत की बिमारी किसी जानवर को है और वह किसी नहर में पानी पी रहा है और नहर का पानी नीचे आगे बहता है तो निश्चय ही ऐसे जानवर को रोकना चाहिये, क्योंकि अगर नहीं रोकेंगे तो दूसरे जानवर जो वहां पर पानी पीते हैं, उनमें भी बीमारी फैलने का अन्देशा रहता है । जो बीमारी की शुरूआत करने वाली चीज है उसको जल्दी से जल्दी रोक-थाम कर देनी चाहिये ताकि आगे आने वाली भयंकर बीमारी से जानवरों को बचाया जा सके ।

अभी हमारे मित्र ने ९वीं क्लॉज के बारे में बताया कि गो माता है उसकी दुहाई आपने दी, मैं मानता हूँ कि गो हमारी माता है, वह दूध देती है, बछड़े देती है, कृषि-प्रधान देश के लिये यह एक बहुत महत्व की चीज है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि कोई कुत्ता पागल हो गया और काटने

(श्री सूबेदारसिंह)

को दौड़े तो क्या उसको डेस्ट्रॉय नहीं कराया जाना चाहिये। पागल होने की हालत में किसी आदमी को काट जाय तो क्या हालत होगी ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपकी माता यदि पागल हो जाय तो उसका क्या करेंगे ?

श्री सूबेदारसिंह : मेरे मित्र ने उधर ध्यान नहीं दिया, हम और आप सभी एक परिवार में रहते हैं। कभी किसी की माता या रिश्तेदारों में या भाइयों में कोई न कोई अवश्य पागल होता होगा, लेकिन उनके लिये हॉस्पिटल्स हैं, वहां भेजते है। यह व्यवस्था भी हो सकती है। सरकार यदि उचित समझेगी और सबकी राय होगी तो अवश्य इसका इलाज होगा।

४ म० प०

लेकिन जो इलाज ठीक नहीं है, आखिर उसको क्यों किया जाय ? चेअरमेन महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज नस्ल-सुधार जरूरी है। आप देखते हैं कि छोटे-छोटे गांव होते हैं, वहां अच्छे से अच्छे सांड देते हैं। अच्छे से अच्छे साड इसलिए दिये जाते हैं, ताकि नस्ल सुधारी जाय। गाय दूध भी देती है, तो दूध भी ज्यादा दे। आप दूसरे देशों में देखिये वहाँ एक गाय तीस सेर दूध देती है, जब कि हमारे यहां डेढ़ सेर देती है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ नस्ल कैसे सुधरेगी। बैल को बधिया बनाते हैं, सांड को बधिया बनाते हैं, वह इसलिए कि नस्ल सुधरे और उनके स्वास्थ्य जिम्मेदारी डाक्टर और कम्पाउन्डर लेते हैं। गावों में आजकल चर्चा चल रही है कि मवेशियों की नस्ल का सुधार किया जाय, इसलिए यह ठीक समय है। अगर इसका विरोध करते हैं और प्रवर समिति को यह भेजा जाता है तो उन नहीं बोलने वाले जानवरों में उनकी बीमारियों को कुछ टाइम के लिये और बढ़ा देना चाहते हैं। अगर बिल शीघ्र पारित होता है तो उनको सेहत मिलने वाली है और उनके हित में काम चलने वाला है। उसमें टाइम लगता है। इसलिए चेअरमेन महोदय, मैं सदन का, आपके द्वारा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस बिल को रोके नहीं और शीघ्र ही इसे पारित किया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय चेअरमैन महोदय, इस सदन के सामने एक माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव पेश किया किया कि प्रवर समिति से जो बिल आया है, उसको वापिस फिर प्रवर समिति में भेजा जाय। इसके समर्थन में चार-पांच माननीय सदस्यों ने कुछ दलीलें दीं और एक माननीय सदस्य ने विरोध में भी कुछ कहा। मैं आपके जरिये, सदन के मित्रों को कुछ बातों की ओर गम्भीरता से सोचने के लिए निवेदन करना चाहूँगा। मैं कुछ ऐसा महसूस करता हूँ, माननीय चेअरमैन महोदय, और मुझे यह कहते हुए दुःख भी होता है कि जो कुछ सदस्यों द्वारा बहस इस बिल के मुद्दों पर हुई है, वह इस बिल के मुद्दों से बहुत हद तक सम्बन्धित भी नहीं थी। आम तौर से जिन महाशय ने इस संशोधन को पेश किया, उन्होंने यह कहा कि यह कानून वापिस प्रवर समिति में इसलिए जाना चाहिए कि इसमें सत्ता है वह राज्य सरकार के नौकरों को दी गई हैं। मैं समझता नहीं कि कानून के तहत में सत्ता किसको दिलाना चाहते हैं, या सत्ता

Page No.90

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लेकर ये स्वयं सारा काम कर सकते हैं और फिर राज्य कर्मचारियों को, कुछ अधिकारियों को काम करने की शक्तियां इस कानून के द्वारा दी जाती हैं तो वह क्या शक्ति नहीं दी जानी चाहिए ? जैसा में आपसे निवेदन कर चुका हूँ, इस बिल का उद्देश्य, जिससे प्रेरित होकर इस बिल को सदन में पेश किया गया है, बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा इरादा है। जब हमने यह निश्चय किया है कि हमारे प्रदेश के पशु-धन की सही रूप में उन्नति होनी चाहिए तो एक जो बिल इस सदन ने पारित किया, उसके जरिये हम किस तरीके से पशुओं की नस्ल सुधार सकते हैं, कन्ट्रोल ब्रीडिंग के जरिये सुधार सकते हैं, यह है। इस बिल को हमने पारित किया। दूसरी तरफ पशु-धन को किस प्रकार बीमारियों से बचाया जा सकता है और क्यों बचाने की आवश्यकता है ? इसके लिए जो कुछ दिक्कतें, प्रेक्टीकल रूप से, हम जब योजनाओं के सिलसिले में गावों और इलाकों में जाते हैं, हमारे सामने आई हैं, और हमने महसूस किया है कि उन दिक्कतों को दूर करना चाहिए। अगर हम उन्हें दूर करना चाहते हैं तो कानून की धाराओं द्वारा की गई शक्तियों द्वारा कर सकते हैं। गाँवों में, मवेशियों में, जानवरों में कई तरह की बीमारियां हुआ करती हैं। उनको कन्ट्रोल में लाने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता हो जाती है। जब इन्सान में कुछ ऐसी छूआ-छूत की बीमारियां फैलती हैं तो उन बीमारियों को कन्ट्रोल में करने के लिए कानून बने हुए हैं, उन कानूनों का उपयोग किया जाता है और उनका उपयोग करने के बाद में हमको हर प्रकार की आसानी होती है और हम उन बीमारियों को कन्ट्रोल में लेते हैं। जिस प्रकार इन्सान को कॉलेरा की बीमारी फैलती है और उसके लिए विशेष प्रॉवधान हैं और उसके आधार पर उस बीमारी को कन्ट्रोल में करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं, इसी प्रकार मवेशियों में कई प्रकार की छुआ-छूत की बीमारियां फैलती हैं, जो कि शिड्यूल २ के अन्दर दी गई हैं। कुछ इस प्रकार के संक्रामक रोग हैं, जो जब पशुओं में हो जाते हैं तो कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, जानवरों को आइसोलेशन में रखना पड़ता है। अगर उनको ठीक किया जा सकता है तो ठीक करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस बिल की धाराओं में सब दिया गया है और इन्हें सिलसिलेवार पढ़ें तो हम महसूस करेंगे कि जो जानवर इनक्यारेबल हो जाते हैं, वैसी सूरत में उन्हें डेस्ट्राय करना पड़ता है। जब जानवर किसी प्रकार की सूरत में क्योर नहीं किया जा सकता है, आइसोलेशन में रख कर ठीक नहीं किया जा सकता है, तो उस जानवर का हम क्या करेंगे ? गऊ का नाम लेकर कह दिया कि घर में मां, बाप, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो क्या उनको डेस्टॉय किया जाता है। उस एनोलॉजी में मां बाप गऊ को मान कर डेस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम भावनाओं में नहीं बहें। गऊ के नाम से राजनैतिक क्षेत्र में कुछ किया है, उसी राजनैतिक दृष्टिकोण से इस चीज को नहीं देखा जाय। मैं, चेयरमैन महोदय, आपके जरिये सब माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह गाय और बैल की बात नहीं है। सब प्रकार के जानवरों को संक्रामक रोग लग जाते हैं। उनका सारा उपचार करने के बाद उनके ठीक होने की सूरत न हो, उसमें वैसे बहुत गुंजाइश होती है। सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरों ने देखा और उसके बाद में बहुत सोचकर इस प्रोविजन को इस कानून में रखा गया है। जो इस विषय

(श्री सूबेदारसिंह)

के विशेषज्ञ हैं, उनकी राय ली गई और उसके बाद सोचा गया कि ऐसा प्रोवीजन कई दफा रखना जरूरी है। इस प्रकार के जितने कानून हैं, उनमें ऐसा प्रोविजन मौजूद है। तो यह कहना कि इस कानून को लागू करने से ऑफिसरों में शक्ति आयेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यह भ्रष्टाचार आज कल कुछ माननीय सदस्यों को सब जगह, जहां मौका मिलता है, वहां देखने को मिलता है। मैं आपके जरिये, चेअरमैन महोदय, सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात के अलावा भी हमारे देश में बहुत करने के काम हैं और हमें उस दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। हम इस प्रकार बहस करने के बाद किस नतीजे पर पहुँचना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। यह कानून, जो हम बना रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए बन रहा है, आम लोगों की भलाई के लिए बन रहा है, जिसके जरिये कुछ बीमारियों को हम कन्ट्रोल करना चाहते हैं। एक जानवर मर जाय, जिसकी लाश बीमारी से भरी हुई है, उसको पानी में फेंक दें, तो उससे नुकसान हो सकता है। इस प्रकार की बीमारी को किस प्रकार कन्ट्रोल किया जा सकता है। जानवरों को बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है। अगर राजस्थान की योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जानवरों की उन्नति और तरक्की करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे कानून की आवश्यकता होगी। यह महसूस करके ही इस कानून को सदन में पेश किया गया है और इसमें जो शक्तियां दी गई हैं, उनके चैक हैं, काउन्टर-चैक के इस कानून में मौजूद है। इसके अलावा पहले से यह कैसे मान बैठे कि इस कानून के बनने से भ्रष्टाचार बढ़ जायगा, कुनबापरस्ती बढ़ जायगी, पक्षपात बढ़ जायगा, इस प्रकार की बातें करने से, चेअरमैन महोदय, आपके जरिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ गलत प्रभाव हम लोगों में पैदा करते हैं, और ठीक तरह से योजनाओं के बारे में जिनके जरिये हम लोगों को लाभ पहुँचाना चाहते हैं, जिन कानूनों के जरिये लोगों का हित करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार करने की जिम्मेदारी सब माननीय सदस्यों की जो इस सदन में बैठे हैं, और अगर माननीय सदस्य सभी तरह से लोगों को नहीं समझायेंगे और गलत इन्टर्प्रिटेशन करके लोगों को यह बात कहेंगे और कानून की आवश्यकता को नहीं समझायेंगे तो लोगों के दिमाग में भ्रष्टाचार पैदा कर सकते हैं। इसलिये हम जो बातें इस सदन में करें, सोच विचार कर जिम्मेदारी से कहनी चाहिये। यदि राजनैतिक दृष्टिकोण से माननीय सदस्य कोई बात कहना जरूरी समझते हैं तो वे बातें और मौकों पर कह सकते हैं। पर उन बातों को, जो बहुत इन्नोसेंट तरीके का कानून हैं, लोगों की भलाई के लिए जो कानून बनाया है, पशुओं के फायदे के लिए जो कानून बनाया गया है, उसमें लपेट कर कहना मैं सही तरीका नहीं मानता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून से हमारे प्रदेश में, गांवों में, जो बीमारियां संक्रामक तरीके की हैं उनको रोकना जरूरी है। जब तक कानून की शक्ति अफसरों के पास में नहीं होती इन बीमारियां को रोकने में उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं और कई इलाकों में इन बीमारियों पर कन्ट्रोल नहीं कर सकते। वे कई बीमारियों को रोकने के लिए इन्जेक्शन देना चाहते हैं, पर गांवों के लोग नहीं समझते हैं, उनको परसुएड करते हैं, समझाते हैं, इस पर भी गांवों के कई लोग कह सकते हैं कि

(श्री सूबेदारसिंह)

हम तो हमारे जानवारों का इनोक्युलेशन नहीं करायेंगे, और इस तरह आसपास के, पास पड़ोस के जानवरों पर उस बिमारी का असर पड़ सकता है, ऐसी सूरत में कानून हमारे पास नहीं है तो सख्ती नहीं कर सकते । इससे उन लोगों को ही नहीं, बल्कि दूसरे लोगों को भी नुकसान हो सकता है । इसलिए, माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवर समिति में यह बिल जा चुका है और इस सदन में भी क्लॉज बाई क्लॉज़ इस पर हम विचार करेंगे और उस समय कोई बात आयेगी तो उस पर विचार किया जा सकेगा । लेकिन वापिस यह मोशन लाना कि इस बिल को पुन: प्रवर समिति को भेज दिया जाय, इस बिल को जान-बूझ कर डिले करना होगा । इस बिल को डिले करने की जरूरत नहीं हैं । इसलिए मैं इस मोशन को मानने में असमर्थ हूं और मैं ऐसा मानता हूँ कि माननीय सदस्य इस मोशन को स्वयं विड्रा करेंगे ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह बताने की बहुत कोशिश की कि यह बिल बहुत अच्छा है और इसको सदन पारित कर दे । वैसे तो मैं सोचता हूँ कि हमारे कान इस तरह की बातें सुनते सुनते पक गये हैं । जब भी कोई कानून आता है तो आप लोगों की तरफ से यही कहा जाता है कि हम पब्लिक का भला कर रहे हैं, और जानवरों का भला कर रहे हैं और आप लोग करते नहीं हैं । मैं मन्त्री महोदय से जिन्होंने इस प्रकार के शब्द कहे हैं कि हम जानवरों का भला करना चाहते हैं, उनके रोगों को रोकना चाहते हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसान हूं और मुझे जानवरों से प्यार है । मुझे इस बात का दुःख 'नहीं है कि ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से ऐसी बातें होती हैं पर एक ऐसे मंत्री ने जो स्वयं किसान हैं, जो खुद कुछ समय तक जानवरों के बीच में रहे हैं, उन्होंने इस किस्म का कानून पेश किया है । हो सकता है कि वे किसी के प्रेशर में आकर यह स्वीकार करते हैं कि यह कानून अच्छा है, या हो सकता है कि किसानों की मूल भावना है उससे दूर चले गये हैं, क्योंकि जयपुर में रहते हैं ।

आपने पहली बात यह कही कि नौकरों के हाथ में सता देनी पड़ेगी । नौकरों के हाथ में सत्ता दे कर वे पब्लिक के किसी व्यक्ति का नुकसान या खात्मा करा सकते हैं । वह नौकर चाहे तो बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, एक हजार रुपये का किसी का ऊंट है उसको मार सकता है, किसी व्यक्ति की अच्छी भैंस है उसको वहाँ का इन्स्पेक्टर या वहां का डाक्टर मरवा सकता है । हो सकता है आपकी नीयत ठीक है, पर आज के समय में राज्य कर्मचारी जिस उद्देश्य को लेकर नौकरी करते हैं वह सेवा का उद्देश्य नहीं है, वे केवल नौकरी के लिये नौकरी करते हैं । जो सेवा का उद्देश्य न रखकर केवल नौकरी के लिये नौकरी करेगा, वह अच्छा आदमी नहीं बन सकता । एक किसान चाहे वह गरीब है या अमीर है, उसके पास एक पशु है या २० पशु हैं वह एक डॉक्टर या इन्स्पेक्टर के अण्डर में रहेगा और उनको इस कानून से पूरा अधिकार रहेगा कि जब चाहें जिसे चाहें गिरफ्तार करा दें, उनके पशु को बेचने से रोक दें या उसके पशु को मरवा दें । आज के समय में जो हमारे चारों ओर वातावरण है, जिस तरह का स्तर आजकल के लोगों और अधिकारियों का है उसको

(श्री गिरधारीलाल)

देखते हुए जो सत्ता नौकरों के हाथ में सौंप रहे हैं, वह उचित नहीं है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि गांव गांव में पंचायतें हैं, कस्बों में म्युनिसिपैलिटियां हैं, वहां की पंचायतें और नगरपालिकाएं वहां की सफाई का इन्तजाम करती हैं, फौजदारी और अन्यान्य किस्म के मुकद्दमों को वहां की पंचायतें तय करती हैं तो इन्स्पेक्टर या डॉक्टर गांव में आते हैं, वे अगर किसी व्यक्ति से दुश्मनी रखते हैं, वैसी सूरत में अगर आपके कानून में ऐसा प्रोविजन होता कि वे इस प्रकार का कोई एक्शन लेने से पहले वहाँ की पंचायत या नगरपालिका की सलाह लेंगे तो इस प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती । पर ऐसा कोई प्रोविजन इस बिल में नहीं रखा गया है । नौकरों के हाथ में इतना पॉवर दिया है कि चाहे जिस व्यक्ति का ऊंट मार दें और चाहे जिसका ही नुकसान कर दें ।

इस कानून में लिखा है कि जिस पर जुर्माना होगा, वह अपील करने के लिए तहसील या ग्राम पंचायत में नहीं जा सकता, उसको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा । एक किसान का ऊंट, गाय या भैंस मार दी जाती है तो उसका मुआवजा नहीं मिलेगा । इस कानून में लिखा है कि किसी बीमार पशु को मार दिया जायगा तो उसका उसके मालिक को मुआवजा नहीं दिया जायगा । इस प्रकार का पॉवर हाथ में आने से डॉक्टर या इन्स्पेक्टर किसी भी व्यक्ति का नुकसान कर सकते हैं । पशु बीमारी की हालत में था और उसको मार दिया तो कोई मुआवजा नहीं दिया जायगा, इस प्रकार का कानून पास करना उचित नहीं है, जब कि कर्मचारी वर्ग में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है । हमें कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की बातें ज्यादा करते हैं, पर आपकी ओर बैठे हुए आधे माननीय सदस्य ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है । आज दोनों आपस में लड़ाई करते हैं......

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल): माननीय सदस्य ध्यान रखें कि वे प्रत्युत्तर दे रहे हैं, अभी क्लॉज़ बाई क्लॉज़ चलेंगे, तब जनरल बातें करें ।

श्री गिरधारीलाल : मैं भ्रष्टाचार की बात कह रहा था ।

श्री सभापति : केवल इससे भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा ।

श्री गिरधारीलाल : इससे भी बढ़ेगा ।

श्री सभापति : जारी रखिये ।

श्री गिरधारीलाल : तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस तरह का कानून पास न करें । इसे फिर प्रवर समिति में भेजें । मैं यह नहीं कहता कि यह कानून बुरा है, कानून तो अच्छा है, पशुओं में रोग नहीं फैलना चाहिये । गांवों में बूढ़े किसान पशु-रोगों के विशेषज्ञ हैं, किसी ऊंट के रोग होता है, गाय के रोग होता है, भैंस के रोग होता है या किसी पशु के रोग होता है तो लोहा थोड़ा आग में गरम कर के चेप देते हैं और वह पशु तैयार हो जाता है । वे लोग पशु-रोगों के विशेषज्ञ हैं, उनसे काम लीजिये । आपके पास डॉक्टर और कम्पाउन्डर भी नहीं हैं, किसी ऐसे ऐरे गैरे नत्थू खैरे को मुकर्रर कर दिया और लोगों का नुकसान करवा दिया तो किसानों के लिये बहुत बड़ी दुविधा हो जायेगी । मैं इन्हीं शब्दों

(श्री गिरधारीलाल)

के साथ माननीय मंत्री महोदय से फिर निवेदन करूंगा कि इस बिल को दुबारा प्रवर समिति के पास भेजा जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव राजस्थान पशु रोग विधेयक को दुबारा प्रवर समिति में भेजे जाने के लिये श्री गिरधारीलाल ने रखा है, उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु-रोग विधेयक, १६५८ को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

क्लॉजेज़ २, ३ व ४-

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २, ३, और ४ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २, ३, और ४ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज ५, श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of information, Sir The Hon'ble Minister was the Chairman of the Select Committee and there was no note of dissent given by him. Now the question arises whether he can move an amendment or not ? How far it is justified for the Chairman of the Select Committee to make an amendent at this stage. I refer you clause 5 of the Select Committee Report. Exactly part (f) was the recommendation of the Select Committee. The Hon'ble Minister was the Chairman of the Committee.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय चेअरमेन, मैंने जो संशोधन रखा है वह संशोधन बिल्कुल फॉर्मल तरीके का है। जिस तरह से संशोधन (एफ) रखा तो उसको वापिस बिल को एग्ज़ामिन कराया गया और वह ऐसा क्लॉज था जिसकी बिल्कुल ही जरूरत नहीं थी। यह तो अपने उसमें आ जाता है। इसलिये इसको डिलीट करने के लिये मेरा संशोधन है। इसको रखने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सारे बिल का अन्डरलाइंग मकसद ही यही है।

श्री श्रीभानसिंह : On a piont of explanation, Sir, The objection raised by the Hon'ble member is different from the reply given by the Hon Minister. The point is that the Hon'ble Minister, being a Chairman of the Select Committee and having submitted the Report of the House as Chairman of that Committee, now without a note of dissent, Sir, is the authorised to bring an amendment before the House. As far as the convention before this House is that no member who has not appended a note of dissent can bring an amendment. So whether this will apply to the Hon minister also, this is a point.

श्री सभापति : माननीय सदस्यों ने जो कहा है, मैं समझता हूँ कि सदन की परम्पराओं के अनुसार साधारणतया जिस माननीय सदस्य ने नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं दिया हैं, उसको किसी प्रकार का अमेन्डमेंट या उस विरोध में नहीं बोलना चाहिये, लेकिन looking to the character of the amendment that has been made, there are certain precedents that the Member incharge is not authorised but he can make amendments. I therefore allow the Minister to move his amendment.

श्री पी० के० चौधरी : I clarify my point, Sir. My point was that the Hon'ble member was the Chairman of the Select Committee. There is no convention that he should not make an amendment, even then in the clauses, the Select Committee has not made any recommendation. But this particular part (f) was a specific provision which was kept after serious deliberations. The Select Committee made this decision after serious discussions and deliberations. It is, therefore, a weighty decision that part (f) should be there. We behove that the Chairman of that committee should be the man to omit that very recommendation which the Select Committee has made. Clause 5 had obtained serious consideration of the Select Committee. It is only after serious deliberations that the Select Committee put that. It was not in the original bill. It was made newly. It will be a very bad precedent. I can understand his bringing out an amendment in part (c) or (e) where the Select Committee has not made any changes and in those deliberations the Chairman has himself presided and consented. So this is a point.

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय सभापति, यदि सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन अपनी राय को किसी प्रकार संशोधित करते हैं तो सिलेक्ट कमेटी के सदस्य हैं उनके पास भी पॉवर आ जाते हैं कि वे भी उस संशोधन के विरोध में बोलें और जो कुछ उन्होंने सिलेक्ट कमेटी में तय करके निर्णय किया है उस पर संतोष करें या नहीं। यदि इस प्रकार की परम्परा चल जाती है कि चेयरमैन इस तरह से करें तो कुछ सदस्य उसके पक्ष में बोलेंगे और कुछ विरोध में, तो इस प्रकार की परम्पराएं हो जाएंगी, तो फिर सिलेक्ट कमेटी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा और जो एकता होनी चाहिये वह समाप्त हो जावेगी और जिस मकसद से बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है, वह मकसद ही नहीं रहेगा। इसलिये इसका मकसद यह है कि जो निर्णय दिया गया है, और उस पर किसी का नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं है, ऐसी हालत में चैयरमैन अगर संशोधन रखते हैं, तो जो व्यक्ति उनकी राय से इत्तफाक रखते हैं या जो नहीं रखते हैं उनके भी अपने अपने विचार व्यक्त करने का प्रश्न हो जाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का हक सिलेक्ट कमेटी के माननीय चेयरमैन को नहीं देना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) **:** माननीय चेयरमेन, क्लॉज ५ का (एफ) भाग ड्राफ्ट किया था उसके तुरन्त बाद में नया क्लॉज ७ ए और जोड़ा है, उसको अगर आप मुलाहिजा फरमायें तो आपको पता चलेगा वही मतलब इस क्लॉज का है, जो क्लॉज ५ (एफ) का मतलब है। जब बिल

(श्री दयाकृष्ण विजय)

को रिड्राफ्ट किया गया तो यह खामी नोटिस में आयी, वैसी हालत में यह बिल्कुल सुपरफ्लुअस क्लॉज़ है, इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं। ७ ए नया जोड़ दिया गया और उसको ओमिट करने का सुझाव दिया, इसमें आपको क्यों आपत्ति होनी चाहिये। सुन्दर ड्राफ्ट बनाने के लिये यह अमेन्डमेन्ट रखा है। आशा है, किसी भी माननीय सदस्य को इसमें एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय चेयरमेन महोदय, जहां तक दोनों क्लाज़ के ड्राफ्ट का सवाल है, वहां मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय के सामने मैं कानूनी भाषा को कम समझता हूँ, लेकिन जहां तक मैंने इन दोनों क्लॉज़ को देखा है, दोनों के जो वर्डिंग्ज़ है उनका मतलब अलग अलग है। फिर सवाल है उनके कनवीन्स होने का। माननीय मंत्री महोदय कोई ग्रेमेटिकल करेक्शन लाते तो उसको मान भी लिया जाता, लेकिन वे तो इस धारा को ओमिट करने का अमेन्डमेन्ट इस स्टेज पर लाते हैं, जिसको सिलेक्ट कमिटी ने रखा है। जैसे कि अब तक के कन्वेन्शन हैं, उनके अनुसार हाउस की यह परम्परा रही है कि गवर्नमेन्ट अगर किसी प्रकार का अमेन्डमेन्ट लाना चाहती है तो गवर्नमेन्ट की तरफ से किसी माननीय सदस्य द्वारा मूव कराया जाता है और यह भी कनवेन्शन है कि सिलेक्ट कमिटी का मेम्बर अगर नोट ऑफ डिसेन्ट देता है, तो वह हर एक स्टेज पर अमेन्डमेन्ट दे सकता है। अगर हम इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार कर लेते हैं तो आज तक जो परम्परा रही, उसका भंग होगा। इसी को देखकर माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि अगर कोई अमेन्डमेन्ट माननीय मंत्री महोदय लायें तो कोन्सीक्वेन्यल अमेन्डमेन्ट लायें, अब तक साढ़े छः साल की हमारी ऐसी परम्परा रही है कि चेयरमैन सिलेक्ट कमिटी का जो होता है वह किसी प्रकार का अमेन्डमेन्ट नहीं लाते। यही बातें चेयरमेन महोदय, मुझे आपके ध्यान में लानी थी, इसलिये मैंने निवेदन किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है उसके विषय में पहली बात यह है कि साधारणतया सिलेक्ट कमिटी के मेम्बर नोट ऑफ डिसेन्ट न देने की स्थिति में संशोधन नहीं दे सकते और संशोधन उनको रखना भी नहीं चाहिये। इसके लिये इन्विज़िबल रूल नहीं। इस पर रूलिंग भी है.......

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : क्या कोई विशेष बात है ?

श्री पी० के० चौधरी : विशेष बात है, चेयरमैन महोदय, यह कोई रूल का सवाल नहीं है, कन्वेन्शन का सवाल है। Conventions in Parliamentary Damocracy are always accepted. Rules may be by passed but conventions can never be broken. They are always adhered to. They are not invisible rules. But in the interest of democracy, conventions should not be broken, and conventions which have been adhered to for the last 6½ years should not be broken, but the convention is being broken by the Hon'ble Minister. I will request the Chairman. I will draw your attention to the Parliamentary practice where conventions are always adhered to, and to maintain these conventions,

(श्री पी० के० चौधरी)

if any leakage is made, I remember, that a Finance Minister resigned.. It has happend in the case of a British Finance Minister where a leakage took place. He could have refused to resign but did not. There is no written constitution, a convention means this. Conventions are more rigid then rules which can be passed. I would, therefore, request the Chairman to give this serious thought to it. Since it is the beginning of this House it has declared certain conventions. It will be a very dangerous thing to break it.

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे वे मैंने सुने । जहां तक माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा है, उसको मैंने देखा । धारा ७ (ए) में जो संशोधन सिलेक्ट कमेटी ने किया, प्रेक्टिकली सेम है । It is not of a very specific character.

फिर भी सदन की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए साधारणतया सिलेक्ट कमिटी के के जो चेयरमेन होते हैं, उनको इस प्रकार के संशोधन नहीं रखने चाहिये । लेकिन फिर भी मैं इस अमेंडमेंट को अलाउ करता हूं, it may be moved by the Government.

श्री नाथूराम मिर्धा : चेयरमैन महोदय, क्लॉज़ ५ को ओमिट करने का मेरा संशोधन है "Omit part 5 (f) in sub-clause (1)." उसे स्वीकार किया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ में उपखण्ड (एफ) को ओमिट करने का जो संशोधन रखा गया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ का उपखण्ड (एफ) विधेयक में से पृथक किया गया ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५, संशोधनानुसार, स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ७, श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी : I move an amendment to clause 7, "that sub-clause (4) may be deleted." Clause 7 deals with the establishment of quarantine stations, and sub-clause (4) says. "the animals detained at a quarantine station shall remain under the care of the person in charge who shall be responsible for their feeding, and upkeep and for the payment of such fee for their vaccination and marking as may be prescribed."

(श्री पी० के० चौधरी)

यह जो क्लॉज़ ७ है इसलिए बनाई गई हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जब एनीमल को ट्रान्सपोर्ट किया जाता है तो उनको चैक करने के लिए है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो एनीमल्स हैं उनका मूवमेंट सीज़नल होता हैं। जोधपुर एरिया के एनीमल्स ड्राई सीज़न में दूसरे इलाकों में जाते हैं और वापिस लौट कर रेनी सीज़न में अपने असल इलाके में आते हैं। तो काफी मूवमेंट होता है। उनको रास्ते में रोक कर क्वेरेन्टाइन में रखने की व्यवस्था की गई है और जितने दिन उसमें रक्खा जावेगा उतने दिन का खर्चा उनके मालिक से वसूल किया जावेगा। तो इसमें टैक्निकल डिफीकल्टी की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे कोई आपको कैश पेमेन्ट कर सकें। वे रास्ते में आसपास घास चराते हुए ले जाते हैं और अपना भी गुजारा उनसे करते हैं। ऐसी उनकी स्थिति नहीं कि वे चारे का कैश पेमेंट कर सकें। तो ऐसी क्वेरेन्टाइन में रखने का खर्चा सरकार को पे करना चाहिये। आखिर में जैसा आपने कहा कि बिल लाया जा रहा है एनीमल के हित के लिए और प्रिवेन्शन ऑफ डिजीजेज के लिये तो तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे यह काम न हो और लोगों को हार्डशिप हो। मैं मानता हूं इसमें लोगों को हार्डशिप होगी। मैंने खुद ने देखा है कि एक हर्ड में चार सौ, दो सौ जानवरों को लेकर लोग जाते हैं और उनके पास कोई कैश मनी नहीं रहता। इसलिये यह क्लॉज एक तरह से पैनल क्लॉज़ है। इससे लोगों को काफी हार्डशिप होगी। इसलिये इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जावे। यह मेरा सुझाव है।

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Chairman, Sir, I also submitted certain amendments but they have not been received.

श्री सभापति : You submitteed them late and hence they are not here.

श्री श्रीभानसिंह : But if I submit a copy for the Hon'ble Minister, and if he does not object to it, I may be allowed.

श्री सभापति : Allowed.

श्री श्रीभानसिंह : जो अभी माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट रक्खा है उसको डिलीट करने का..."under the care of a person incharge who shall be responsible for their feeding and unkeep and for the payment of such fee for their vaccination and marking as may be prescribed ..." तो यह मेरी नहीं समझ में आता कि जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया कि यह एक नोमेडिक लोग हैं और कैटल हर्ड रखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। अब उनमें एपीडेमिक को भी मानकर चलें तो कोरेन्टाइन में रक्खें, तो फिर पेमेन्ट जो है वेक्सीनेशन, घास-चारे वगैरह का वह सरकार खर्च करे और पेमेन्ट वे करें। ये चार्ज़ेज गवर्नमेन्ट को बीयर करने चाहिये, क्योंकि यह कानून आप नार्मल टाइम के लिये नहीं बना रहे हैं। एपीडेमिक डिजीजेज होंगी तब इमर्जेन्सी के लिये बना रहे हैं और तभी इसको एप्लाई करेंगे। उस वक्त इसका बोझा बर्दाश्त करना वन साइडेड नहीं हो सकता।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो कल आवेगा, तब देख लेना।

श्री श्रीभानसिंह : I always feel disturbed when there is a cross talking.

(श्री श्रीमानसिंह)

तो मैं यह कह रहा था आप इमर्जेन्सी टाइम में इसको लागू करेंगे । तो थोड़ी रेस्पोंसिबिलिटी सरकार को भी लेनी चाहिये । उन पर हार्डशिप होगी जानवरों के बीमार होने से यह तो मानना पड़ेगा । अब फिर कितना क्या खर्चा होगा ? यह भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते । फिर भी इसका जो खर्चा आवे वह सरकार और पब्लिक में शेअर होना चाहिये, या तो गवर्नमेन्ट फुल बीयर करे । फिर अगर सभी चार्जेज़ वेक्सीनेशन चार्जेज़ मालिक दे, एन्म्बबेर्शन चार्जेज़ वह दे, तो फिर तो कुछ खर्चा इसमें आप और एड कर दें । लाइव स्टॉक ऑफिसर, इन्सपेक्टर आदि को पे भी वह दे । तो इमर्जेन्सी में लीनियेन्सी बर्तनी चाहिये । मैं फिर कहूँगा गो वे एक्सेप्ट करेंगे नहीं, न करने को तैयार हैं, पर फिर भी वे चूंकि जोधपुर की तरफ से आये हैं वहां लाइव स्टॉक अधिक है, उनको प्रीजर्व करने के लिये यह विधेयक लाया गया है, वह किसानों के हित के लिये है, मैं यह मानकर चलता हूँ पर इसके साथ यह भी देखना चाहिये कि उनकी तरफ थोड़ी लीनियेन्सी भी होनी चाहिये । उनको मेडीसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो खाने पीने की अन्य सहायता भी देनी चाहिये । फिर अगर वे ही सारा पे करेंगे तो मैं कह नहीं सकता कि कितना बोझा उन पर पड़ेगा । आपके जी. टी. वगैरह के जो इन्जेक्शन हैं, आजकल तो आपने राजस्थान में इनको मेनुफेक्चर करना शुरू किया है, वे रेन्डर पेस्ट से इन्जेक्शन कितने में पड़ते हैं ? पर पहले तो यह हाल था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर एक बार सप्लाई होते थे और मांगने पर उनके आर्डर ही लौटकर नहीं आते थे, यह हालत थी । तो यह मेडीसन लिमिटेड फोर्म में ही है । तो उनका खर्चा उन पर ट्रान्सफर कर देना उचित नहीं ।

एक आर्ग्युमेन्ट यह देगें आप कि जब यूज़ में उनके आता है और उनके जानवर बेचते हैं तो क्या वजह है कि वे खर्चा न दें ? जैसे बेटरमेन्ट लेवी की बात बताते हैं । बांध बनता है तो पानी उनको मिलता है । पर वे मुफ्त में पानी लेना चाहते हैं, सारे फायदे मुफ्त लेना चाहते हैं । यह ठीक है, फायदा उनको मिलता है । पर कैटल वैल्थ को प्रिज़र्व आप अगर करना चाहते हैं तो कुछ आपको भी करना होगा, जितना उनका माद्दा होगा, उतना ही तो वे कर सकते हैं । वे पहले से ही बहुत हार्डशिप में हैं, सारा खर्चा कहां से बियर करेंगे ? यह आप भी जानते हैं । फिर चार्जेज़ भी क्लयर नही हैं । मेडीसिन और फीडिंग चार्जेज़ क्लीयर नहीं हैं । फिर कहीं ऐसा न हो कि चार्जेज़ वह आपके पे कर नहीं सके और उनके जानवर ठीक हो जावें तो वह उनको गवर्नमेन्ट के ही सुपुर्द करके चलें जावे, क्योंकि वह पे तो कर नहीं सकेगा, तब कहेगा कि इनको आप ही रक्खें और हम तो बिना जानवर के ही चले जाते हैं । तो ऐसी कम्प्लिकेशन नहीं अराइज़ हो जावे, इसलिये कहना है कि यह अमेन्डमेन्ट रीज़नेबल है और इसे कन्सीडर करना चाहिये । मन्त्री महोदय को एकोमोडेट करने की कोशिश करनी चाहिये ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जो संशोधन रक्खा गया है धारा ७ में वह बहुत रीज़नेबल है । इसका कारण यह है कि हमारे राजस्थान में कभी अकाल और कभी सूखा पड़ता रहता है और लाखों की तादाद में मन्त्री महोदय के ही एरिया से पशु हमारे हाड़ौती की ओर आते हैं और हम हर साल यह देखते हैं कि

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बड़े समूह के समूह पशु जोधपुर और बीकानेर साइड से आ रहे हैं और जगह-जगह चरते आगे चले जा रहे हैं। एपीडेमिक डिजीज़ कब आती है और कब चली जाती है, इसका पता नहीं। जहां तक उदाहरण देखने को मिले हैं कि चरागाह की खोज में और अपने पशुओं को जीवित देखने की चाह में लोग हजारों मील पार करके वहां पहुँचते हैं। यदि वे एक दिन इन्सपेक्टर द्वारा डिटेन कर लिये जाते हैं तो उनके पशुओं को चराने के लिये पूरा चारा आपके पास नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या डॉक्टर के पास आपने चारे की व्यवस्था की है, क्या उसके पास चारे के डिपो रहेंगे? आज आप देखते हैं कि हर जगह सैटलमेन्ट ने सारी जमीन को कछाड़ करा दिया है। वहां के पशुओं को ही, जिस गाँव के पशु हैं और जिस गाँव में रहते हैं वहाँ के पशुओं को ही चरने के लिए जमीन नहीं है। उन लोगों की शिकायतें हमारे सामने आती हैं। जितने भी माननीय सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं वह पूरी तरह से परिचित होंगे कि कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं कि कितने ही गाँवों में चरागाहों के लिए सैटलमेंट ने कोई जमीन नहीं छोड़ी। यदि इस प्रकार से जोधपुर और बीकानेर से पशुओं को लेकर आने वाले लोगों को एक दिन के लिए भी यदि कोई व्यक्ति डिटेन कर लेता है तो उसको न तो चारा मिलेगा और न पीने के लिए पानी ही मिलेगा और बीमारियाँ जो उस समय फैल रही होंगी उनसे उनका मरना हो जायगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि मान लीजिए किसी डॉक्टर या कम्पाउन्डर को जानवर खरीदना है तो वह दो एक दिन उस आदमी को हैरेस करेगा और लोगों को हैरेस करने का मतलब यह होगा कि हम भ्रष्टाचार को और भी प्रोत्साहन देंगे। क्योंकि किसी भी जानवर को लेना बहुत मामूली सी बात होगी। अगर हम थोड़ा सा भी प्रॉवधान चारे का और पानी का कर देते हैं तो जब डॉक्टर लोग उनको रोकें, तो उनके रजिस्टर में यह होगा कि इतना चारा खाया गया और जितना भी खाने की व्यवस्था के लिए खर्च किया जायेगा और उसकी एन्ट्री रजिस्टर में होगी तो हम प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि आपने इतने दिन क्यों रोका, रोकने का कारण क्या है? जब तक आपके पास कोई सैंक्शन नहीं है। अगर इस प्रकार का प्रतिबन्ध रहेगा तो वह आदमी स्वतन्त्र है कि चाहे कितने दिन भी अपने पशुओं को रोके। कानून पशुओं की रक्षा के लिए बनाया जा रहा है, पशुओं के रोगों को दूर करने का कानून बनाया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार के कानून नहीं बनाये कि जिससे उन पशु-पालकों को बहुत तकलीफ हो जाये। हमारा तो राजस्थान इतना बड़ा है कि जिसमें हर साल सूखा पड़ता है। इस साल की भी हालत आपके सामने है और भी साल आप देखते रहे हैं। मैं तो देखता आ रहा हूँ कि हर साल सैकड़ों की तादाद में पशु रहे हैं। मेलों के अन्दर पशुओं को ले जाते हैं, जहां कि पशु मालिकों को समय पर पहुंचना होता है। यदि किसी डॉक्टर या कम्पाउन्डर ने एक दिन भी उनको रोका तो वह समय पर नहीं पहुंच सकेंगे और वहां उनके बेचने में नुकसान हो सकता है, राजस्थान की सारी परिस्थिति को, यहां की जनता की गरीबी को सभी लोग जानते हैं। राजस्थान के अन्दर जैसे खेती भी एक व्यवसाय है, वैसे ही जैसलमेर के अन्दर पशुपालन का भी एक व्यवसाय है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल के अन्दर जिस प्रकार के लूप-होल्स और जिस

(श्री दयाकृष्ण विजय)

प्रकार की आज कमियां और खराबियां रह जाती हैं, उन खराबियों से जनता को आराम के बजाय कष्ट मिलने लगेगा। जैसे मैं निवेदन करूं कि क्लॉज़ ७ का जो उपखण्ड (४) है, वह साफ है "The animals detained at a quarantine station shall remain under the care of the person-in-charge, who shall be responsible for their feeding and upkeep and for the payment of such fee for their vaccination and marking as may be prescribed." उसको इतना ही नहीं बल्कि जो वैक्सीनेशन किया गया, उसका भी पेमेन्ट उसको करना पड़ेगा।

अब मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आप पशुओं के रोगों को दूर करने के लिये पैसा खर्च करना चाहते हैं। सरकार ने कुछ ऐसी ग्रान्ट्स रखी हैं तो आपने और क्या सुविधा दी हैं? आप दवाइयों का पैसा उससे लेते हैं, चारे का लेते है, सारी रक्षा का भार उसके ऊपर छोड़ते हैं, फिर रह क्या जाता है? मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप किसी प्रकार पशुओं के लिए प्रेम लेकर चलते हैं और सही माने में उनकी रक्षा करना चाहते हैं डिज़ीजेज़ से, तो हमको दवाइयों के लिए अधिक से अधिक प्रॉवधान करना पड़ेगा। मैंने जैसा पहले निवेदन किया कि मैं कई विकास खण्डों में कई जगह गया, वहां पर पशुओं की बीमारियों के लिए बताया गया और जो हर साल उनमें आती हैं जैसे माता है, रोगड़ा है, चक्कर वगैरह खाकर गिरना, वगैरह इन सब बीमारियों को रोकने के लिए डॉक्टरो को खुद को पता नहीं था। मैंने वहां पर सजेशन भी दिया था कि गाँव के लोग ही ज्यादा जानते हैं और मैंने कहा कि गांव के उपचार को ही काम में लाइये। जो उपचार बाहर से आया हुआ है वह बहुत मंहगा है। फिर आप आगे कहेंगे कि सरकार के पास बजट नहीं है, इसलिए इसका प्रॉवधान नहीं कर सकेंगे। कई एपीडेमिक डिज़ीजेज़ हैं। मान लीजिए कि एक आदमी के पास १०० पशु हैं और एक-एक पशु के ऊपर उसका एक-एक रुपया भी लगा तो उसको १०० रुपया खर्च करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में कम से कम वेक्सीनेशन का पैसा तो माफ करना चाहिए, अगर दवाइयों का पैसा नहीं कर सकते तो चारे की व्यवस्था वहां पर आप करें, पानी की व्यवस्था आप करें और साथ ही ऐसे स्थान की भी जहां कि कुछ जानवर बांधे जा सकें ताकि वहां पर वेक्सीनेशन में उनको दो तीन दिन लग जायें तो ठीक व्यवस्था हो सके। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो ऐसा कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम हमेशा कानून बनाते हैं; आपने देखा नये पैसे का प्रचलन हुआ, नई नाप-तोल प्रणाली चली, लेकिन एक साल से अधिक हो गया फिर भी कोई खास चेन्जेज़ नजर नहीं आती। न जनता उनमें विश्वास प्रकट करती है न व्यापार के अमल में लाती है। ऐसी बातें काम में लाते हैं तो पहले उसके उसूलों को सोचना चाहिए। उन सबके ऊपर यदि हमने कानून नहीं बनाये, यदि कोई विचार नहीं किया, उसकी हमने किसी प्रकार की तैयारियां नहीं कीं, तो इसका असर बहुत बुरा होता है। ऐसे उदाहरण बहुत मिलेंगे और बाद में संशोधन लाना पड़ता है। आज यह कानून बना रहे हैं, पशुओं के विकास के लिए बना रहे हैं, इसके लिए हमारी सब की सहानुभूति है...

Page No.102

श्री श्रीभानसिंह : माननीय चेयरमैन, अब आप कल कन्टीन्यु करें तो ठीक रहेगा ।

श्री सभापति : आप कितना टाइम और लेंगे ?

श्री दयाकृष्ण विजय : कम से कम दस मिनट और लूंगा ।

श्री श्रीभानसिंह : It is 5, he will continue tomorrow.

श्री सभापति : Shri Daya Krishan Vijay will continue tomorrow. सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्होत्तर ५-०० बजे, दिनांक, २८ अक्टूबर, १९५८ के म.पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, २७ अक्टूबर, १६५८)

स्कम्भ

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

३४४

राजस्थान के धर्म-प्रबन्धकों द्वारा लगाए गये पैसे।

टोंक जिले में फसलों को क्षति।

विधान सभा के सदस्यों से राज्य कर्मचारियों के मिलने पर प्रतिबन्ध।

हरिजन छात्रावास, भीमगंज मंडी; चद्दरें व सीमेंट का कोटा, जिला टोंक।

धौलपुर उप जिले के गांवों को आग लगने पर सरकार द्वारा सहायता।

बाल विकास मंडल, जैसलमेर।

किराये के मकानों में सरकारी कार्यालय।

आबू में सरकारी इमारतें।

चर्म उद्योग विद्यालय, धौलपुर।

मनोरंजक मिडिल स्कूल, जयपुर।

भाखरा योजना के अन्तर्गत जमीन की सिंचाई।

धौलपुर स्टेट बैंक।

कोटा के मन्दिरों के लिये भोग का सामान।

कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट में तबादले व नियुक्तियां।

प्राईवेट विद्यार्थियों की परीक्षा की व्यवस्था।

डिग्री कॉलेज के प्रिंसीपल की योग्यतायें।

मिनिस्टीरियल स्टाफ के मकानों की मरम्मत-शाहबाद।

राजकीय उद्योग।

ग्राम फर्रुखाबाद की चकबन्दी।

वैदिक कन्या विद्यालय, आबू रोड को आर्थिक सहायता।

जावाल मिडिल स्कूल का हायर सेकन्ड्री स्कूल में परिवर्तन।

पाली तहसील में भेड़ बकरियों की संख्या।

लैण्ड रिकॉर्ड्स विभाग में लॉ ग्रेजुएट इन्सपेक्टर्स।

प्राइमरी और मिडल स्कूलें, शेरगढ़ तहसील।

लगान—तहसील बैराठ।

हाडोती क्षेत्र में हरिजन जातियों को सरकार द्वारा सहायता।

कुशलगढ़ विकास खण्ड में मुर्गी पालने की योजना।

राजकीय समाज कल्याण छात्रावास।

कपड़ा मिलें।

बनेटी कस्बा में हाईस्कूल।

अग्नि पीड़ितों को सरकार द्वारा सहायता, शेरगढ़ तहसील।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति ४०७

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:—

श्री मोतीलाल चौधरी, दिनांक २४-१०-५८ से सत्र के अन्त तक।

श्री महेन्द्रसिंह (६१) दिनांक २४-१०-५८ से सत्र के अन्त तक।

श्री श्रीराम बासोतिया, दिनांक २४-१०-५८ से ३१-१०-५८ तक।

श्री मोती बाबा, दिनांक १-११-५८ से ६-११-५८।

स्थगन प्रस्ताव ४०८

(१) श्री अनूपसिंह के जिला बाडमेर में घासमारी व पान चराई वसूल करने से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

(२) श्री तनसिंह के बाडमेर पुलिस द्वारा चार लाख पैंसठ हजार रुपये की कीमत का तस्कर सोना पकड़े जाने से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

(३) श्री हीराजी व श्री लच्छूराम ने जामसर की जिप्सम खानों के मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल के सम्बन्ध में जिन स्थगन-प्रस्तावों की सूचना दी थी उनको प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई। गृह मंत्री इस पर दिनांक २६ अक्टूबर, १९५८ को अपना वक्तव्य देंगे।

(४) जिला अलवर, तहसील किशनगढ़ में पुलिस द्वारा कम्युनिस्ट सत्याग्रही को गिरफ्तार करने से, आदि से सम्बन्धित श्री लच्छूराम के स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

विशेषाधिकार प्रश्न साप्ताहिक 'गणराज्य' में प्रकाशित चित्र विषयक विशेषाधिकार प्रस्ताव ४१८

श्री श्रीमानसिंह द्वारा दिये गये विशेषाधिकार प्रस्ताव को जिसमें उन्होंने साप्ताहिक 'गणराज्य' के पृष्ठ ८ पर छपे हुए शब्द "अब राज्य-दरबारों का स्थान राज्य-विधान सभा ने ले लिया है" पर आपत्ति उठाई थी, उसको प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान नहीं की गई।

भरतपुर में बाढ़ के सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण

(क) पुरः स्थापित किये गये विधेयक ४१६

सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् निम्नांकित विधेयक पुरः स्थापित किये गये :

(१) राजस्थान लैंड रेवेन्यु (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५८।

(२) राजस्थान बाद मूल्यांकन विधेयक, १९५८।

स्कम्भ

(ख) विचारार्थ लिए गए विधेयक

१. राजस्थान पशु धन सुधार विधेयक, १६५८ ४२३

(अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित।राजस्थान पशुधन सुधार विधेयक, १६५७ के खण्ड ३ से आज विचार आरम्भ हुआ। जिन खण्डों पर संशोधन प्रस्तुत किये गये थे वे वापस ले लिये गये तथा विधेयक के समस्त शेष खण्ड स्वीकृत हुए। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

२, राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १६५८ ४७६

(विचार-विमर्श स्थगित)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव श्री नाथूराम मिर्धा, वन मंत्री, द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक पर अग्रेतर विचार एक वैधानिक आपत्ति उठाये जाने के कारण स्थगित रहा।

स्कम्भ

३. राजस्थान पशु-रोग विधेयक, १६५८ ४६५

(खण्डशः विचार-विमर्श)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिए जाने के श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, के प्रस्ताव पर श्री गिरधारीलाल ने यह संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक को पुनः उसी प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। वाद-विवाद के पश्चात् श्री गिरधारीलाल का संशोधन अस्वीकृत हुआ तथा विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खण्ड २, ३, ४ व ६ बिना संशोधन के स्वीकार किये गये व खण्ड ५ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ७ पर विचार हो रहा था कि सदन की बैठक स्थगित की गई।

मंगलवार, २८ अक्टूबर, १६५८ की कार्य-सूची।

राजस्थान पशु-रोग विधेयक, १६५८

(अग्रेतर विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ९३ का उत्तर देखिये)

STATEMENT A. (G. C. SHEETS ALLOTMENT)

1956

Agricultural		Non-Agricultural
	4,488	17.14.2.17
D. A. O.	1,115	
S. D. O. Malp	1,679	
Collector.	1,694	

1957

Agricultural		Non-Agricultural
3,100 Plus 200		
Teh. Tonk	640	Nil
Teh. Todarai Singh	320	
Teh. Uniara.	320	
Tehsil Newai	320	
Teh. Deoli.	270	
Teh. Malpura	370	
Reserve	860	
	3,100	
For Teh. Uniara.	200	

1958

Agricultural		Non-Agricultural	
	2,770	2,751 G.C. Sheets.	
1. Teh Tonk.	505	Tonk	2,001
2. Teh. Newal	364	Newai	150
3. Teh. Toda-Raisingh	585	Uniara	150
4. Teh. Deoli	612	Deoli	150
5. Teh. Malpura	260	Toda	150
6. Teh. Uniara.	348	Malpura	150
	2,374		2,251
Treserve.	396		
	2,770		

STATEMENT B. CEMENT ALLOTMENT.

1956			1957			1958			Remarks.
1,000 Tons.	Tonk.	595 Tons.	1,140 Tons,	Teh. Tonk	658 Tons.	1,490 Tons.	Teh. Tonk	830 Tons.	1. Teh. Uniara, Deoli & Toda no agents of cement and therefore they obtain their supply of cement from nearest cement Agent.
	Newai	260 ,,		Teh. Newai	161 ,,		Teh. Newai	260 ,,	
	Malpura	145 ,,		Teh. Malpura	221 ,,		Teh. Toda	160 ,,	
	Total	1,000 ,,		Teh. Toda.	100 ,,		Teh. Malpura	240 ,,	
					1,140 ,,		Teh. Blocks.	120 ,,	
							Total	1,490	

STATEMENT 'C' SHOWING DISTRIBUTION OF G. C. SHEETS IN TONK DISTRICT—TEHSILWISE

1956				1957			1958			
Particular		Non-Agricultural		Agriculture		Non-Agricultural	Agriculture		Non-Agricultural	
By D. A. O. Tonk.										
Tehsil Tonk.	785	M. B. areas in Tonk District 1596		Tehsil Tonk	640	Nil	Tehsil Tonk	505	Teh. Tonk	2634
,, Newai	269			,, Todaraisingh	320		,, Newai	364	,, Newai	300
,, Todaraisingh	29	Tonk	900	,, Uniara	320		,, Toda.	585	,, Uniara	150
,, Malpura	32	Newai	300	,, Newai	320		,, Deoli	312	,, Deoli	150
,, Dooni	—	Uniara	200	,, Dooni	270		,, Malpura	260	,, Toda	150
,, Uniara	—	Dooni	196	,, Malpura	370		,, Uniara	348	,, Malpura	150
				Reserve	860		Reserve	396		
	1115	Total ...	1596	Total ...	3100			2770	Total ...	3534
				For Teh. Uniara	200					
					3300					

By S. D. O. Malpura.

Sub-Division Tonk.

Mohd. Garh (Tonk) Tonk flood sufferers	900
Lohera Newai (fire sufferers)	300
Bagri Tonk fire sufferers.	150
Development Scheme for school building	150
Todaraisingh fire sufferers	194
	1694
Grand Total	4488

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF BUILDINGS RENTED OUT BY GOVERNMENT OFFICER AND DEPARTMENTS.

S. No.	Name of the Deptt.	Name of the Building.	Rent paid.
1.	Superintending Engineer Office. (Health)	Dalip Vilas, Moti Doongari Road.	Rs. 280/- P. M.
2.	Chief Panchayat Office	D. Rai's House Station Road.	Rs. 213/- P. M.
3.	Director of Social Welfare Department.	Swastik Bhawan, Station Road.	Rs. 400/- P. M.
4.	Asstt. Director of Social Welfare Department.	D. 135, Bani Park	Rs. 200/- P. M.
5.	Cooperative Training School.	Rajadan Bhawan, Bani Park.	Rs. 150/- P. M.
6.	Transport Deptt., Rajasthan State Electricity Board, Organizer, Tourist Facilities, Distt. Sailors & Soldiers Board, Relief & Rehabilitation, Judge, Industrial Tribunal	Peera Mal Hotal.	Rs. 2,500/- P. M.
7.	Jagir Commissioner	Bhairat & Virat Bhawan.	Rs. 820/- P. M.
8.	Director of Economics & Statistics, Director of Economics & Industrial Survey.	Chomu House.	Rs. 400/- P. M.
9.	Consolidation of Holdings	Chandra Bhawan.	Rs. 144/- P. M.
10.	Local Bodies.	Old Residency Building.	Rs. 150/- P. M.
11.	Urban Improvement Board.	Seth S. M. 's Building.	Rs. 250/- P. M.
12.	Director of Sanskrit Education.	C-Scheme, Amar Niwas.	Rs. 150/- P. M.

Page No.111

13.	Secretary, Board of Nationalisation of Text Books.	Portion of Radha Mohan's House, 'C' Scheme	Rs. 170/- P. M.
14.	Directorate of Employment and Training Services.	C. 62, Bhagwan Dass Road, Jaipur.	Rs. 397/- P. M.
15.	Asstt. Registrar, Cooperative Deptt., Sawai Madhopur Headquarters, Jaipur.	Jobner House.	Rs. 100/- P. M.
			Rs. 6,324/- P. M.
16.	*Sub-Regional Employment Exchange.	Shri Rajendra Pd. (s) Buildings near AIR.	Rs. 125/- P. M.
17.	*E. S. I. Scheme Administrative Officer for—	97, Subhas Marg.	Rs. 150/- P. M.

*3/4 of the rent is paid by the Government of India.

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १०७ का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF GOVT. OWNED FACTORIES SOLD OR LEASED OUT.

S. No.	Name of the Factory.	Sale or lease amount.	Year of sale or lease.	Name of the purchaser or lessee.
1.	Govt. Cotton Ginning & Pressing Factory, Gulabpura.	Sold (Rs. 2,11,111/-)	1957.	Cooperative Society, Gulabpura.
2.	Govt. Cotton Press, Shahpura	Sold (Rs. 52,500/-)	1957.	Multipurpose Cooperative Society Shahpura.
3.	Govt. Cotton Ginning & Pressing Factory, Kapasin.	Sold (Rs. 1,60,000/-)	1957.	M/S Jhamkulal Somani of Kapasin.
4.	Govt. Cotton Ginning & Pressing Factory, Chittorgarh.	Sold (Rs. 1,80,000/-)	1957.	People Cooperative Society, Chittorgarh
5.	Ice Factory, Jodhpur.	Leased (Rs. 7,001/-)	1956.	M/S Bankidas Moolraj & Co. Jodhpur (for three seasons upto Oct. 1953)

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या १२८ का उत्तर देखिये)

This Deed of sale is made on the twentyfourth day of Feb. 1956, between the Maharaja Kishangarh Mills Ltd., a company incorporated in the former Kishangarh State and having its registered Office situated in Madanganj (Kishangarh) through Shri Bhagchand Soni and Shri Hiralal Patni, Chairman and Director respectively of the Board of Directors of the aforesaid mills, duly authorised in that behalf by the said Board as its resolution dated 10th. Feb. 1956 (hereinafter referred to as "the vendors", which expression shall, unless the context otherwise requires, be deemed to include the successors, executor, administrators and assigns of the aforesaid mills of the one part and His Highness the Rajpramukh of the State of Rajasthan (hereinafter referred to as "the vendee" which expression shall unless the context otherwise requires, be deemed to include his successors and assigns) of the other part.

WHEREAS the vendors own and possess the properties mentioned below, namely :—

1. cst Office building, including four residential quarters attached to the Post Office building,
2. Quarters, garden and garrage etc. and
3. Labour chawls numbering 144.

AND WHEREAS the vendors are in immediate need of money for payment to the workers of the said mills on account of their uupaid wages and other charges-

AND WHEREAS the vendors are desirous of selling and agree to sell their properties mentioned above at a period of Rs. 75,000/- (Rupees seventy five thousand) only to meet with the aforesaid liabilities.

AND WHEREAS the vendee has agreed to purchase the said properities at the price of Rs. 75,000/- only subject to the terms, conditions and covenants hereinafter appearing-

Now this deed of sale witnesses that in pursuance of the said agreement and in consideration of the sum of Rs. 75,000/- (in words, Rupees seventy five thousand) only paid by the vendee to the vendor, the receipt where of the vendors do hereby acknowledge, the vendors do hereby convey, transfer, and assign units the vendee all those properties, situated in the

town of Madanganj (Kishangarh), District Jaipur, with the boundaries and measurements thereof fully described in the schedule annexed hereto and delineated for the sake of clearne s on the plan annexed to this deed. hereinafter called the said properties, together with all rights, interests, titles, easements and appurtenances whatsoever to the said properties belonging or in any way appertaining to have and hold the same absolutely and for ever.

And the vendors do hereby covenant with the vendee and declare as follows :—

1. That the said properties hereby transferred are free from all encumbrances, charges, claims and demands.

2. That the vendors as well as the managing agents of the vendors have now good right, power and title to convey the said properties.

3. That the vendee shall hereafter peacefully hold, use and enjoy the said properties without any hindrance, interruption, claim or demand by or from the vendors or any other person whosoever.

4. That the vendors will deliver to the vendee all deeds, evidences and writing now in their possession and custody relating to the title of the vendors to the said porperties.

5. That the vendors shall apply the money received by way of price towards payment to the workers of the said mills on account of their unpaid weges and other charges.

6. That the vendors have done nothing whereby the said properties may be under any charge and will save harmless and keep indemnified the vendee from and against all posses, damages, costs or expenses which he may sustain or incur by reason of any claim beingset up by any body whosoever to the said properties.

7. That the vendors shall make delivery of the properties hereby conveyed by executing in respect thereof a deed of lease in favour of the vendee commencing from the date of these presents and reserving to the vendee a monthly rent of Rs. 375/-.

8. And the vendee hereby covenants with the vendors as follows :

(i) That he will let out the said properties hereby conveyed to the vendors on a monthly rent of Rs. 375/- for a period of three years only.

(ii) That he will reconvey the properties to the vendors upon payment within three years from the date of these presents of

the sum of Rs. 75,000/-, together with the aggregate of such balances of the amount of the monthly rent as shall then remain unpaid.

The schedule referred to above attached.

In witness whereof the parties hereto have signed this deed on the date first above mentioned.

Signed on behalf of the Maharaja
Kishangarh Mills Ltd.,
Kishangarh.

Sd/- Bhagchand Soni.
Sd./- Hiralal Patni.

SEAL.

Witness I.

Sd./- Ramkishan Kakkar.

Witness II.

Sd./- Balkishan.

Seal Affixed by
(Seal of the company).

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २७ अक्टूबर, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३५१	१४	letter llke	letter like
३५१	१८	circular ietter	circular letter
३६५	७	समय हता है	समय होता है
३८४	८	lke this	like this
४०५	३	with ihe vendce	with the vendee
४२२	२	अध्यक्ष श्री	श्री अध्यक्ष
४२३	१	भू राजस्व विधेयक	वाद मूल्यांकन विधेयक
४२४ से		राजस्थान पशुधन-सुधार	राजस्थान पशुधन-सुधार
४७५	१	विधेयक, १९५८	विधेयक १९५७
४४४	नीचे से ३ पंक्ति	डॉ श्री बहादुरसिंह	डॉ बहादुरसिंह
४६८	२३	और अनबा	और अनजान
४८०	नीचे से ६ पंक्ति	to the principal Act.	to the Principal Act.
४५२	५	विधेयक, १९५८	विधेयक, १९५७
५५४	१५	Treserve	Reserve

पूरक शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २७ अक्टूबर १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३४६	१	(रावराजा श्री सरदारसिंह)	(श्री दामोदरलाल व्यास)
३५४	१	(श्री अध्यक्ष)	रावराजा श्री सरदारसिंह)
४२२	अन्तिम से २	राजस्थान का मूल्यांकन विधेयक, १९५८	राजस्थान बाद मूल्यांकन विधेयक, १९५८
४२३	२	राजस्थान पशुधन सुधार विधेयक, १९५८	राजस्थान पशुधन सुधार विधेयक, १९५७
४४०	१	(श्री नाथूराम मिर्धा)	(श्री श्रीभानसिंह)
४४४	१	(श्री डा० बहादुरसिंह)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
५०४	१	(श्री गिरधारीलाल)	(श्री दयाकृष्ण विजय)
५०६	१	(श्री गिरधारीलाल)	(श्री दयाकृष्ण विजय)
५२४	१	(श्री सूबेदारसिंह)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
५२६	१	(श्री सूबेदारसिंह)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
५३४	१	(श्री दयाकृष्ण विजय)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
५५१	२२-२५	भरतपुर में बाढ़ के संबंध में स्पष्टीकरण (क) पुरः स्थापित किये गये विधेयक ४१९	भरतपुर में बाढ़ के संबंध में स्पष्टीकरण ४१९ (क) पुरः स्थापित किये गये विधेयक ४२०

[redacted]